खण्ड-203, अंक-5
मंगलवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(17 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य --३५२

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गँदाबेदी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम ढिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्रवाल, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगदीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री

तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दलिभानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरबेर्बासिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—निर्माण उप-मंत्री (श्री महावीरसिंह) भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एकोनामी कमेटी की रिपोर्ट

१—श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित 'एकोनामी कमेटी' १९५४ की पूरी रिपोर्ट प्रदेश में लागू करने में कौन-कौन सी कठिनाईयां हैं ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री राम स्वरूप यादव)—एकोनामी कमेटी ने अभी अपना विचार विमर्श समाप्त नहीं किया है और अभी तक सरकार को उसकी रिपोर्ट का केवल पहला भाग ही प्राप्त हुआ है । कमेटी की प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में यह निर्णय करने के पूर्व वह कार्यान्वित की जा सकती है या नहीं यह आवश्यक है कि उसका विस्तृत अध्ययन और जांच की जाय ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एकोनामी कमेटी की सिफारिशों पर कब तक विचार विमर्श जारी रहेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—बात यह है कि मुख्तलिफ विभागों में उस पर विचार हो रहा है । उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश हो रही है कि जल्दी विचार खत्म हो सके ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम भाग में किन किन विभागों के बारे में एकोनामी कमेटी ने सिफारिशें की हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—रिपोर्ट की वाल्यूम १ गालिबन सब माननीय सदस्यों को भेज दे दी गयी है, उससे वे मालूम कर सकते हैं कि किन किन विभागों के मुताल्लिक उनकी क्या सिफारिशें हैं ।

श्री चन्द्र जीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट का प्रथम भाग सरकार को कब प्राप्त हुआ था और उसमें जिन विभागों के संबंध में सुझाव दिये गये हैं उनसे भी सरकार ने कोई राय अब तक मांगी है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, उन्हीं से तो मांगी है । सन् १९५८ में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ सिफारिशों पर अमल भी हुआ है और अगर हुआ है तो वे सिफारिशें क्या हैं और उनसे कितनी मितव्ययता हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस मामले में अभी कौंसिल में एक सवाल हुआ था कि अब तक किन किन सिफारिशों पर अमल हुआ है तो उस सिलसिले में एक चार्ट बना था, मैंने उसको वहां पेश भी कर दिया है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको मैं उनको दे दूंगा कि किस किस सिफारिश पर अमल हुआ है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि उस कमेटी की कुछ सिम्पलिफिकेशन आफ बजट रूल्स के बारे में भी सिफारिशें हैं ? यदि हां, तो उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या विचार किया ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, अब एक एक सिफारिश पर क्या कार्यवाही हुई, यह मैं नहीं बतला सकता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एकोनामी कमेटी के वास्ते कोई समय निर्धारित था कि इतने दिनों के अन्दर वह रिपोर्ट दे देगी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मुझे मालूम नहीं है कि कोई वक्त निर्धारित था या नहीं लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं, सन् ५४ में कमेटी एप्वाइंट हुई और उसकी रिपोर्ट का पहला वाल्यूम सरकार के पास सन् ५८ में आया है और अभी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एकोनामी कमेटी के परिणाम स्वरूप कितनी टोटल एकोनामी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री सैयद अली जहीर---अब यह तो उस वक्त बताया जा सकता है जब यह तै हो जाय कि कौन कौन सी उनकी सिफारिशें मंजूर की जा सकती हैं और कौन कौन सी मंजूर नहीं की जा सकती हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस चार्ट की चर्चा उन्होंने की, उसकी दो तीन प्रमुख सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने समझा नहीं, उसमें तो बहुत से आइटम्स हैं।

श्री उग्रसेन---दो तीन बतला दें।

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आप अपनी तबियत से दीजिये, मैं उसको थोड़े सजेस्ट कर सकता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमन्, मेरा तो खयाल यह है कि वह ७, ८ सफे की रिपोर्ट है, उसमें छांटने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत राज मंत्रियों के तबादले के लिये आदेश

*३--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय प्रदेश के पंचायत राज मन्त्रियों को उनके क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में तबादला करने के लिये कोई निश्चित आदेश सरकार ने जारी किया है ? यदि हां, तो वे निश्चित आदेश क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। संचालक, पंचायत राज ने आदेश प्रसारित किये हैं कि पंचायत मंत्री को उसके निवास स्थान से साधारणतया २५ मील की दूरी के बाहर रखा जाय। इन आदेशों का दिनांक ३० अप्रैल, १९५९ तक पालन कर दिया जाय। यदि कोई पंचायत मंत्री बहुत अच्छा कार्यकर्त्ता है और अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता तो उसको अपने निवास स्थान के निकट भी इस शर्त पर रखा जाये कि जिला पंचायत अधिकारी यह प्रमाणित करे कि वह बहुत अच्छा कार्यकर्त्ता है और उसके निकट नियुक्त रहने से कार्य में हानि न होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि संचालक पंचायत राज महोदय को इस प्रकार का आदेश देना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव--बहुत जगहों से यह शिकायत आती थी कि पंचायत मंत्री घर का काम करते हैं, सरकारी काम नहीं करते हैं और कहीं-कहीं पार्टी बन्दी में पड़ते हैं। इस वजह से यह आदेश निकालना पड़ा।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए पंच सम्मेलनों में और अभी हाल में हुए लखनऊ सम्मेलन में सर्वसम्मति से इस आदेश के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके सरकार से सिफारिश की है कि इस आदेश को रद्द किया जाय? यदि हां, तो सरकार उसको रद्द करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी इसको रद्द करने का विचार नहीं है। प्रस्ताव बहुत से आये हैं। इसके लिये नोटिस चाहिये कि इस के बारे में प्रस्ताव आया है या नहीं।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पंचायत मंत्रियों के अच्छे कार्यकर्त्ता होने एवं अपने पद का दुरुपयोग करने के सर्टिफिकेट जिला पंचायत अधिकारी अपने मातहत इंसपेक्टर से पूछ कर देते हैं या संबंधित गांव सभाओं के प्रधान से भी रिपोर्ट मांगते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--अच्छे काम की जानकारी पंचायत इंस्पेक्टर से जरूर करते हैं, लेकिन जैसे वे भी जाते रहते हैं अगर प्रधान से भी पूछ लेंगे तो ठीक ही होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी ने कोई सीमा निर्धारित की है कि इतने मील के अन्दर नहीं रहना चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, २५ मील के अन्दर नहीं रहना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चूंकि पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह बहुत कम है इसको देखते हुए मंत्री जी फिर से इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, अभी उत्तर दे दिया कि अभी विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

नानक सागर व शारदा बांध के निर्माणार्थ रिज़र्व जंगल काटना

*४---**श्री प्रतापसिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक सागर व शारदा डैम के निर्माण में कितने एकड़ रिजर्व जंगल काटा गया है और कितना और काटा जाने वाला है ?

श्री रामस्वरूप यादव---१३६६ एकड़ काटा गया है। कोई और रिजर्व जंगल नहीं काटा जाने वाला है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नागकसागर और शारदा सागर के लिये अलग-अलग कितना एकड़ जंगल काटा गया ?

श्री सैयद अली जहीर---नानकसागर के लिये ४०० एकड़ और शारदा सागर के लिये ९६६ एकड़।

श्री प्रतापसिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि १३६६ एकड़ जंगल काटने से कितनी वन सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसका हिसाब नहीं लगाया कि दरख्तों की क्या कीमत थी।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जंगल को काटने के पहले वहां के जंगलात विभाग के अधिकारियों से भी राय ली गई थी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मामला तो डिपार्टमेंट्स के बीच का है और बाज वक्त इसमें पहले राय ली जाती है, बाज वक्त बाद को ली जाती है। मश्विरा आपस में होता है उसके बाद तय होता है।

नैनीताल में लकड़ी व कोयले का भाव

*५---**श्री प्रतापसिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५८ तथा जनवरी, १९५९ में नैनीताल में कोयले और लकड़ी का क्या भाव रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिसम्बर, १९५८ तथा जनवरी, १९५९ में कोयले का भाव ४ रुपया ४० नया पैसा प्रति मन था और लकड़ी (इंधन) का भाव १ रुपया २५ नया पैसा प्रति मन था।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि सन् ५८ के पहले कोयले का दाम ३ रुपया ४ आना था ? यदि हां, तो ४ रुपया ४० नये पैसे करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री सैयद अली जहीर---उससे पहले उसका भाव ३ रुपया ७ आना था जो ३ रुपये ४४ नये पैसों के बराबर था। लेकिन हुआ यह कि जो जंगल कट कर आ रहा था उसकी सूरत यह थी कि पहाड़ों के जंगल में हमको ३२ हजार मन कोयला मिल सकता था। मगर वहां नैनीताल की जरूरियातें और भुवाली की जरूरियात बढ़ती चली गईं। यहां तक कि ७२ हजार मन की जरूरत वहां हुई। यह कोयला कहां से आवे ? पहले तो यही जंगल ज्यादा कटते रहे और कमी पूरी होती रही। उसकी वजह से जितना जंगल कटना चाहिये उससे ज्यादा कट गया। जब गौर किया गया तो यह जरूरत हुई कि कम से कम ४० हजार मन कोयले का इंतजाम कहीं और से किया जाय। वह भावर से आने लगा। क्योंकि फासला ज्यादा हो गया इसलिये कीमत बढ़ाने की जरूरत पड़ी और वह बढ़ा दी गई।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक रुपया दाम बढ़ने के बाद वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और जितनी भी वहां की संस्थायें हैं उन्होंने माननीय मंत्री जी के पास इसके खिलाफ प्रस्ताव भेजा और माननीय मंत्री जी ने घर पर मीटिंग बुलाई ? उन्होंने क्या फैसला किया ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, नैनीताल में मीटिंग हुई थी । उसमें सब लोग आये थे । उसमें मेरे खयाल में जो उपनता हैं विरोधी दल के वह भी थे । उनसे बातचीत हुई और मैंने समझाया । उन्होंने मंजूर किया कि जो कीमत बढ़ी है वह नामुनासिब नहीं है । सिर्फ यह चाहते थे कि और आगे न बढ़ें । मैंने कहा कि इरादा नहीं ह ।

*६-७---**श्री रामअभिलाख** (जिला गोंडा)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८-९---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०---**श्री चन्द्रजीत यादव**---[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित १ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नगरपालिका औरय्या के लिए पेय जल-आयोजन

*११---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका औरय्या, जिला इटावा में कोई योजना नल से पानी देने की सरकार की ओर से बनाई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका औरय्या, जिला इटावा में नल द्वारा पेय जल की व्यवस्था की योजना स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार की जा रही है ।

*१२---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो यह नल योजना कब तक लागू हो जायगी तथा इसमें कितना व्यय होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस योजना का प्रोजेक्ट अभी तैयार किया जा रहा है इसलिये इस समय स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि योजना कब कार्यान्वित की जायगी और इसमें कितना व्यय होगा । यह आशा की जाती है कि उक्त योजना का प्रोजेक्ट जून के अन्त तक तैयार ो जावेगा और इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग ४.५ लाख रुपये तक होगा ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका औरय्या, जिला इटावा में पानी देने की योजना स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कब से तैयार की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, आशा है कि प्रोजेक्ट जून, १९५९ तक तैयार हो जायगा । जहां तक योजना के कार्यान्वित करने का प्रश्न है, शायद तृतीय पंचवर्षीय योजना में ली जा सके, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वही ली गई हैं जिनके प्रोजेक्ट तैयार थे ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना किस हद तक बनकर तैयार हो गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो उत्तर में निवेदन कर दिया कि अभी रुपया जमा किया है, प्रोजेक्ट के लिये । प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो जून तक तैयार हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के साथ-साथ ड्रेनेज स्कीम को भी लिया गया है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---अब यह तो प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में बताया जा सकेगा कि उन्होंने दोनों शामि ल किये हैं या केवल पीने के पानी की ही व्यवस्था की है ।

श्री भजनलाल---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के तैयार करने में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अलग से कर्मचारी नहीं रक्खे जाते । जो स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं उन्हीं में से इंजीनियर जाते रहते हैं, समय-समय पर देखते रहते हैं, और उसके हिसाब में प्राजेक्ट तैयार होता है ।

*१३---१५---**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद का माघ मेला

*१६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जो इस वर्ष माघ मेला लगा था उसमें कितनी आमदनी तथा खर्चे का बजट था ?

श्री रामस्वरूप यादव---आमदनी---८६,४०० रु०, खर्च---९,०३,०५८ रु० ।

*१७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद का माघ मेला कितनी जमीन के क्षेत्र में था, इसमें कितनी जमीन यात्रियों तथा दुकानदारों को दी गई थी और कितनी सरकारी कर्मचारियों को ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुल मेला की भूमि का क्षेत्र २६२ एकड़ था जिसमें से ४१.३ एकड़ यात्रियों के लिये २.३ एकड़ दुकानों के लिये तथा १३.१ एकड़ मेला में कार्य करने वाले सरकारी विभागों के लिये नियत की गई थी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो आय-व्ययक या बजट था वह माघमेला कमेटी द्वारा स्वीकार कराया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैं समझता हूं कि उस ने स्वीकार किया ही होगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि बजट की स्वीकृति कमेटी के द्वारा नहीं कराई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एरिया २६२ एकड़ का दिया है उस में दारागंज का क्षेत्र भी शामिल था ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस चाहिये लेकिन विभाजन जिस तरह से किया गया है वह मेरे पास है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आय व खर्च का जो बजट बनाया गया था वास्तविक आय और खर्च बजट के मुताबिक हुआ या कोई अन्तर रहा और रहा तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो अभी खर्च व आय के आंकड़े नहीं आ पाये ह, लेकिन मुझे सूचना है कि २,१९,५०० रुपये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च का अन्दाजा था लेकिन उसमें से शायद ७९,००० रुपया बच जाय ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---यह जो व्यय हुआ वह पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा हुआ या समिति ने स्वयं अपने इंतजाम से कराया ?

श्री रामस्वरूप यादव---उस के तो विभिन्न हिस्से हैं, कुछ तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य मेला अधिकारी करते हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ वाले भी करते हैं, कुछ स्वायत्त शासन विभाग वाले भी करते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि पर माघ मेला लगाया गया वह नगरपालिका क्षेत्र में है या जिला परिषद् के क्षेत्र में है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला परिषद् का कुछ भाग शामिल है या नहीं इस का ठीक उत्तर देने के लिये तो नोटिस चाहिये बाकी बहुत बड़ा भाग तो नगरपालिका का ही है ।

*१८-१९---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

महापालिकाओं की निर्वाचन सीमायें

*२१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन महापालिकाओं की नगर के चुनाव की सीमा सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है उनको प्रदेश के समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया है ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत सीमाओं की विज्ञप्ति केवल सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का प्राविधान है, फिर भी जनता की सुविधा के लिये प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व कवल्ल नगरों के जिलाधीशों को ऐसे आदेश भेजे गये थे कि वे उनका व्यापक स्थानीय प्रचार (wide local publicity) कराये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार को मालूम है कि उनके आदेशानुसार जिलाधीश ने किस तरह से व्यापक प्रचार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसा कि उस आदेश में लिखा गया था कुछ नगरपालिकाओं से सूचना आई है कि अखबारों में प्रचार किया गया था और सरकारी गजट में तो निकाला ही गया था ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि व्यापक तरीके से प्रचार न होने के कारण लोगों ने एतराज कम किये ?

श्री रामस्वरूप यादव---एतराज तो काफी हुये और सरकार का तो यह खयाल है कि काफी लोगों को पता चल गया था क्योंकि इलाहाबाद में कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्रियल कालोनी का क्षेत्र न लिया जाय और बमरौली वालों ने अपना हिस्सा लेने के लिये लिखा ही था, इस से अन्दाजा है कि जिन को इत्तला थी उन्होंने एतराज किये थे ।

टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन

*२२---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन कब तक चालू होगी और इसे चालू करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सिफारिश की है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

इस रेलवे लाइन के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार से की गई सिफारिश की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८८ पर ।)

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को इस रेल के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में कभी लिखा-पढ़ी हुई और अब तक उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री महावीर सिंह---यह तो बहुत दिनों से हो रही है ।

नियोजन विभाग, लखनऊ का आडिट

*२३--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, का १९५८ में आडिट हुआ ? यदि हां, तो क्या कोई आडिट एतराज हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग लखनऊ का आडिट जुलाई, १९५८ में हुआ था और उसमें आडिट एतराज हुये थे ।

श्री हिम्मत सिंह--माननीय मंत्री जी क्या-क्या मुख्य-मुख्य आडिट एतराज हुये थे यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुख्य आपत्ति यह थी कि जो विभाग ने स्थानीय संस्थाओं के लिये मानचित्र निःशुल्क तैयार कर दिये हैं वह उनको नहीं करना चाहिये था । वह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ पंखों के बारे में भी आडिट एतराज थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस विशेष एतराज के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी ।

यू० आई० सी० पेपर मिल मजदूर संघ के मंत्री का पत्र

*२४--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्त सचिव एवं वित्तीय आयुक्त के २-१२-५८ के पत्रांक ई-३-२६५२/१० के उत्तर में ७-१२-५८ को यू० आई० सी०, पेपर मिल मजदूर संघ के संयुक्त मंत्री का जो पत्र भेजा गया है, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० आई० सी०, पेपर मिल मजदूर संघ ने जो ७-१२-५८ को शिकायतें की हैं वह किसके खिलाफ हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--उसमें शिकायतें तो बहुत सी हैं और ज्यादातर मैनेजर और फैक्टरी के वर्किंग के खिलाफ हैं और वित्त विभाग के खिलाफ सेल्स टैक्स के मुताल्लिक शिकायत है कि वह अवायड किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह करेंगे ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्र ७-१२-५८ को आया तब से आज तक विचार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--कारण यह है कि रिपोर्ट इस पर मांगी गई है अफसरान से, वह अभी तक आयी नहीं है ।

*२५--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

बिजली मिस्त्रियों को बढ़ा महंगाई भत्ता न मिलना

*२६--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली मिस्त्री जो विधायक निवासों में पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से मेन्टेनेन्स डिवीजन में कार्य करते हैं, १९५७-५८ के बजट में १०० रुपया से कम वेतन पाने वालों को जो ५ रुपया मंहगाई भत्ता दिया गया था वह उपरोक्त मिस्त्रियों को नहीं मिलता है ?

श्री महावीरसिंह---जी नहीं ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महंगाई भत्ता न देने के कारण क्या हैं ?

श्री महावीरसिंह---क्रर्क चार्ज के अधिष्ठान के कर्मचारियों की आय और महंगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार हो रहा है कि सरकार क्या करे ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक विचार हो जायगा ?

श्री महावीरसिंह---जितना खर्चा होगा उसके लिये जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

*२७---**श्री गौरीराम गुप्त**---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित ३ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शाहाबाद नगरपालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत

*२९---**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की शाहाबाद नगरपलिका के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत ४ माह पूर्व जिलाधिकारियों को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । जिलाधीश द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्या शिकायत थी, कब से जांच हो रही है और कब खत्म हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो सवाल में ही दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार की शिकायत थी । ठीक कितने महीने हो गये हैं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी इस भ्रष्चाटार की परिभाषा बतायेंगे क्योंकि वैसे तो भ्रष्टचार एक जनरल शब्द है ?

श्री रामस्वरूप यादव---माननीय विष्ट जी इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, मुझसे ज्यादा इसकी परिभाषा वे जानते होंगे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि यह आरोप नगरपालिका के पूरे सदस्यों और चेयरमैन के खिलाफ है या किसी खास व्यक्ति के खिलाफ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह आरोप म्युनिसिपल बोर्ड, शाहाबाद के खिलाफ है जिसमें सभी आ जाते हैं ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---भ्रष्टाचार का आरोप किसी एक म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी के खिलाफ है या किसी सदस्य के खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि पूरे म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर है ।

*३०---**श्री राजेन्द्रसिंह** (अनुपस्थित)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न २९ श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने पूछा ।

*३१-३२--श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों की इमारतों का निरीक्षण

*३३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों ने जनवरी सन् १९५७ से दिसम्बर सन् १९५८ तक प्रदेश के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की बनी हुई कहां-कहां की इमारतों का निरीक्षण किया ?

*३४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन इमारतों का निरीक्षण किया गया उनमें किस राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारत के लिये उनका निरीक्षण नोट बहुत अच्छा और किस इमारत के लिये बहुत खराब है ?

*३५--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की इमारत के लिये सुपरिन्टेंन्डिंग इंजीनियर का नोट अच्छा नहीं है उसके बनाने वाले (कान्ट्रेक्टर) के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री महावीरसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को साधारण तौर पर कितने समय के भीतर जवाब दे दिया जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--यह आप उनसे इस प्रकार से थोड़े ही पूछ सकते हैं, नियम देख लें ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री महावीरसिंह--जल्दी की जायगी और जैसे ही मिलेगी दी जायगी ।

टांडा नगरपालिका की कम्पोस्ट की भूमि

*३६--**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि टाडा म्युनिसिपल बोर्ड (फैजाबाद) कम्पोस्ट के लिये ली गई जमीन को नीलाम करके दूसरे कामों में लगा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, ५ वर्षों से अधिक अवधि तक कम्पोस्ट बनने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि असमतल हो गई थी । उसे केवल १ वर्ष के लिये काश्तकारी के लिये उठा दिया गया है जिससे कि वह जोत कर बराबर हो जावे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो भूमि उठायी गयी है उसका लगान कितना लिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन--जब वह भूमि कम्पोस्ट बनाने के लिये ली गयी तो फिर क्यों वह काश्त करने के लिये दे दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो अभी निवेदन किया कि ५ वर्ष तो वह इसी में इस्तेमाल हुई, लेकिन वह ऐसी हो गयी थी जिसकी वजह से जरूरी था कि यकसां करने के लिये उसे जोत पर दे दिया जाय और उसके बाद फिर वह कम्पोस्ट बनाने के काम में आयेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी को पता है कि कम्पोस्ट तैयार करने के लिये गड्ढे की आवश्यकता होती है तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पक गयी कि उसको यकसां किया जाय और फिर उसमें कम्पोस्ट बनायी जाय ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३६ श्री छत्तरसिंह ने पूछा ।

श्री रामस्वरूप यादव--गड्ढे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वह ५ वर्षों में बहुत खराब हो गयी थी। इसलिये एक वर्ष अगर खेती हो जायगी तो ठीक हो जायगी जिससे एक साल बाद उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--कम्पोस्ट बनाने का काम अभी वहां जारी है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वर्ष नहीं जारी है लेकिन इसके बाद फिर कम्पोस्ट बनाने का काम उसी भूमि म शुरू कर दिया जायगा।

श्री उग्रसेन--पांच वर्षों में कितनी कम्पोस्ट बनी ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--कम्पोस्ट बनाने के लिये कितने रुपये की भूमि ली गयी और कितने रुपये की नीलाम की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--भूमि का रकबा तो मेरे पास नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--इस साल कौन सा ऐसा विशेष कारण हुआ जिसकी वजह से कम्पोस्ट नहीं बनायी गयी ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कारण तो बता दिया कि जमीन एक साल खाली रहनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह एक बहाना सिर्फ म्युनिसिपैलिटी ने किया है और क्या दूसरी म्युनिसिपैलिटियों में भी कुछ इस तरह की प्रथा जारी है कि ३, ४, ५ वर्ष कम्पोस्ट बनाने के बाद जमीन नीलाम कर दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--और नगरपालिकाओं की जानकारी तो नहीं है,लेकिन बात यह है कि नालियों की लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई में पांच वर्षों के बाद बहुत तब्दीली हो जाती है। इसीलिये बचत करने की जरूरत हुई।

खीरी जिले में गोमती का टूटा पुल

*३७--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में गोमती नदी का जो पुल टूट गया है वह कितने दिनों में बन कर तैयार हो सकेगा और कितना पैसा खर्च होगा ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--लगभग दो साल।
द्वितीय भाग--लगभग ५,०६,००० रुपये।

श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो पुल बनवाया जायगा जिसमें लगभग ५ लाख ६ हजार रुपये खर्च होंगे वह किस चीज का बनेगा, लकड़ी का, लोहे का या ईंट का या जैसा पहले था वैसा ही बनेगा ?

श्री महावीरसिंह--वैसा नहीं बनेगा मजबूत बनेगा।

श्री बंशीधर शुक्ल--जब तक यह पुल बनेगा तब तक यात्रियों, मोटरों, बसों और सवारियों के आने जाने के लिये क्या प्रबन्ध होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--वहां एक टेम्पोरेरी पुल लकड़ी का बना दिया गया है। उसके ऊपर जो हलकी गाड़ियां वगैरह हैं वह निकल सकती हैं और जो भारी गाड़ियां हैं उनको भी खाली कराकर निकाल दिया जाता है।

यह पुल पक्का सीमेंट का बढ़िया बनेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के टूटने का क्या कारण था ?

श्री गिरधारी लाल---कारण यह था कि उस पर जो रोडवेज की गाड़ी जा रही थी उसमें जितना लोड था वह उससे ज्यादा था जो उस पुल पर से ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिये था।

मैनपुरी-इटावा सड़क की मरम्मत

*३८---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी से इटावा जाने वाली जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है उसमें एक मील की ऐसी खराब हालत हो गई है कि मोटरें सवारियों को बैठाल कर उस पर नहीं चल सकती हैं और इस सड़क पर बहुत गहरे गड्ढे हैं और रेत है इसके कारण रोज कोई न कोई मोटर उनमें फंस जाती है ?

श्री महावीर सिंह---सड़क के कुछ मीलों में पिछली बरसात में पानी भर गया था। उन मीलों को ऊंचा उठाये जाने के कार्य के सम्बन्ध में मिट्टी डाली गई है जिससे यातायात में कुछ कठिनाई है।

*३९---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत कराने की कृपा की जावेगी ?

श्री महावीर सिंह---मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि मैनपुरी से इटावा जानेवाली सड़क पर मरम्मत किस तारीख से शुरू हुई और किस तारीख तक काम खत्म हो जायगा ?

श्री महावीर सिंह---बरसात के बाद बराबर काम चल रहा है।

पंचायत विभाग, जिला गोंडा में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*४०---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कुल कितने पंचायत सेक्रेटरी और कितने ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े जाति के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला गोंडा में कुल २६५ पंचायत सेक्रेटरी और १०१ ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरीज में ९ हरिजन व २० पिछड़ी जाति के हैं तथा ग्राम सेवकों में ९ हरिजन व ७ पिछड़ी जाति के हैं।

*४१---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला गोंडा में जनवरी, १९५९ में पंचायत मंत्रियों का चुनाव किया गया ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आये और इंटरव्यू (साक्षात्कार) में कितने आये, कितने चुनाव में लिये गये ? उनमें कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव---जी हां, जिला गोंडा में जनवरी, १९५९ में पंचायत मंत्रियों का चुनाव किया गया था कुल ९० व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र आये, साक्षात्कार में ४२ व्यक्ति उपस्थित हुए, इनमें ७ हरिजन और ८ पिछड़ी जाति के थे, इनमें से २१ व्यक्ति चुने गये जिनमें ३ हरिजन और ३ पिछड़ी जाति के हैं।

श्री अध्यक्ष---किससे साक्षात्कार हुआ और किसने साक्षात्कार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इंटरव्यू से मतलब था, श्रीमन्।

श्री गंगा प्रसाद—मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि रिजर्वेशन पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि इसमें रिजर्वेशन पूरा होगा या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिजर्वेशन तो धीरे-धीरे पूरा होगा। जितने अच्छे मिल जाते हैं वे रख लिये जाते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सरकार के विचाराधीन यह मामला है कि पंचायत राज सेक्रेटरियों और ग्राम सेवकों के पद मिला दिये जायं। यदि हां, तो उस पर कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—विचाराधीन तो है और इस विषय पर कुछ सुझाव आये हैं, लेकिन कब तक अन्तिम निर्णय हो सकेगा यह कहना संभव नहीं है।

श्री रामशरण यादव—हरिजनों के रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं पड़ रहा है तो क्या प्रार्थना पत्रों की कमी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर में दोनों बातें बता दीं। ७ प्रार्थना-पत्र थे और उनमें से ३ हरिजन ले लिये गये हैं।

श्री रामशरण यादव—यह जो ४ प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट किये गये इसका क्या कारण था ? योग्यता की कमी थी या और कोई कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव—नियमित योग्यता तो रखते थे, लेकिन औरों के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं थे कि वह लिये जा सकते।

कार्य सूची में प्रश्न रखने की प्रणाली में परिवर्तन का सुझाव

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। आज के लिये ४१ प्रश्न निर्धारित थे जिनमें से १७ पोस्टपोन हो गये तो केवल २४ प्रश्न ही बाकी रह गये। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि संबंधित मंत्रियों से ऐसा एड-जस्टमेंट हो जाय जिससे करीब-करीब बराबर सवाल हो जाया करें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—वह तो मंत्रियों के लिये जो दिन मुकर्रर हैं उसी के अनुसार प्रश्न लिये जाते हैं। अधिकतर रोजाना प्रश्न ज्यादा होते हैं। आज ही कम हो गये हैं इसलिये मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा बहस करने का मौका नहीं मिला।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अगर ऐडजस्टमेंट हो जाता तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—तत्काल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा ने दिया है जो सदन की कार्यवाही के संबंध में है। कल जो प्रस्ताव लिया गया था और सदन से स्वीकृत हुआ है तो उसके लिये कामरोको प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता। सदन की कार्यवाही के विरुद्ध कोई बात कामरोको प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—निवेदन के लिये कोई सामने सवाल नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, वह तो वैकल्पिक था लेकिन मुख्य मंत्री जी का द्वेष था इसलिय ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर आप बहस नहीं कर सकते हैं। जो सदन ने सवाल स्वीकार कर लिया है उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं उठ सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, आप देखें कि प्रक्रिया नियमावली के नियम २९९ के उप-नियम (२) के प्रोविजो (१) में लिखा हुआ है कि यदि कोई सदस्य निलम्बित किया जायगा तो "वह कालावधि किसी अवस्था में भी सत्र की अवशिष्ट अवधि से अधिक न होगी।" मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसमें ३० अप्रैल तक के लिये रखा है। हमें १६ अप्रैल तक सदन के चलने की सूचना है, इसलिये यह प्रस्ताव इस नियम के अन्तर्गत अवैध हुआ है।

श्री अध्यक्ष---इसमें यह दिया हुआ है कि निलंबन की अवधि किसी अवस्था में भी सत्र की अवशिष्ट अवधि से अधिक न होगी। इसमें "सत्र" शब्द है। इसका अर्थ यह है कि जब तक विधान सभा प्रोरोग न हो। अगर सत्रावसान बीच में हो जाय यानी १५ अप्रैल को हो जाय तो निलम्बन की अवधि भी खत्म हो जायगी, क्योंकि नियम बने हुए हैं और वह बराबर लागू रहेंगे और उनके विरुद्ध और कोई चीज नहीं हो सकेगी। लेकिन आज हम नहीं कह सकते कि सत्रावसान कब होगा। यद्यपि प्रस्ताव में मियाद सीमित हो जाती है तो भी सत्रावसान होने से नियमों के अनुसार कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जब सत्रावसान होगा तो उसकी नियमानुसार मियाद भी खत्म हो जायगी। लेकिन यदि सत्रावसान ३० अप्रैल के बाद में होता है तो ३० अप्रैल को निलम्बन खत्म हो जायगा, क्योंकि ३० अप्रैल से अधिक का सदन का प्रस्ताव नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था इस पर दे रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव अनियमित हुआ या नहीं। इस हिसाब से उनका प्रस्ताव अनियमित हुआ।

श्री अध्यक्ष---जब मालूम ही नहीं कि सत्रावसान कब होगा तो प्रस्ताव कैसे अनियमित हो सकता है।

श्री उग्रसेन---जहां तक हमको कार्यक्रम मिला है, १६ तक का मिला है।

श्री अध्यक्ष---कार्यक्रम तो घटता बढ़ता रहता है। बैठक समाप्त होने से सत्र थोड़े ही खत्म होता है। सत्र तो जारी रहेगा। अगर चार रोज बैठक बन्द कर दें और फिर शुरू कर दें तो सत्र तो वही रहेगा।

श्री उग्रसेन---जो प्रस्ताव कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया वह अनियमित था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। उसका मतलब यही होगा कि अगर सत्रावसान हो जायगा, मान लीजिये ८ दिन के अन्दर सत्रावसान हो जाता है, तो चाहे जितने दिन के लिये सदन का प्रस्ताव हो निलंबन की अवधि खत्म हो जायगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं और वह इस सिलसिले में कि एक फैसला हाउस ने ले लिया। लेकिन आप से अपील यह करनी है कि यह अवधि जो है बहुत लम्बी है और पूरे सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा है इसमें राजनारायण जी इससे गैर हाजिर रहेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर आप विचार करें और मैं आप से यह नहीं कह रहा हूं कि आप फौरन इस पर कोई निर्णय दे दें ....

श्री अध्यक्ष---मैं आपको नियम बता देता हूं ? इसमें दिया हुआ है---"किन्तु सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह संकल्प कर सकेगा कि ऐसे निलम्बन को समाप्त कर दिया जाय।" इसलिये अगर सदन चाहे तो उस निलम्बन को आज खत्म कर सकता है। तो जो सुझाव आपने दिया है वह चूंकि सदन ने निश्चय किया है तो यह सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये हो सकता है कि वह उस पर विचार करें, क्योंकि अगर करना है

तो प्रस्ताव ऐसा नहीं होना चाहिये कि ऐसा रोज प्रस्ताव सदस्य लाते जायं और नामंजूर होता जाय। इसलिये आप लोग विचार कर लें। मैंने आपको नियम इसलिये बतला दिया कि मैं रूलिंग से यह तय नहीं कर सकता, सदन को तय करना पड़ेगा।

श्री गेंदा सिंह---मान्यवर, तो मैं प्रस्ताव ही यह देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप नेता सदन से बात करके करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री गेंदा सिंह---तो मैं इस समय नहीं करता हूं।

३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ४-५ से संबद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

श्री अध्यक्ष---दिनांक ३ मार्च, १९५९ को श्री मदन पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ तथा ५ के संबंध में वित्त मंत्री वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---तारांकित प्रश्न ४ व ५ के संबंध में ३ मार्च, १९५९ को श्री मदन पांडेय के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था---

"१२,००० तक वालों को कुछ नहीं देना होता है और १२,००० से १८,००० तक वालों को १८ रुपया १२ आना देना होता है यह ज्यादा नहीं है जो तिजारत गल्ले की करने वाले हैं वह इतना तो दे ही सकते हैं।"

उक्त उत्तर कुछ त्रुटिपूर्ण था। सही उत्तर इस प्रकार है---

"१२,००० रुपये तक वालों को १८ रुपया और १२,००० रुपये से २५,००० रुपये तक वालों को १५० रुपये कर मुक्ति शुल्क के रूप में देना होता है। यह ज्यादा नहीं है, जो तिजारत गल्ले की करने वाले हैं वह इतना तो दे ही सकते हैं।"

आपसे प्रार्थना है कि ३ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

श्री ब्रज नारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या इस सदन के मंत्री जी के भाषण के मुताबिक जो २५ हजार तक की छूट का वादा किया गया था उस पर अमल किया जायगा?

श्री अध्यक्ष---आप अनुपूरक प्रश्न इस वक्त नहीं कर सकते हैं। आप यह उत्तर सुन लेने के बाद फिर नए प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैंने एक अविश्वास का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के खिलाफ दिया है। उसमें १४ दिन का नियम है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस दिन विचारार्थ प्रस्तुत होगा।

श्री अध्यक्ष---पहले अनुमति लेनी होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---दिन तो मालूम हो जाय। ऐसा न हो कि हम न उपस्थित रहें।

---

*तदनुसार ३ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में संशोधन कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष---आप अनुमति लेने के लिए किस रोज चाहते हैं ? आज आप सदन की अनुमति चाहते हैं, कल या परसों ? १४ रोज के अन्दर जब आप बता दें मैं मुकर्रर कर दूं आपकी मरजी के मुताबिक ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं सूचित कर दूंगा आपको ।

श्री अध्यक्ष---आज आप बता दीजियेगा तब तो मैं कल के लिए रख सकता हूं लेकिन कल सबेरे बतायेंगे तो दूसरों को सूचना नहीं मिल सकेगी ।

१९,२० तथा २१ मार्च, १९५९ को बैठक का समय बढ़ाने का निश्चय

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---यह सदन २१ तक रहेगा या २३ को भी चलेगा ? श्रीमन्, इसके बारे में सूचना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल या माननीय पालीवाल जी इस विषय में सूचना देने वाले थे कि २३ तारीख को अगर सदन नहीं बैठेगा तो क्या तजवीज की जायगी । इस विषय में आपने कहा था कि बतायेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है---मैं अभी तक सोशलिस्ट पार्टी के उप नेता से तो स्वयं परसनली बात चीत नहीं कर पाया हूं, मैंने कहा तो था एक सज्जन से---लेकिन हम चार पार्टियों की राय यह है कि २० और २१ को तो दो घंटे ज्यादा बैठ कर हम २३ के चार घंटे पूरा कर लें और २३ को छुट्टी रहे । २४ को छुट्टी है ही ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय पालीवाल जी एक बुजुर्ग आदमी हैं । जो उन्होंने कहा ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है । ठीक ही सुझाव उन्होंने दिया है ।

श्री अध्यक्ष---तो २० और २१ को दो दो घंटे ज्यादा बैठ लिया जाय । ठीक है---इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल कब लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसके माने उसके लिए एक घंटा और बैठना पड़ेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि अगर सरकार को कोई विशेष कठिनाई न हो तो वह ३० को लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह कौंसिल में जाना है, उसकी आवश्यकता अधिक है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कौंसिल में ३१ को चला जायगा, एक बात, और दूसरी बात, क्या यह नहीं हो सकता कि इसको ३० को पांच बजे लेने के बजाय ३० को पहले ले लिया जाय और कौंसिल में भेज दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसको हमने सोचा था । यह सम्भव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कौंसिल में कोई डिटेल्डविचार तो होता नहीं बजट पर । एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलने का मौका रहता है । उनके यहां पास होने के बाद इस सदन में फिर आता है और तब उसके बाद गवर्नर के यहां जाता है मंजूरी के लिए तब लागू हो सकता है । हमने इस पर गौर किया २७ को उनके यहां नहीं पहुंचेगा तो पहली अप्रैल से लागू होना सम्भव नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं ऐसी हालत में एक चीज हो सकती है कि बृहस्पतिवार को आप एक घंटे अधिक बैठें, १ घंटे शुक्रवार को बैठें, यह तारीख १९ और २० हुई और तारीख २१ को आप दो घंटे के बजाय सिर्फ १ घंटा तो बैठे अनुदानों पर बहस के लिए और बाद में एक घंटे में ऐप्रोप्रिएशन बिल ले लें । तो इस प्रकार एवज में एक दिन के पांच घंटे अधिक हो जायंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मुझे एक आपत्ति है । जो प्रोग्राम मुकर्रर है पहले से जैसे २०-२१ को ग्रान्ट हरिजन संबंधी है तो उस ग्रान्ट को लेने के बाद समय बढ़ाया जायगा किसी नई ग्रान्ट में या उसी में समय बढ़ाया जायगा । आप प्रोग्राम को देख लें ।

श्री अध्यक्ष---यह पुलिस का अनुदान तारीख १७-१८ को है, तो वह तो रहेगा ही और १९-२० को शिक्षा पर भी बहस होगी १९ को एक घंटे अधिक बैठा जायगा और शिक्षा ही में उस समय बहस रहेगी । एक घंटा शिक्षा में लिया जायगा इसका मतलब यह है कि १ घंटा शिक्षा की बहस के लिए १९ को अधिक दिया जायगा । और वह १ घंटा तारीख २० में कम कर दिया जायगा । तारीख २० में शिक्षा पर विवाद ४ बजे खत्म हो जायगा । शिक्षा के लिए जितने घंटे आपको चाहिए उतने ही घंटे आप ले लें । मैंने तो बैठने का समय बढ़ाया है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा को बीच में छोड़कर दूसरा विषय ले लिया जायगा .....

श्री मोती लाल अवस्थी---मैं नहीं समझ पाया ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझाये देता हूं । १९, २० को शिक्षा का विषय है । जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से ५ घंटे १९ को और ५ घंटे २० को कुल १० घंटे शिक्षा के लिए हुए । तो १९ को ६ घंटे शिक्षा पर बहस होगी और ४ घंटे २० को होगी और शिक्षा का विषय समाप्त हो जायगा । उसके बाद अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का विषय ले लिया जायगा ४ बजे से और वह २ घंटे चूंकि वक्त उस रोज बढ़ा हुआ रहेगा इसलिये ७ बजे तक बैठेंगे और २१ तारीख को ६ बजे तक बैठेंगे और अनुसूचित जाति का ही विषय लेंगे और ६ बजे उसको समाप्त करेंगे । उसके बाद १ घंटे एप्रोप्रियेशन बिल होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं और वह यह है कि जिन दिनों में उधर समय बढ़ाया जाय उन दिनों १० बजे से सेशन बैठे ।

श्री अध्यक्ष---शाम को बहुत अधिक समय न बढ़ाया जाय यह आप कहते हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर---जी हां ।

कई सदस्य---ठीक है, ठीक है ।

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह है कि १९ तारीख से १० बजे से समय रखा जाय और ६ बजे तक समाप्त कर दिया जाय । यानी जिस रोज दो घंटा बढ़ाया जायगा उस रोज ६ बजे समाप्त किया जायगा और जिस रोज १ घंटा बढ़ाया जायगा उस रोज १० बजे से चूंकि शुरू होगा इसलिए वही ५ बजे तक समय रहेगा ।

सत्रावसान के संबंध में जानकारी की मांग

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, कुछ स्पष्टीकरण आपके द्वारा में माननीय मन्त्री जी से चाहता था, अगर वह देना चाहें तो दे दें । माननीय मन्त्री जी ने कल जो निलम्बन का प्रस्ताव रखा था उससे लोगों को यह गलतफहमी हो रही है कि यह सेशन १६ के बजाय ३० अप्रैल तक शायद चले .....

श्री अध्यक्ष---अब इस विषय में आप प्रश्न न करें । एक और भी सुझाव यहां पर आया हुआ है....

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---यही जानना चाहता था कि १४ दिन का सेशन बढ़ तो नहीं रहा है ?

श्री अध्यक्ष---नहीं । यह उसी के साथ बातचीत कर लेंगे । बार बार उसी बात को क्यों उठाया जाय ।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक २९---पुलिस

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान जारी होगा । माननीय गृह मन्त्री ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८---पुलिस---लेखा शीर्षक : २९---पुलिस के अन्तर्गत ९,४१,८४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, पुलिस विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए कोई नयी बात कहने की विशेष आवश्यकता नहीं होती । इसलिए कि यह एक प्रशासकीय विभाग है और इसका बजट भी एक जाब्ते का बजट होता है । इसके खर्चे की मदें वर्ष प्रतिवर्ष सदन के सम्मुख आती रहती हैं बजट के रूप में और स्वीकार होती रहती हैं और प्रायः खर्च की जो मद एक वर्ष होती है वही दूसरे वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि यह कोई नया विभाग नहीं है योजना अथवा विकास के अन्तर्गत जिसमें कुछ नया काम करते हों या खर्च की नयी मदें आती हों । एक प्रशासकीय विभाग होने के कारण उसका खर्च भी और खर्च के मदें भी करीब-करीब बंधी हुई होती हैं ।

ऐसी स्थिति में इस विभाग के बजट को प्रस्तुत करते हुये किसी नई बात को कहने की कोई विशेष गुंजायश भी नहीं रहती । इस विभाग के बजट पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि जो भी रकम इसमें रखी जाती है उसका ८० प्रतिशत इसके वेतन तथा जो भिन्न भिन्न प्रकार के भत्ते हैं उन पर खर्च हो जाता है । जो २० प्रतिशत बचता है उसका भी एक बंधा हुआ सा खर्चा है । सामान की खरीद पर, अस्त्र-शस्त्र की खरीद पर, वर्दी इत्यादि की खरीद पर वह २० प्रतिशत भी खर्च होता है । जैसा मैंने निवेदन किया कि वह भी एक बंधा हुआ सा खर्च है और उस रकम के खर्च की यह एक बंधी हुई मद है । उसमें यह खर्च होता रहता है ।

इस वर्ष के बजट को यदि देखें और आगामी वर्ष के बजट को भी, जो कि माननीय सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है उसमें गतवर्ष के बजट की तुलना में लगभग ५० लाख रुपये की वृद्धि दिखाई देगी । गत वर्ष जो रकम रखी गई थी उससे आगामी वर्ष के लिये ५० लाख कुछ हजार की वृद्धि की गई है, परन्तु यह वृद्धि इस बजट में किसी ऐसे कारण से नहीं हुई कि कोई पुलिस फोर्स को विशेषरूप से बढ़ाने की चेष्टा की गई हो अथवा कोई और नया कार्य शुरू किया जा रहा हो । प्रत्युत जो वृद्धि हुई है उसका सब से बड़ा कारण तो भत्ते में वह वृद्धि है जिसका प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है यानी १०० रुपये से नीचे वेतन पाने वालों के लिये २।। रुपया और १०० रुपये से २०० रुपये वेतन पाने वालों के लिये जो ५ रुपये की वृद्धि की गई है उसके हिसाब से पुलिस मुहकमे में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो १०० तथा २०० के नीचे तनख्वाह पाते हैं । उनके भत्ते में वृद्धि होगी । तो इस ५० लाख रुपये की वृद्धि में करीब करीब ३३।। लाख रुपया तो

उसी भत्ते की वृद्धि है । दूसरी वृद्धि लगभग १२ लाख रुपये की जो सालाना वेतन में वृद्धि होती है, उसके लिये जो खर्च होगा वह रकम रखी गई है, क्योंकि आगामी वर्ष में जो इस विभाग के कर्मचारी हैं नियमानुसार उनके स्केल में वार्षिक वृद्धि के लिये यह १२ लाख रुपये की उस मद में रकम रखी गई है । तो ५० लाख में से ४५ लाख रुपये तो यही हो जाते हैं ।

४ लाख ८१ हजार रुपये दूसरी मदों की वृद्धि के लिये रखे गये हैं । उसके मुताल्लिक भी यदि आप बजट के साहित्य को देखें तो आप देखेंगे कि वह भी एक प्रकार से बंधा हुआ सा खर्च है । प्रतिवर्ष हम कुछ चौकियों को थानों में परिवर्तित करते हैं । जो मांग और आवश्यकता होती है बहुधा इस सदन में यह मांग होती रहती है कि यह चौकियां थानों में बदली जायं, तो उस मांग के अनुसार हम कुछ नई चौकियां और थाने स्थापित करते हैं । इसके अलावा कुछ सामान की भी खरीद होती है । वह सब बजट के आइटम में दिया हुआ है । यदि आप देखें तो जो आग बुझाने के लिये हमारी सर्विसेज हैं उसके लिये कुछ सामान की आवश्यकता है । उसकी खरीद के लिये कुछ पैसा रखा गया है झांसी में ललितपुर डिवीजन में नयी चौकी कायम कर रहे हैं, कुछ चौकियों को थाना बना रहे हैं । बस्ती में इन्डो-नैपाल बोर्डर पर हमारी सीमा पड़ती है, उसकी देख रेख के लिये कुछ आदमियों की नियुक्ति और एक नयी चौकी स्थापित कर रहे हैं । उसका भी इसमें एक आइटम है ।

इस प्रकार से साधारणतः अस्त्र-शस्त्र की खरीद, थोड़ी सी चौकियों को थाना बनाना, कुछ नयी चौकियां कायम करना, कुछ नये थानों की स्थापना करना आदि के कारण से ४८१ हजार रुपये की वृद्धि होगी । मुख्यतः ३ मदों में ५० लाख की वृद्धि होगी, ३३ लाख उन भत्तों के अनुसार जो नये तौर पर उनको दिया जायगा, १२ लाख नेचुरल इन्क्रीमेंट्स से, पौने पांच लाख के करीब और प्रकार से खर्चा अधिक होने जा रहा है । अन्यथा इस वर्ष का जो बजट था प्रायः वही इसमें भी है । पुलिस के इस बजट में एक खासी रकम भारत सरकार से पानी होती है, क्योंकि हम उनका कुछ काम करते हैं । उसका हमें ९० लाख रुपया मिलेगा । उसको भी इसमें से घटा दिया जाय तो हमारे बजट में समुचित कटौती हो जाती है । इस प्रकार से यह पुलिस के बजट की रूपरेखा संक्षेप में है । मैं आरम्भ में अधिक समय इसलिये नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कुछ माननीय सदस्यगण सुझाव देंगे, उनके संबंध में कुछ निवेदन करूंगा । केवल १-२ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

बहुधा ऐसा समझा जाता है और इस प्रकार की टीका होती है कि हम पुलिस के ऊपर खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं । ऐसी धारणा इस सदन के भीतर भी है और बाहर भी । कभी कभी तो आवेश में या उत्साह में इस प्रकार भी टीका कर दी जाती है कि इस प्रकार से पुलिस राज्य कायम किया जा रहा है । यदि इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करें तो हम पायेंगे कि आज से १०-१२ वर्ष पहले जो खर्चा हम करते थे सन् ४६-४७ में, उससे इस ५९-६० के बजट में इसमें संदेह नहीं कि खर्चा बढ़ा है । सन् ४६ के बजट से भी यदि तुलना करें तो भी खर्चा बढ़ा है, परन्तु उसके विषय में यदि आप थोड़ी सी भी समीक्षा करें तो ऐसा लगता है कि सन् ५० के बाद के पुलिस के कर्मचारियों को जो अनेक सुविधायें दी गयी हैं, उनके कारण यह खर्चा बढ़ा है । पुलिस के मुहकमे में लोगों को अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है, इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं । यह ऐसा विभाग है जिसमें आदमी २४ घंटे काम करता है, कठिनाई में काम करता है, कभी कभी अपने को खतरे में डालता है, ड्यूटी भी उनकी २४ घंटे की हो जाती है और जिस प्रकार वे रखे जाते हैं वह भी एक बहुत सख्त तरीके से रखे जाते हैं । उनकी जिन्दगी बड़ी सख्त होती है, वे परिवार से अलग रहते हैं, सारी उनकी दिक्कतें और कठिनाइयां रहती

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हैं और उनको सुविधायें देना सभी दृष्टि से आवश्यक है, और इस आदरणीय सदन में भी उनकी सुविधा की मांग बार-बार सदा ही जब कभी यह प्रश्न आता है, इधर से हो या उधर से हो, यह मांग की जाती है कि उनको ये सुविधायें मिलनी चाहिये और उनको ये सुविधायें दी जायं। पिछले ५३–५४ से लेकर ५८–५९ के बजट तक उनको जो सुविधाएं दी गयी हैं, वेतन में जो वृद्धि हुई, भत्ते में जो वृद्धि हुई, कुछ प्रकार के नये भत्ते जो दिये गये, स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने में जो वृद्धि हुई, वर्दी देने में जो वृद्धि हुई, इन तमाम चीजों को यदि देखें और साथ ही साथ तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता के लिये जो मदें कायम की गयीं और रकम रखी गयी है। इन सब को देखें तो मैं समझता हूं कि यह अन्दाजा लगेगा कि यह जो खर्च बढ़ा है वह इस भांति विशेष रूप से बढ़ा है।

सन् ४६ में एक पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह २४ रु० थी और भत्ता शायद १४ रु० था जब कि अब उनकी तनख्वाह ३० रु० है और २५ रु० भत्ता है, दो तीन और भत्ते मिलते हैं, ४ रु० का एक और भत्ता मिलता है। इस तरह से विशेष अवसर के भत्तों को छोड़ कर उसे करीब ६० रु० तनख्वाह आज पड़ती है। हेड कांस्टेबिल को पहले ३० रु० तनख्वाह मिलती थी जो अब ५० रु० है और ३० रु० डियरनेस एलाउंस है। इस प्रकार की सुविधाएं जो उनको मिली हैं उसकी वजह से असल में ज्यादा रकम बढ़ गयी है। अवश्य ही पी० आर० सी० के सुझाव पर पी० ए० सी० भी कायम हुई है, जिसकी वजह से भी खर्चा बढ़ा है। तो वास्तव में पुलिस फार्स में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि उनके भत्ते में जो थोड़ी बहुत वृद्धि है उसकी वजह से यह खर्च बढ़ा है। मैं समझता हूं कि यह जायज वृद्धि है और जिसके बारे में बराबर ही आदरणीय सदन में भी ऐसे सुझाव रखे जाते रहे हैं और मांग की जाती रही है।

जहां तक फायर सर्विस यानी आग बुझाने वाली सर्विस का सम्बन्ध है, जो इसी विभाग का एक अंग है, उसका भी थोड़ा बहुत विस्तार हुआ है, जिससे भी खर्चा बढ़ा है। अवश्य ही इस अंश का विस्तार अत्यधिक होने की आवश्यकता प्रतीत होती है। हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे बड़े-बड़े नगर हैं, जिले की तो बात जाने दीजिये जहां फायर सर्विस के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है और वहां इसके विस्तार होने की आवश्यकता है। परन्तु कवाल टाउन में जो थोड़ा बहुत प्रबन्ध बढ़ा है उससे कुछ खर्चा बढ़ा है और इस तरह से पुलिस फोर्स को बढ़ा कर कुछ खर्च बढ़ाने की चेष्टा की गयी है।

हमारे यहां रेडियो सेक्शन भी स्थापित हुआ है जो बहुत ही उपयोगी सा कार्य कर रहा है। साइंटिफिक ढंग से क्राइम्स के इन्वेस्टीगेशंस हों, उसके लिये भी लखनऊ में एक फोरेंसिक लेबोरेटरी कायम हुई है जहां पर वैज्ञानिक ढंग से क्राइम्स के इन्वेस्टीगेशंस हो सकेंगे, केमिकल एक्जामिनर साइंटिफिक तरीके से अपराधियों का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। इस बात की बार-बार मांग भी की जाती रही है कि आज कल कुछ नये प्रकार के वैज्ञानिक ढंग निकले हैं जिनसे अपराधी की खोज-खाज और जांच तड़ताल करने में बहुत सहायता मिल सकेगी। इसका भी प्रयास है और उसके लिये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी कायम की गई है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी कायम की है जिसका उद्देश्य यह विचार करना है कि किन-किन साधनों से सम्पन्न करना है और किन-किन साधनों की इसके लिये आवश्यकता होगी। तो यह चीजें हुई हैं जिनकी वजह से खर्च में तब से और आज में वृद्धि हुई है और उसका यह अर्थ कि दुगना खर्च बढ़ा दिया गया और कोई पुलिस का राज्य कायम कर दिया गया यह साधार नहीं है।

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज देख ही रहा था कि सन् १९४६ में हमारी स्टेट रेवेन्यू का १३ प्रतिशत और स्टेट के खर्च का १३.२ प्रतिशत अनुपात पुलिस पर खर्च होता था और आज उसके मुकाबले में स्टेट के रेवेन्यू का ७.८७ प्रतिशत और स्टेट के खर्च का ७.७५ प्रतिशत खर्च हो रहा है। हमारी आबादी सन् १९४६ से इस समय १६.८८ प्रतिशत बढ़ी है और इस समय प्रति १,००० पर .९७ का औसत है पुलिस का। शायद देश भर में बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़ कर सबसे कम है। खर्च भी जो इस पर पड़ता है पर कैपिटा वह १.३३ नये पैसे है जब कि बंगाल में २.४४ नये पैसे और बम्बई में २.५० नये पैसे हैं। तो इस प्रकार देखें तो यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां खर्चा उसके ऊपर विशेष रूप से बढ़ा है। और जो वृद्धि हुई है उसके बारे में यह सोचा जाय कि कोई पुलिस का राज्य विशेष रूप से कायम करने के लिये यह वृद्धि की गई और विभाग में जो काम हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में इस समय में विशेष रूप से कहना नहीं चाहूंगा। केवल एक आध बात को सूचना दे देना चाहता हूं, जैसे पिछली बार भी यह मांग थी कि हमारी कम्प्लेंट की जो स्कीम है वह सी० आई० डी० के आधीन कर दी जाय। इस विषय में कुछ पुनर्संगठन हुआ है। सी० आई० डी० विभाग को हमने इस समय दो हिस्सों में बांटा है, एक इंटेलीजेंस और एक इन्वेस्टीगेशन। डी० आई० जी० इंटेलीजेंस और डी० आई० जी० इन्वेस्टीगेशन। उस हिसाब से इंटेलीजेंस का जो काम है वह विशेष रूप का काम है और विशेष आवश्यकता रहती है किसी स्वतंत्र देश में, उसके लिये ट्रेन करने की भी जरूरत रहती है, ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, और उस दिशा में हमारी उपेक्षा न रहे इस विचार से इंटेलीजेंस का एक हिस्सा सी० आई० डी० से अलग किया। और कम्पलेंट की स्कीम का जो हिस्सा रहा है वह अभी तक डी० आई० जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रहा, उसे अब डी० आई० जी०, सी० आई० डी० के अधीन कर दिया है। ऐसी मांग भी बार-बार सदन में रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बटवारे से हमारे आगे के काम में सहूलियत भी मिलेगी। कम्पलेंट की स्कीम में यह भी मांग रही है कि इस बात की आवश्यकता न रहे कि जब तक किसी विभाग के अध्यक्ष की राय न हो या मंजूरी न दे तब तक किसी शिकायत की जांच न की जाय। उसमें परिवर्तन हुआ। अब कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि किसी भी विभाग की शिकायत आये उनके पास तो उसको सीधे ही वह बिना उस आफिस के हेड से पूछे हुये, चाहे किसी विभाग की हो, जांच करा सकते हैं और उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। जो आफिसेज के हेड हैं उनके लिये भी यह लाजमी कर दिया गया है कि यदि उनके पास कोई शिकायत आये और वह कम्पलेन्ट के डिपार्टमेन्ट को न भेजें, कलेक्टर के यहां किसी वजह से न भेजें तो उनको वह वजह लिखनी पड़ेगी और इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी। ऐसी मांग भी रही है, और यह आवश्यकता भी समझी जाती रही है। यह सुधार उसमें कर दिया गया है।

गत वर्ष, गत वर्ष क्या इस चालू वर्ष में हमारे प्रदेश में डकैतों से कई स्थानों पर विशेष रूप से मुकाबला हुआ और इस प्रचलित वर्ष में इस बात की चेष्टा की गई कि इन डकैतों के गिरोहों को जहां तक हो सके खत्म करने की भरपूर कोशिश की जाय। कई स्थानों में खास कर के झांसी के ललितपुर के एरिया में, शाहजहांपुर में, खीरी में, गोरखपुर में, बुलन्दशहर में इस प्रकार के मुकाबले हुये, और बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारी जो विलेज डिफेन्स सोसाइटीज कायम हुई हैं, उनसे बड़ी मदद मिली। जहां पुलिस को आवश्यकता पड़ी उन्होंने सहायता दी। कहीं-कहीं जहां पुलिस उन्हें उपलब्ध नहीं थी उन्होंने भी कई स्थानों पर बड़ी बहादुरी से मुकाबिला किया। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे पता लगता है कि प्रायः १०० के करीब स्थानों पर हमारी विलेज डिफेन्स सोसाइटीज ने भी गिरोहों का मुकाबला किया। बहुत से डकैतों को उन्होंने मारा है, बहुतों को गिरफ्तार किया है और कतिपय स्थानों पर उसमें काम करने वाले ने बड़ी वीरता के साथ स्वयं अपने प्राण गंवाये हैं। पुलिस ने भी जिन स्थानों पर मुकाबला किया उनमें कई स्थानों पर हमारे पुलिस के सिपाहियों ने अपने प्राण दिये हैं, खतरा उठाया है। अभी हाल की शाहजहांपुर की घटना है। जहां हमारे सब इंस्पेक्टर की भी जान गई। यद्यपि उन्होंने अपने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्राण दिये तथापि वह गोल का मुकाबला करने में,गिरफ्तार करने में और जो मुखिया था उसको हमारे दल ने मार लेने में सफलता प्राप्त की । ऐसी अनेक घटनाएं हैं । इस बार इस चीज का विशेष प्रयास हुआ है ।

अब मैं अधिक समय न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के संबंध में जो शिकायतें बहुधा आती हैं और रहती हैं उनके विषय में जानकारी आदरणीय सदन के सदस्यों को है और मेरे पास तो इस प्रकार की बहुत शिकायतें आती ही रहती हैं । शिकायतें हैं और शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी करना है । इस बात की चेष्टा बराबर होती रही है और हो रही है कि इस मुहकमें के लोग हमारी साधारण जनता से विशेष प्रकार के नम्रता के व्यवहार करने की आदत करने की डालें । सबसे बड़ी शिकायत इसी बात की हो जाती है, और बार-बार इस बात के आदेश भी जारी किये गये हैं । कई तरीके भी बरते गये हैं । कुछ उनसे सोशल-सर्विस भी लेने की चेष्टा की गई है । जैसे खोये हुये बच्चों को ढूंढकर वापस करना । जो आंकड़े हैं उनसे पता लगता है कि जो स्क्वाड बनाया था लास्ट चिल्ड्रेन को ढूंढ़ने का उसने ६ हजार बच्चों को उपलब्ध करके उनके माता-पिता के पास पहुंचाया । और भी तरीकों से बराबर उन्हें इस बात की प्रेरणा दी जाती रही है और उन्हें आदेश दिये जाते रहे हैं कि वे इन रवैयों में कुछ रद्दो-बदल करें । मेरी ऐसी धारणा है कि बहुत कुछ, एक बड़ी सीमा तक उसमें परिवर्तन हुआ भी है ।

जहां तक जन-सम्पर्क की बात है उसके लिये विलेज डिफेन्स सोसाइटीज, राइफिल्स क्लब, सोशल सर्विस और दूसरे कम्पिटीशन आदि के काम भी चालू किये गये हैं, इस विभाग का काम बहुत कठिन है जैसा कि आप जानते हैं कि हम ने कुछ स्कीमें भी चलाई । पुलिस की हाउसिंग की स्कीम की बात है, वह बेचारे बैरेक्स में रखे जाते हैं जो कांस्टेबिल्स हैं, वह परिवार से और घर से अलग रहते हैं, एक सख्ती के साथ हम उन्हें बैरेक्स में रखते हैं, वेतन भी कम देते हैं पहले से जरूर अधिक देते हैं, लेकिन फिर भी २४ घंटे हम उनसे काम लेते हैं और जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है उस की दृष्टि से सभी सदस्य इस सदन के स्वीकार करते हैं कि उसमें बहुत कुछ सुधार और वृद्धि की गुंजायश है और वह होनी चाहिये, यद्यपि वह इतना बड़ा फोर्स है कि थोड़ी सी वृद्धि पर भी लाखों का भार बजट पर पड़ता है, यह कोई साधारण बात नहीं होती और इस तरह की सुविधाओं के देने से जो वृद्धि हुई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिला चुका हूं । उनका कठिन काम है जिनका उत्तरदायित्व शान्ति और व्यवस्था करने का है, समय मसय पर कड़ाई की भी आवश्यकता होती है और वह करते भी हैं, बहुधा उसमें अप्रियता उनके माथे लगती है, वे खतरा भी उठाते हैं । फिर भी यह एक ऐसा फोर्स है कि जो अनुशासित है और जिसे पूरी निष्ठा के साथ विभाग के प्रति काम करने की आदत भी होती है । आज देश का जमाना बदल चुका है और यहां लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है । इस परिस्थिति में बावजूद इसके कि उनका काम इतना कठिन है उन्हें परिवर्तित होना है और हमारे लिये भी यह आवश्यक है कि उस परिवर्तन की अपेक्षा करते हुये भी, जिन परिस्थितियों और कठिनाइयों में और जिस तरह का उनका काम है उसे देखते हुये हम उदारता की दृष्टि उन पर रखें ।

हमारा पुलिस फोर्स जब कभी कहीं बाहर गया है तो उसकी प्रशंसा हुई है । अभी मुझे सूचना मिली है कि आसाम में जिन हमारे आदमियों ने नागा होस्टाइल्स का मुकाबला किया और जिनका कठिन काम था, जिन में से ७ आदमी मारे भी गये, परन्तु उन्होंने नागाओं का मुकाबला कर के उन्हें परास्त किया । आसाम की सरकार ने उनको इनाम दिये हैं रुपया भी दिया है और मेडिल भी दिये हैं । हमारी पुलिस की जब कहीं से मांग होती है और आवश्यकता होती है तो कहा जाता है कि यू० पी० की पुलिस जहां कहीं भी भेजी गई है उस ने सन्तोषजनक ढंग से काम किया है । इसलिये हम कुछ उदारता से उनकी तरफ देखें और उनमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करें, जिसकी चेष्टा हो भी रही है और साथ ही साथ जिन कठिनाइयों में वे काम करते हैं उनका भी अनुभव और अनुमान करने की हम चेष्टा करें । देश में ऐसा युग तो आना ही है, जितनी

जल्दी आ जाय अच्छा है कि जब ऐसा समय आ जाय कि हमारी पुलिस भी वैसी ही हो जैसी कि लोकतंत्रात्मक देशों में होती है या होनी चाहिये । इसके लिये बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखें । इसकी जिम्मेदारी विशेषकर हमारे सार्वजनिक नेताओं पर, हमारे राजनैतिक दलों पर और उन सब पर है जो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं । जिन्होंने बराबर सेवा की है और जो भविष्य में करते रहेंगे किसी भी लोकतंत्रात्मक समाज में जहां कि लोकतंत्र की परिस्थिति .....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् जब सब के लिये समय निश्चित कर दिया गया है तो मंत्री जी के लिये कितना समय दिया जा रहा है, क्योंकि यह तो बराबर बोलते जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कभी नहीं किया कि समय निश्चित किया हो कि मंत्री कितनी देर बोलेंगे । वह भाषण समाप्त कर रहे हैं खुद ही ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं मान्यवर, तो जहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही हो वहां आवश्यक होता है कि हम शान्ति और व्यवस्था के निश्चित प्रबन्ध और अनुशासन की मनोवृत्ति के उदय होने में सहायक हों । जितना ही वह प्रयास होगा और जितनी ही वह परिस्थिति होगी उतनी ही शीघ्रता से आप उस कार्य और लक्ष्य का सम्पादन कर सकेंगे, जिसकी ओर यह प्रदेश और देश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ।

मायन्वर, आपकी आज्ञा से इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस अनुदान पर कृपया स्वीकृति प्रदान करे ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य के लिये ४० मिनट, ३० मिनट पहले और १० मिनट बाद में और अन्य बोलने वालों के लिये १२ मिनट का समय निश्चित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई ।)

तो यही समय रहा ।

***श्री मोती लाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज पुलिस अनुदान के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करते हुये प्रसन्नता है ।

श्री अध्यक्ष---आप उसे पढ़ दीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । विभाग में जनतांत्रिक पद्धति के न होने से उसके पुनस्संगठन की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि मेरे नाम से ७ नम्बर पर और २० नम्बर पर अन्य संशोधन भी हैं । यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं उन पर भी चर्चा कर सकूं. . . .

श्री अध्यक्ष---उस सम्बन्ध में आप जिक्र कर सकते हैं ।

श्री मोती लाल अवस्थी---मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में कटौती रखते हुये अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि अपने गृहमंत्री श्री कमलापति जी को उनकी इस सामर्थ्य पर उन्हें धन्यवाद दूं कि वह एक शिक्षा का कार्य सम्भालते हुये भी पुलिस का कार्य सम्भाल रहे हैं और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोती लाल अवस्थी]

यदि मैं एक अध्यापक के नाते यह दावा कर सकूं कि मेरा भी हृदय पुलिस के प्रति कोई कठोर स्वभावतः न होगा यदि मैं पुलिस के सम्बन्ध में निष्पक्ष भाव से कुछ महसूस करूं, तो उनको एतराज न होगा ।

मुझे पुलिस के सम्बन्ध में जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध है और जो खोज से मिला उसके आधार पर मैं जो कुछ जान सका वह रखना चाहता हूं । सबसे प्रथम मैं इस अपने देश में पुलिस के कार्यों को देखते हुये यह कह सकता हूं कि प्रत्येक राज्य को दो कर्तव्य निभाने पड़ते हैं । कुछ अनिवार्य कर्तव्य होते हैं और कुछ ऐच्छिक कर्तव्य होते हैं । अनिवार्य कर्त्तव्यों में से देश की शान्ति या आन्तरिक सुरक्षा एक परमावश्यक कर्त्तव्य है और आन्तरिक शान्ति को प्रत्येक राज्य ने रखना चाहा भी है । हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी अपने स्वराज्य के स्वप्नों में देखा था कि यद्यपि फौज का स्थान उसमें नहीं है, लेकिन पुलिस का स्थान उसमें अवश्य है । इस रूप में हम भी पुलिस की व्यवस्था को आवश्यक समझते हैं और उसको समझते हुये यह चाहते हैं कि पुलिस किस प्रकार की हो जो हमारे स्वराज्य के उपयुक्त हो । इस ओर देखते हुये हम उसकी कार्यप्रणाली, कार्य-शैली या उसकी प्रगति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं ।

सन् १९५८ का पुलिस विभाग का कार्य विवरण हमारे सामने है । श्रीमन्, उसकी पहली पंक्ति की अपनी एक विशेषता है । उसकी पहली पंक्ति यह है "१९५८ में एक के बाद दूसरे कई आन्दोलन शीघ्रतापूर्वक चलाये गये ।" श्रीमन्, इस पहले वाक्य से ही मालूम होता है कि किस भावना से पुलिस के कार्य का संचालन अपने प्रदेश में किया जा रहा है । बटलोही का एक चावल ही इस बात का द्योतक होता है कि किस भावना से पुलिस का कार्य संचालित होता है । मालूम होता है कि पुलिस की सारी कार्यसम्पन्नता इन आन्दोलनों को रोके रखने के कार्य में ही है । उसी के नीचे ठीक तीसरी और चौथी लाइन है "स्थिति का सामना करने के लिये पुलिस का विस्तृत प्रबन्ध करना पड़ा और स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लिया गया । छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से भी आलोच्य वर्ष में बड़ी चिन्ता रही । वाराणसी पुलिस को वाराणसी विश्वविद्यालय के छात्रों के आन्दोलन का सामना करने और उसे नियंत्रण में लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।" इसी के साथ दूसरे और तीसरे पन्ने में आखिरी लाइनों में लिखा है :—

"कुख्यात डाकुओं में, बुलन्दशहर के जेहानसिंह, मुजफ्फरनगर के दरियाव सिंह और शाहजहांपुर के श्यामबहादुर सिंह को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है । इन डाकुओं के गिरोहों को पकड़ने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । वर्ष की आखिरी तिमाही में रूपा का गिरोह आगरा जिले में सक्रिय रहा और उसने कुछ बड़े-बड़े डाके डाले, किन्तु इस गिरोह के विरुद्ध अब जोर शोर से कार्यवाही की जा रही है ।"

इन दोनों का ही अवलोकन किया जाय तो पता चलेगा कि जहां पुलिस का इन अशान्त व्यक्तियों का दमन करने के लिये प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिये उसमें वह कितने असफल रहे हैं । पुलिस दल उन गिरोहों को अब तक पकड़ नहीं पाये हैं । रूपा आदि का गिरोह अभी सक्रिय है और इनके विरुद्ध सफलता जिन लाइन्स में दिखाई गई है वह आपके सामने है ।

मैं चाहूंगा कि इस पुलिस का जो ऐतिहासिक तथ्य है वह भी आपके सामने रखूं । पुलिस नाम की संस्था पहले हमारे यहां नहीं थी । हिन्दू काल में और मुसलिम काल में भी इस प्रकार की पुलिस नहीं थी यह सर्वमान्य तथ्य है । फिर भी पुलिस का उद्भव सौ साल पुराना समझा जा सकता है । सन् १८६१ में पुलिस ऐक्ट के पास होने के बाद ही पुलिस नाम की संस्था का सृजन होता है । पुलिस का नाम स्वतः राबर्ट पील नामक गृह मंत्री के नाम पर पड़ा है जो किसी समय इंग्लैंड में गृह मंत्री थे । लेकिन अगर हम आपसे यह प्रार्थना करें कि यह पुलिस जो इंग्लैंड की ही प्रतिबिम्ब है और अगर हम उसी से उसका स्रोत देखते हैं तो हमें इंग्लैंड में चलती हुई पुलिस प्रथा पर कुछ न कुछ निगाह करनी पड़ेगी । उस देश में पुलिस का जो रवैया है, उसका जो संगठन है क्या उसका तारतम्य हम अपने देश में पा रहे हैं या नहीं ? मेरे सामने इस समय

बे० सी० पुरी की "इंडियन पुलिस" नाम की पुस्तक है । उसी के बीच में एक उल्लेख है जिसमें पुलिस के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख है । वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :---

"Thus the policing of England falls naturally to local bodies, and the English police forces are small, local and in most essentials locally controlled. Save Yorkshire, none even of the English counties is as big as an average Indian district."

वहां की पुलिस स्थानीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होती है और उसका सारा कार्य संचालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही हो पाता है । इस सिद्धान्त को लेकर वहां पुलिस स्थापित की गयी और आज भी वहां इसी प्रकार से संचालित है । यदि हम इस पुलिस के सम्बन्ध में अपने ऐतिहासिक तथ्यों को न भी देखें तो भी हम कहेंगे कि इस देश में जो शान्ति रक्षा की व्यवस्था थी वह किसी प्रकार गलत नहीं थी । इसकी पुष्टि में बहुत से विदेशी यात्रियों, फाह्यान आदि ने कहा है कि इस देश में घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे । इससे साबित है कि हमारे देश की आन्तरिक शान्ति बहुत सुन्दर थी । मेरे सामने एक किताब है जो पुलिस के सम्बन्ध में ही लिखी गयी थी "हिस्ट्री आफ दि पुलिस आर्गेनाइजेशन इन इंडिया" जिसमें आगे चलकर एक कमीशन ने जो कि लार्ड लैन्सडाउन के समय में स्थापित हुआ था अपनी रिपोर्ट में पेज ११ पर कहा है---

"That the responsibilities of the village watchman for the performance of village police duties should be recognized and enforced in every province, and that the village watchman should be a village servant, subordinate to the village headman and not to the regular police.

That the regular periodical attendance of village watchman at the police station is unnecessary and undesirable."

इसी प्रकार इसमें जो १८६० की रिपोर्ट है लार्ड लैन्सडाउन के समय की उसमें देश की पुलिस के बारे में कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य माने गये थे कि किस प्रकार से आन्तरिक व्यवस्था रखनी चाहिये । मैंने आपके सामने यह दिखाने की कोशिश की है कि पुलिस की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिये, लेकिन आज इस पुलिस की व्यवस्था किस प्रकार से उत्तरोत्तर किसी अन्य ओर जाती दिखायी देती है जिसका परिणाम यह है कि हमारे मंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा कि आज पुलिस राज्य का शब्द आम हो गया है । क्या मैं यह समझूं कि यह "पुलिस जुल्म" का शब्द किसी कवि या किसी मखौलबाज ने बनाया है ? नहीं, यह शब्द एक आम शब्द है और इसके साथ कुछ सत्यता भी है । यह शब्द क्यों आम जनता में फैल गया है ? हमारे मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि इस बजट में ५० लाख रुपये की वृद्धि की गयी है. . . . . .

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मोतीलाल जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो वे कह रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष---उनके बगैर बैठे हुये आप उनसे पूछ नहीं सकते, वे खड़े हुए हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं कह नहीं सकता कि माइक्रोफोन की कुछ खराबी है. . .

श्री अध्यक्ष---वे चाहते हैं कि आप जरा बीच में स्पेस दे दे कर बोलें, भाषण की स्पीड बहुत ज्यादा है ।

श्री मोती लाल अवस्थी---आपका जो हैमर है टाइम लिमिट का उसी वजह से जरा तेज बोलना पड़ता है । खैर, यदि वे जरा पेशेन्स से सुनें तो मेरी बात समझ लेंगे । आप देखें कि अभी हमारे गृहमंत्री जी ने इस वृद्धि का कारण बताया और कहा कि यह वृद्धि महंगाई या तनख्वाहों की वजह से हुई है या कुछ अन्य कारणों की वजह से हुई, लेकिन मैं उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जिनसे सब को यह प्रकट हो जायगा कि आज पुलिस पर जितना धन बरबाद हो रहा है उतना हमें परिणाम नहीं मिल रहा है और यह एक विशेष ध्यान देने वाली बात है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इस पुलिस के सम्बन्ध में दो तीन निगाहों से हमें देखना चाहिये । इसके द्वारा हम आन्तरिक सुरक्षा या रक्षा की उम्मीद करते है । तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आन्तरिक सुरक्षा कहां तक होती है । दूसरे इस पुलिस द्वारा जब हम अपने घर बार की रक्षा करवाते हैं तो ये हमारे घर वालों की तरह या हमारे सेवक दीख पड़ें तो हम महसूस कर सकते हैं कि पुलिस हमारे लिये आवश्यक कार्य करती है । इन बातों की तरफ निगाह करें तो मालूम होगा कि अभी तक पुलिस ने वह स्थिति प्राप्त नहीं की है कि भाईचारे के दायरे में लोग उसको देखें, लेकिन देखा यह गया है कि पुलिस चाहे छोटे गांव में हो या शहर में हो, इससे लोग हर तरह से भयभीत होकर या गैर समझकर किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखते हैं और उसका परिणाम यह है कि आज क्राइम बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है और उसका दमन नहीं हो सका है । मंत्री जी ने कुछ आंकड़े हमारे सामने रखें हैं । मैं उनके दिये आंकड़ों को ही रखूंगा कि इस साल हत्यायें और दंगे बढ़े हैं । इस साल हत्याओं की संख्या १६३७ है । मैंने पिछले दस साल के आंकड़े निकाले हैं और देखा है कि इतनी बड़ी तादाद पिछले सालों में कभी नहीं हुई है । हां १९४७-४८ में अधिक थी अन्यथा ऐसी ऊंची संख्या पिछले २० साल में कभी नहीं हुई । ठीक इसी तरह से हमारे यहां दंगों की भी तादाद बढ़ती चली जा रही है । अब हमें इनके कारणों पर गौर करना होगा । रौबरी और बरगलरी में कुछ कमी अवश्य दिखाई पड़ती है, लेकिन यह जो हत्यायें और दंगे बढ़े हैं यह किसी खास आदमी में क्रिमिनल टैंडेंसी की वजह से नहीं है बल्कि इसका कारण कुछ और ही है । आज कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित नहीं पाता है । आप देखें कि उनको दूर करने के लिये पुलिस ने जो जो कार्यवाही कीं है उनके कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं । मैं आपके सामने पुलिस की ओर से इन जुर्मों को दबाने के लिये जो उपाय किये गये हैं या मुकदमें आदि चलाये गये हैं और उसका क्या परिणाम हुआ इसको रखूंगा । इससे मालूम होगा कि क्राइम्स में क्या कमी आई ?

आप देखें कि इस साल ३७,०५३ रिगरस क्राइम्स हुये हैं और २९,४५० साधारण क्राइम्स हुये हैं । इनमें से १७ हजार में अदालत ने दंड दिया । इससे मालूम होता है कि ४८ फीसदी में दंड मिला इसी तरह से साधारण मामलों में २९ हजार में से १६ हजार को दंड दिया जा सका है । इसके माने यह हैं कि ५२ फीसदी साधारण मामलों में अदालत से दंड मिला है । इससे मालूम होता है कि आज हमारी पुलिस लोगों की प्रवृत्ति को बदलने में सफल नहीं हो पा रही है । इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं वह विशेष उल्लेखनीय हैं । हमारी पुलिस ने २४,२२२ मामलों में से कुल २२,७८१ में जांच की । उनमें से ८,३६४ में कोर्ट में मुकद्दमें चलाये गये और केवल ५,०८५ मामलों में लोगों को सजायें मिलीं तो हम कह सकते हैं कि.....

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से टोक नहीं सकते हैं जब तक वह बैठें न । जब वह बैठ जायं तो आप पूछ सकते हैं । अगर वह नहीं बैठते हैं तो आप केवल प्वाइंट आफ आर्डर ही रेज कर सकते हैं ।

श्री हरीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री हरीसिंह---वह जरा शांति से बोलें । समझ में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपनी समझ की व्यवस्था खुद कर लीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह कह रहा था कि २४ हजार २ सौ २२ अपराधों की सूचनाएं पुलिस को मिलती है उसमें से केवल ५ हजार ८५ आदलत में फैसले हुए । यह दशा है । जहां ३३ फीसदी मुकदमे पुलिस उठाती है वहां उसके ४० फीसदी मुकदमों में सजा होती है । साधारण केसेज में ४० हजार ३५ की सूचना मिली, ३३ हजार १ सौ ६४ की

जांच की, १४,९३५ का प्रासीक्यूशन किया और १०,०२७ को सजाएं हुईं। तो ऐसी दशा में किस प्रकार अपराध कम हो सकते हैं जब कि केवल ११३ मुकदमों में प्रासीक्यूशन किया जाता है और उनमें भी केवल ४० प्रतिशत को सजा मिल पाती है ? मंत्री जी ने एक बारह पेज की पुस्तिका हमारे सामने जरूर रखी है, वह पिछले साल से शायद कुछ अच्छी हो, क्योंकि पिछले साल नौ पन्ने की ही थी। मालूम पड़ता है कि सारी सूचना वह दबाना चाहते हैं। सारी सूचना वह देना नहीं चाहते, क्योंकि पहले की रिपोर्टों में ३०-३० पन्ने होते थे। जितने भी मुकदमे पुलिस अदालतों में ले जाती है उनमें जिस अनुपात में सजाएं मिलती हैं वह इस प्रकार है---

१९५१ में २४, १९५२ में २३, १९५३ में २५, १९५४ में २४, १९५५ में २५ लोगों को सजाएं मिलीं। यह उन लोगों की कारगुजारी है जो कहते हैं कि हम अपराधों को कम कर रहे हैं। यद्यपि आई० पी० सी० के केसेज में ६८ प्रतिशत कामयाब होते हैं, लेकिन जनरल केवल २५ प्रतिशत कामयाब होते हैं। तो किस प्रकार अपराध रुक सकेंगे ? जहां कैदियों की संख्या ३० हजार तक बढ़ चुकी है और आधे अंडरट्रायल्स हैं तो किस प्रकार अपराधों को रोक चरित्र सुधार हो सकेगा ? अपने जेल जीवन में मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि जो कैदी हैं उनकी कभी सुनवाई भी होती है या नहीं। मैजिस्टीरियल जांच कभी-कभी की जाती है, लेकिन वह लोग एक खानापुरी कर देते हैं। बहुत से लोग ६-६ महीने से पड़े हुए हैं और उनके मामले कोर्ट में नहीं जा सके। अभी यह बताया गया कि हम प्रति व्यक्ति कितना कम खर्च करते हैं। प्रति व्यक्ति हमारे यहां १९५५-५६ में १.२७, १९५६-५७ में १.३० और १९५७-५८ में १.३३ खर्च किया गया। इस प्रकार हमारा खर्चा बराबर बढ़ता गया है। इसी प्रकार अपराध भी बढ़े हैं। १९५५-५६ में १०.४ प्रतिशत १० लाख, १९५६-५७ में १०.७ और १९५७-५८ में १०.८ हो गया। यानी अपराधों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही पुलिस पर खर्चा भी बढ़ रहा है। एक लाख की जन संख्या पर पुलिस पर कितना खर्च पड़ता है वह इस प्रकार है---प्रति लाख जन संख्या पर पुलिस की संख्या १९५५-५६ में ९१.८, १९५६-५७ में ९२.२ और १९५७-५८ में ९८.३ है। ऐसी प्रति लाख जन संख्या पर पुलिस की संख्या मौजूद है। यानी पुलिस की संख्या हर साल बढ़ती जाती है, अपराध भी बढ़ते जाते हैं और खर्च भी बढ़ता जाता है। पता नहीं इस वृद्धि से हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है।

मंत्री जी ने बताया कि हमने कंप्लेन्ट्स के बारे में बहुत-सी सुविधायें प्रदान की है। जो भी सुविधायें इस कंप्लेन्ट्स के बारे में दी गई हों, लेकिन इससे एक बात प्रकट है कि ६,३८१ मामले जांच के लिए आए जिसमें ५,४२४ पुलिस विभाग के थे। इससे मालूम होता है कि ८० परसेन्ट कंप्लेन्ट्स पुलिस के संबंध में थीं। जांच होने के बाद, यद्यपि यह जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा ही, डिपार्टमेंटल हुई, १,२८२ केसेज सही पाये गये। १,२८२ केसेज में ऐसे लोग पाये गये जिनके ऊपर जुर्म सही थे और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया, इसके माने ३५ परसेन्ट सही पाये गये। ४३४ आदमियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही भी हुई। इस तरह सब मिला कर प्रत्येक ५० पर एक आदमी ऐसा पाया गया जो कि कुछ सजा का काम करता है। यह जो कंप्लेन्ट्स हैं इनमें ८० फीसदी कंप्लेन्ट्स पुलिस के खिलाफ हैं और वह भी ज्यादातर भ्रष्टाचार के है या लोगों से पैसा ऐंठने के है। इस विभाग में जितने कंप्लेन्ट्स हैं इतने अन्य विभागों की क्यों नहीं हैं ? इससे पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और पैसा ऐंठने की बात प्रकट है। इसलिए इस पुलिस के द्वारा जिसका रेकार्ड इन आंकड़ों से और मंत्री जी की रिपोर्ट से जाहिर है उससे हम यह आशा करें कि वह हमारे प्रान्त में सुरक्षा रखेगी हमारे जानोमाल की रक्षा करेगी इसमें हमें कुछ सन्तोष होता है। मुझे पता नहीं कि हमारे माननीय कमलापति जी इस काम में कितने सिद्धहस्त हो चुके हैं। पता नहीं वह शिव रूप हो गये हैं या सहस्त्रबाहु हैं, हजार भुजाओंवाले हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ इतने काम इकट्ठा कर रखे हैं। उन कामों को देख कर मुझे आश्चर्य होता है उनकी सामर्थ्य

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पर और संदेह भी होता है। हमारे मंत्री जी के पास करीब करीब ४ विभाग तो बहुत बड़े बड़े हैं---पुलिस, शिक्षा, सूचना और हरिजन सहायक। इस पुलिस में श्रीमन्, एक पुलिस का विभाग जो है उसमें ३७ आइटम होते हैं, 'ख' विभाग में ४५ और 'ग' विभाग में २५ आइटम होते हैं और 'घ' में २० आइटम होते हैं और गृह विभाग जो इनके अलावा विभाग है उसमें ५१ आइटम हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग में 'क' से लेकर 'ग' तक विभागों में कुल १४१ आइटम हैं और हरिजन सहायक विभाग को मिला कर कुल ३८६ आइटम हो जाते हैं, जिनका संचालन आज माननीय कमलापति जी कर रहे हैं। तो उनकी कार्य सामर्थ्य को देखकर ऐसा लगता है कि क्या वह सहस्त्रबाहु हैं और वह कितना काम संभाल रहे हैं। मालूम ऐसा होता है कि या तो विभाग स्वयं उनके पास आकर पहुंच जाते हैं या उनको बहुत से विभागों को अपने हाथ में रखने का शौक है।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बोरसेन पीठासीन हुए।)

आज गांवों में देखने से न वहां सुरक्षा दिखाई देती है न शान्ति दिखाई देती है। हम लोग माननीय मंत्री जी की कारगुजारी से पूरे-पूरे फेडअप हो चुके हैं। आप देखें कि हमारे सामने जो रिपोर्ट आयी है उसमें माननीय मन्त्री जी ने एक भी बात बतानी नहीं चाही है जिससे किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की जानकारी हो सके। अभी-अभी अपने भाषण में भी उन्होंने बहुत-सी बातें बतायीं कि दो डिपार्टमेंट्स को अलाहिदा करके बहुत सुन्दर इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने किये हैं। मैंने उन चीजों को बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई बात मालूम नहीं हो सकी। मैं श्रीमान् मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अनुसंधान शाला, वैज्ञानिक विभाग, प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ब्यूरो इन सबके बारे में कुछ थोड़ी सी सूचना हम लोगों को भी तो जानने दें। आपके पहले की जो रिपोर्ट हैं हमारे सामने उनसे जो पहले के सेक्रेटरी कौल साहब थे या माथुर साहब थे, उन्होंने उन सूचनाओं को देना पसन्द किया, लेकिन आपके द्वारा न केवल सूचनाओं की कमी हो चुकी है, बल्कि उनमें और भी ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे जुर्मों के बारे में जानने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि कौन से जुर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसमें फैक्ट्स ऐंड फिगर्स नहीं हैं। पिछले साल तो जब इनाम दिये गए तो फोटो इसमें रहते थे, वह तो खैर, ठीक हुआ, अब की बार हटा दिये गए हैं, लेकिन फैक्ट्स ऐंड फिगर्स न रखने का कोई कारण नहीं मालूम होता। केवल मन्त्री जी के कह देने से ही कि हमने इंटेलिजेंस विभाग को कम्प्लेंट्स विभाग से अलग कर दिया है और बहुत सुन्दर इम्प्रूवमेंट किया है, हम इसको नहीं मान सकते और हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रदेश में विशेष प्रकार के जरायम जो हैं ३०२, ३०७, ३७७, ३२५, ३२६, ३२७, ३३१, ३३४, ३९५ इन की अधीन केसेज कितने बढ़े या घटे, इन सब बातों को जानने का हमारा अधिकार है और उसी के आधार पर हम जान सकेंगे कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार के व्यक्ति आज बढ़ रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि वह उचित समझें तो इस पुलिस विभाग के कार्यकलापों को हमारे सामने रखने के लिए कुछ सूचनायें हमको दें।

श्रीमन्, यह तो मैंने विशेष तौर से आपके सामने आंकड़े रखे, लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि अपने इस पुलिस विभाग में अगर वह किसी प्रकार का आमूल परिवर्तन करना चाहती हो जिसके द्वारा जनता का विश्वासपात्र वह बने तो उनमें से कुछ थोड़े से क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे चाहे वह इंग्लैंड की पद्धति को देखकर ही क्यों न करें। इंग्लैंड की पद्धति में पुलिस इस प्रकार से सेंट्रलाइज नहीं है। वहां की पुलिस के कई विभाग हैं। एक मेट्रोपोलिटन पुलिस अलग है, लंदन सिटी की पुलिस अलग है, बरो पुलिस अलग है, काउंटी पुलिस अलग है। इस प्रकार से विकेन्द्रित रूप में वहां की पुलिस है। विशेष तौर से काउंटी की पुलिस में वहां के लोगों को काफी अधिकार है कि वह पुलिस को नियंत्रित रखें और उनका संचालन करें। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि १८६१ के बाद से जब से पुलिस ऐक्ट पास हुआ १०० साल हो गए इसमें परिवर्तन करने और इस को

विकेन्द्रित करने की ओर कदम नहीं बढ़ाया गया । आज भी अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन इसमें परिवर्तन करने की बात नहीं कही । कुछ थोड़े से इंटर्नल हेरफेर से आमूल परिवर्तन होने वाला नहीं है । यदि आपकी यह इच्छा है कि आम जनता पुलिस को चाहने लग जाय तो पहले आप उनको विश्वास में लीजिए । मैं आपसे सही कहता हूं कि आज पुलिस पर विश्वास एक भी आदमी नहीं करता और उसका नतीजा यह है कि जरायम बढ़ रहे हैं । लाखों करोड़ों रुपया जो इन्वेस्टीगेशन पर खर्च होता है वह बिलकुल बरबाद जा रहा है । बेनिफिट आफ डाउट में बड़े-बड़े कत्ली छूट जाते हैं और छूटकर वह मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं कि क्या उखाड़ लिया किसी ने मेरा । तो पहले तो आप विकेन्द्रीकरण कीजिए, पुलिस को स्थानीय संस्थाओं के संरक्षण में दीजिए । मैंने तो बड़े ग़ौर से आपके सुधारों को पढ़ा । मैंने यह देखा कि जहां ग्रामीण पुलिस में चौकीदार थे उनको भी कम करके उनकी तादाद घटा दी गई है । श्रीमान् जी, मुझे ५ मिनट का समय अधिक देने की कृपा की जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आप बोलते रहिये । आप को समय मिल जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह कह रहा था कि जैसे आपके ग्राम के चौकीदार हैं जो कि मूल रूप से गांव की सुरक्षा के जिम्मेदार थे, उनको आप हटाने की सोच रहे हैं जिससे १,७१,००० रुपये की बचत की सम्भावना है । उस बचत से सशस्त्र कांस्टेबिल रखे जायेंगे । मैं सोचता हूं कि आप किस तरह से यह सब करने जा रहे हैं । गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस चौकीदार पर हुआ करती थी जिसको आप हटाने की सोच रहे हैं । आप चाहे शेरशाह के कानून को देखें या चाहे किसी भी समय के शासन को देखें, गांव की व्यवस्था गांव के लोगों के हाथ में रही है । जब तक आप गांव का शासन गांव के लोगों के हाथ में नहीं देंगे तब तक गांव में शान्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती है । मैंने इसमें देखा कि एक मंच बनाया जायगा जिसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है । बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर जो पुलिस नियुक्त की जायगी उसके लिये १२ हजार रुपया रखा गया है । यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि चौकीदार जो गांव की सुरक्षा का जिम्मेदार है उनको हटाकर विदेशी जनों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध किया जायगा । उसके लिये आप १२ हजार रुपया करने जा रहे हैं, लेकिन ५ रुपया गांव के चौकीदार के लिये खर्च करने में संकोच करते हैं । आप बड़ी-बड़ी रकम खर्च करने की बात सोचते हैं, लेकिन चौकीदार को हटाकर आप रकम बचाने की बात सोचते हैं ।

७,७६,००० रूपया आप अनुसंधान के लिये खर्च करने जा रहे हैं । चोरी का अनुसंधान क्या किया जाता है यह इस बात से पता लगता है कि जितनी चोरियां होती हैं उनका पता ही नहीं लगाया जाता है । गांव की तो यह हालत है कि वहां पर चोरियों की तादाद इतनी बढ़ गई है जिनका पता जीरो प्वाइंट भी नहीं लगता है । अगर कहीं से पैसा मिल गया तो चोरी कोई दर्ज हो गई वरना बिना पैसे के कोई भी चोरी दर्ज नहीं होती है । मैंने इस सारी रिपोर्ट को देखा है तो कहीं पर भी इस बात का पता नहीं लगता कि प्रान्त में कितनी चोरियां बढ़ी हैं और कितनी घटी हैं । आप इन चोरियों की चोरी क्यों करते हैं । आप डकैती की बात तो बताते हैं, लेकिन चोरी को छिपाते हैं । आज गांवों में मामूली आदमी भी सुरक्षित नहीं है । मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि वहां पर कोई भी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है । रिपोर्ट तभी लिखी जाती है जबकि वह २, ४ रुपये ले लेते हैं वरना रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है । कानपुर में मैंने देखा कि चौराहे की चौकी पर कांस्टेबिल जो रहता है वह ५० रुपया रोजाना अपनी जेब में रख कर शाम को घर ले जाता है । चौराहे पर जितनी चौकियां हैं उनका कुछ न कुछ बंधा हुआ पैसा रहता है जो लोगों से वे लेते हैं । माननीय मंत्री जी की यह पाली हुई पुलिस जब तक गांवों की सुरक्षा नहीं करेगी तब तक प्रदेश के अन्दर सुरक्षा कैसे स्थापित हो सकती है ? हमें तो विशेष निवेदन मन्त्री जी से यही करना है कि आज इस पुलिस

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से जनता को परेशानी है उसकी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करें और उसकी गहराई में जाकर देखिये कि इसमें क्या नुक्स है । अगर लोगों को सचमुच ही तकलीफ है तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---जो सदस्य यहां उपस्थित हैं और जिनके कटौती के प्रस्ताव उपस्थित समझे जायेंगे, वह निम्न प्रकार हैं--

[श्री त्रिलोकी सिंह,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर
श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे,	१ रुपया कर दी जाय ।
श्री मुकुट बिहारी लाल,	कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर
श्री बलवान सिंह तथा	चर्चा करने का अभिप्राय है ।
श्री देवनारायण भारतीय ।	पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असमर्थ रही है ।
श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर
कुंवर श्रीपालसिंह	
श्री वीरेन्द्र शाह,	१ रुपया कर दी जाय ।
श्री शिवशंकर सिंह,	कमी करने के उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर
श्री प्रतापबहादुरसिंह,	चर्चा करने का अभिप्राय है ।
श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह,	भ्रष्टाचार निवारण के निमित्त एक गुप्तचर विभाग
श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह तथा	की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा करना ।
श्री बलदेव सिंह ।	
श्री चन्द्रजीत यादव तथा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर
श्री सजीवन लाल ।	१ रुपया कर दी जाय ।
	कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।
	पुलिस प्रशासन का जनवादीकरण करना ।
श्री टीकाराम तथा	मद (ख)---जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग
श्री मोतीलाल अवस्थी ।	की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।
	कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।
	विकेन्द्रित व्यवस्था के अधीन जिला परिषद् तथा न्याय पंचायत के मातहत पुलिस को करना ।
श्री माता प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।
	कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।
	पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के अधिकार सीमित करने की ओर ध्यान दिलाना ।
श्री मोतीलाल अवस्थी	मद (घ)---ग्राम पुलिस की उपमद (१) कर्मचारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।
	कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।
	चौकीदारों का ग्राम सुरक्षा के अन्तर्गत न रखना ।

[] उपर्युक्त कटौती के प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये गये परन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार उपस्थित किये गये माने गये ।

श्री टीकाराम

मद (ङ)---विशेष पुलिस की उपमद (क) राज्य सशस्त्र कांस्टेबुलरी के भाग १---अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में ४,००,००० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

बदायूं, आगरा, इटावा जिलों के आस-पास डाकुओं के उत्पात ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
श्री कुंवर श्रीपालसिंह,
श्री वीरेन्द्रशाह,
श्री बलदेवसिंह,
श्री शिवशंकर सिंह,
श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह,
श्री प्रतापबहादुर सिंह तथा
श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्रामीण थानों में पुलिस कम है तथा सुरक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं है।

श्री माताप्रसाद

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

पुलिस सब-इंस्पेक्टर के अधिकारों को सीमित करने हेतु ध्यान दिलाना ।

श्री मोतीलाल अवस्थी

मद (ख)---जिला कार्यकारी दल की उपमद (क) जिला पुलिस का भाग १---अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

जिला प्रतापगढ़ के अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति व रक्षा न कर सकना।]

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने एक अध्यापक के बाद मुझे एक अध्यापिका को बारी दे दी।

आज अनुदान संख्या १८--पुलिस, जिसके अन्तर्गत ९,४१,८४,६०० रुपये की मांग, १९५९-६० के लिये स्वीकृति के लिये पेश की गयी है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। निस्संदेह, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा सरकार के दो ही मुख्य कार्य हैं। एक तो अपने देश को आक्रमण से बचाना, और दूसरे आन्तरिक शान्ति को कायम रखना। अब इस पहले कार्य को हमारी केन्द्रीय सरकार करती है और दूसरा कार्य हमारी प्रान्तीय सरकार के द्वारा होता है। इन दोनों के ऊपर एक तीसरा कार्य भी है जो इन दोनों पर ही निर्भर करता है, वह है प्रान्त की उन्नति। अगर सरकार इन दोनों कार्यों को सुचारु रूप से पूरा नहीं कर सकती है तो वह तीसरा कार्य भी नहीं हो सकता है। इसलिये यदि हम अपने प्रदेश की उन्नति चाहते हैं तो हमें चाहिये कि सरकार का जो आन्तरिक शांति रखने का कार्य है, उसमें सहयोग दें और वह किसी एक दल या व्यक्ति विशेष का ही कार्य नहीं है।

मैं तो अपनी कांस्टीटुएंसी को एक लेबोरेटरी समझती हूं। वहां पर जो बातें मेरे सामने आती हैं, उन्हीं के आधार पर मैं बातचीत करना मुनासिब समझती हूं। मान्यवर, लगातार दो वर्षों से

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

मैं यह सुनती आयी हूं कि पुलिस विभाग और उसके कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं और घमंडी हैं। लगातार यह बढ़ता ही चला आता है। मनुष्य की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है। अभी आजादी आये चन्द रोज ही हुए हैं, लेकिन उस वक्त की पुलिस की हालत, उसकी बेईमानी और उसकी देशभक्ति दोनों पर तुलनात्मक विचार यदि आपके सामने रखूं तो ज्यादती न होगी।

मुझे याद है कि मेरे गांव में १०-१२ बरस का एक लड़का डूब कर मर गया। पुलिस आयी और पुलिस ने घरवालों को लाश के सामने ही डांटना फटकारना शुरू किया। अब घर वाले डर गये। पुलिस वालों के लिये वहीं पर दावत का प्रबन्ध शुरू हुआ और उन्होंने वहीं पर उसके दरवाजे पर ही खाया। आखिर घर वाले तो डर ही गये थे, उन्होंने सोचा कि बाद में कहीं पुलिस वाले हमको कुछ न कहें इसलिये पुलिस को कुछ रुपये देकर उन्होंने उससे छुट्टी पायी। और सुनिये, एक शरीफ आदमी के घर में २०-२५ हजार रुपये की चोरी हो गयी। चोरी होने के बावजूद जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो आते ही उनसे पूछा कि बतलाओ तो तुम्हारे लड़कों की ससुराल कहां कहां है? वह शरीफ आदमी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस वाले वहां जाकर हमारे संबंधियों को या बहू बेटियों को परेशान करें। पुलिस को ३, ४ सौ रुपये देकर उनसे उन्होंने छुट्टी पायी। तो इस तरह की चीज क्या इस स्टेट में या भारत के अन्दर ही कहीं अब भी संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? अपने दिल पर हाथ रख कर कहिये बहुत तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस के रवैये में आज पहले से तब्दीली हुई है?

श्री अरविन्द घोष १९०७ के आन्दोलन के सब से बड़े लीडर थे, जब उनके घर की तलाशी हुई तो पुलिस ने उनकी पूज्य बहन की छाती पर हाथ रखकर कहा कि यहां रिवाल्वर छिपा हुआ है। क्या आज की पुलिस इस तरह की चीज कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है और यह संभव भी नहीं है।

आपके सामने मैं एक चीज और रख दूं। यह अंग्रेजी जमाने की बातें हैं। झांसी जिले में बेतवा पर डाके रोकने के लिये २ लाख रुपये सालाना की एक योजना बनायी गयी, लेकिन हुआ क्या? न तो कोई डाकू मरा और न कोई पुलिस वाला ही घायल हुआ। आपको पता है कि डाकुओं ने क्या किया? जहां पुलिस कांस्टेबिल को तनख्वाह १२ रुपये थी वहां उन्होंने अपने पास से २४ रुपये देकर और जिस सब-इंस्पेक्टर का वेतन ७५ रुपये था उसको १५० रुपये महीना देकर छुट्टी पा ली। आज इस स्टेट के अन्दर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और ये आंकड़े भी बतलाते हैं कि कितने साहसी युवकों ने डाकुओं का सामना किया और सामना करते हुए बलिदान हुए। यह सब आप ही के सामने होता था और हो रहा है।

क्रोमिनल ट्राइबिलमेंट्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जो चौकी होती थी वहां डाकुओं का अड्डा होता था। अगर मेरे पास समय होता तो मैं विस्तार से बतलाती। आज पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम सभी देखते हैं कि चौकियां लगवाने के लिये लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे यहां चौकी लगनी चाहिये। आज प्रदेश के हर सदस्य को मालूम होगा कि उसके पास आकर लोग कहते हैं कि हमारे यहां चौकी लगे। यह मेरा अनुभव है और मैं मानती हूं कि सभी सदस्यों का अनुभव है इसका अर्थ है कि आज जनता पुलिस से डरती नहीं है बल्कि जनता का पुलिस के ऊपर विश्वास है, लेकिन क्या हम उन सब चीजों से जितनी कि पुलिस के रवैये में तरक्की हुई, उससे संतुष्ट हैं? नहीं। हम उसी पुलिस को ईमानदार तथा देशभक्त शान्तिमय ढंग से बनाना चाहते हैं।

पंडित मोती लाल नेहरू जी के उन शब्दों की याद दिला दूं जो उन्होंने १९३० में इलाहाबाद के चौक में पुलिस को कहे थे। मैंने सुना है कि उन्होंने कहा था कि हमारा राज होगा और एक-एक को सजा भुगतनी पड़ेगी। एक पंजाबी सिक्ख नौजवान यशवन्त सिंह को सर्दी के मौसम में ठंडी बर्फ पर बैठा कर कहा गया कि बताओ श्री जयप्रकाश नारायण जी कहां। उसने उत्तर दे दिया आज जितनी मरजी आये जुल्म कर लो हमारी बारी आने वाली है। वह बारी आयी, सन् १९४७ आया वही यशवन्त सिंह १९५४ में उसी आफिसर के सामने गिरफ्तार करके लाया गया उस समय जो इंस्पेक्टर था वह अब सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस बना हुआ था 'सत श्री अकाल" जिसका अर्थ यह था। आप कहते

थे कि हमारी बारी आने वाली है, लेकिन आप तो वहीं हैं और हम तो ऊंचे हो गये। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे वायदे थे कि हम इसको बदलेंगे और आज भी वह चीज है। उस ढांचे को बदलने का हमारा प्रयत्न है, लेकिन शान्तिमय तरीके से। जो हमारे अनुभवी नेता थे उन्होंने देश की अवस्था को देखते हुए उसी ढांच को देश के हित में कायम रखना ठीक समझा। इसीलिये हम उस कन्टीनुइटी को जो भी प्राइस पे करना हो उसको पे करने के लिये तैयार हैं और उसको बदल कर धीरे-धीरे उनके अन्दर वह रवैया लायेंगे जिसकी हमारी इच्छा है। अब भाई यह होता क्यों नहीं, उसी आर्डर को क्यों कायम रखना पड़ा ? जो पोलिटिकल पार्टीज प्रजातन्त्रवाद का मजाक उड़ा कर देश के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, कभी घेरा डालो आन्दोलन का प्रोग्राम, कभी रोटी दो या जेल दो का प्रोग्राम, यह कथनी और करनी में फर्क क्यों ? अगर हम चाहते हैं, दरअस्ल तरक्की चाहते हैं तो यह जरूरी है कि पुलिस के सहयोग से हम इन चीजों को शान्तिमय तरीके से आगे बढ़ायें। यह नहीं कि सारा ध्यान सरकार का पुलिस की तरफ लगा दें। अभी पंजाब में भाषा के ऊपर किस तरह से दंगे हुए और आज betterment levy पर हो रहे हैं। दम लेने दीजिये, ताकि क्रान्तिक परिवर्तन हो सके।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि पुलिस के आउट लुक में क्रान्ति कैसे ला सकते हैं। जिस वक्त मैं चुनकर आयी उससे पहले करछना इलाके में जहां से मैं चुन कर आई हूं काफी कत्ल होते थे। पहले २-३ महीनों में ४ कत्ल हो गये। उसके बाद मैं क्षेत्र में गयी और पुलिस के सारे कर्मचारियों से बारी-बारी से मिली। कहने में हर्ष होता है कि श्री चतुर्वेदी ने जो एस० एस० पी० हैं इतना सहयोग दिया कि डेढ़ साल में एक भी कत्ल नहीं हुआ। कांग्रेस जनों ने और विरोधियों ने हमारा सहयोग दिया। जहां-जहां झगड़े होते थे मुझे वे इत्तला देते थे और हम सब ने मिल कर इस तरह की स्थिति पैदा की कि वहां पर जहां तक संभव हो कोई दंगा न होने पावे। मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि कोई कर्मचारी अगर दोषी पाया जाय तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, सैक किया जाय। यह नहीं कि उसका ट्रांसफर यहां से वहां कर दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। और माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि छोटे छोटे कार्यों में किसी की तरफ से दखल दिलवाने में शरीक न हों। खुद हम लोग अगर प्रतिष्ठा पाते हैं तो हमारा सम्मान भी है हम उनको सुधार के रास्ते पर बापू को याद करके ले भी जा सकते हैं।

जो पुलिस के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मरें उनकी औलाद को इस विभाग की नौकरी में प्रीफरेंस देना चाहिये।

शान्ति सेना स्थापना की जाय सारे स्कूलों में, कालेजों में तथा हर गांव में ताकि हम शान्तिमय ढंग को सुचारु रूप से आगे ले कर चल सकें। इसके बाद सब माननीय सदस्यों से हमारा निवेदन है कि यह बात ध्यान में रखें कि जो लोग हमारे पास आते हैं, अधिकतर वह वकीलों और पुलिस के दलाल होते हैं। उनसे बचकर कार्य करके अच्छे आदमियों का सम्मान करिये और कहिये कि वे रिटिन रिपोर्ट दिलवायें और तफतीश में स्वयं खड़े हों इससे तब्दीली होगी। हमारा निवेदन है कि हम सब को सहयोग से इसको आगे ले जाना चाहिये। अन्त में, जो अनुदान उपस्थित है उसका मैं समर्थन करती हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले वर्ष आज के दिन मैंने कुछ बातों की ओर गृहमंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया था, लेकिन मुझे दुख है कि उसी समय उत्तर देते हुए मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि मेरी बातों को या तो गृहमंत्री जी ने पूरी तरह से संकेत मात्र से समझा नहीं या जानबूझ कर उन बातों को छोड़ दिया। उसमें एक जो प्रमुख बात है उसको दोहरा देना चाहता हूं। पुलिस विभाग में ऊंचे स्तर पर अधिकारियों में जो पार्टीबाजी है, जो ग्रुपिज्म है, जो फ्रैक्शनलिज्म है उसकी ओर संकेत किया था और गृह मंत्री जी से कुनबापरस्ती की भी बात कही थी। मेरे भाई राजनारायण जो हटा दिये गये, उनकी भाषा में यदि कहता तो शायद वह समझ जाते। मैंने पिछले वर्ष कहा तो उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में प्रतिवाद किया। मैंने नाम नहीं लिया। अब की नाम लेता हूं। एक सज्जन श्री टी० पी० श्रीवास्तव के लिये हिल रीजन बनाया गया और जब वह रेग्युलर

[श्री गौरीशंकर राय]

में हो गये तो वह रीजन भी खत्म हो गया । पुलिस फोर्स की आवश्यकता बढ़ाने की नहीं पड़ती, और डी० आई० जी० बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है । इस वर्ष एक डी० आई० जी० बनाने के लिये पी० टी० सी० कालेज के प्रिन्सीपल को भी डी० आई० जी० मानना पड़ गया । मैं समझता हूं कि यदि उनको जानकारी नहीं है तो रखनी चाहिये । अगर यह बातें भ्रमात्मक होंगी, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो मुझे संतोष होगा । मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि आई० जी० पुलिस की पोस्ट टैन्योर पोस्ट है या नहीं । निश्चित समय के लिये हैं या नहीं । मैंने जानकारी की है कि पांच साल के लिये है । पांच साल समाप्त होने जा रहे हैं । पिछले साल इन्हीं आई० जी० साहब की नियुक्ति के संबंध में पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा असंतोष फैला । पूरे प्रदेश में सरकार को पक्षपाती इसके लिये कहा गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा अवसर आने पर सरकार अपने ऊपर इस प्रकार के लांछन न लगने दे ।

मुझे मंत्री जी से यह भी कहना है कि विभाग में तरक्की के सिलसिले में विभाग के अधिकारियों के व्यवहार का जो मानदंड है उसकी एक प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक होनी चाहिये । सन् १९४६ से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस के जो आफिसर हैं उनकी एक बड़ी लम्बी कतार आफीशियेट करती है । उसके लिये कोई मानदंड स्थापित नहीं किया गया है । यह स्पष्ट है कि विभाग में किसी विशेष प्रकार के लोगों को जिनसे आफिसर प्रसन्न हैं उन्हें कन्फर्म कर दिया जाता है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी गिरेगी । माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये । पिछले साल मैंने संकेत किया था वह भाषा मंत्री जी ने समझी नहीं और उसका जोरदार प्रतिवाद किया । यह नहीं कहा कि स्थिति यह है, बल्कि कहा कि वह मेरा भ्रम है । इसीलिये मैंने इस बात को कह दिया ।

एक बात मैं और मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि मैं भी पुलिस स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर हूं और उस नाते मैंने बहुत लम्बे चौड़े सुझावों की एक लिस्ट मंत्री जी को दी थी और उन्होंने उसको मीटिंग का एजेंडा भी मान लिया था, लेकिन पता नहीं कि वह उन सुझावों पर गौर करना चाहते थे या नहीं । उन्होंने केवल एक बार दस मिनट के लिये कमेटी की मीटिंग बुलाई और कोई विचार उन पर नहीं किया गया । मैंने कहा कि एक बार पूरा विचार करने के लिये मीटिंग बुलाई जाय, दस मिनट की मीटिंग से क्या होना था, नतीजा यह हुआ कि मीटिंग नहीं बुलाई गई और कुछ नहीं हुआ । मैंने उस लिस्ट में नियुक्तियों के संबंध में, तरक्की दी जाने के सम्बन्ध में अनुशासन के संबंध में और पूरी पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो प्रश्न थे उन पर विचारपूर्ण ढंग से सुझाव दिये थे । उसमें दृष्टिकोण के परिवर्तन की बात थी, लेकिन मंत्री जी ने उस पर विचार करना और मीटिंग बुलाना गवारा नहीं किया । हम इससे अधिक और क्या कर सकते थे एक समिति के सदस्य होने के नाते । मंत्री जी ने कहा कि लिख कर दो, मैंने लिपिबद्ध रूप से तमाम सुझाव लिख कर दिये, लेकिन फिर भी विचार नहीं हुआ ।

जहां तक एफ० आई० आर० की बात है जो फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट की है उसकी बात अभी सारे सदन में हर तरफ से कही जायगी कि वह ठीक से नहीं लिखी जाती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी को विश्वास है कि उनके लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो प्रदेश के किन्हीं दो जिलों में जिनको वह पसन्द करें उनमें एक कमेटी नियुक्त करें कि जो पिछले १ या २ साल के कार्य की समीक्षा कर के बताये या रिपोर्ट दे कि जो रिपोर्ट लिखी जाती है उनमें क्राइम छिपाये जाते हैं या नहीं और गलत लिखी जाती है या नहीं । मैं अपने जिले के बीसों केसेज के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जांचतलब रिपोर्ट लिखी जाती है । मैं नम्रतापूर्वक मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह की व्यवस्था को खत्म करें और क्राइम्स को छिपाने की बात को आगे न चलने दें । बातें तो और बहुत सी हैं ।

अभी माननीय मंत्री जी ने सिपाहियों के संबंध में बहुत सी बातें कहीं । पिछले साल भी जब मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए अनुशासन

के संबंध में बड़ी लम्बी उपदेश पूर्ण बातें कही थीं। मुझे अनुशासन की व्यवस्था को स्वीकार करने में कभी भी रंचमात्र किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है, मैं इसको उचित बात समझता हूं, लेकिन पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आज पुलिस विभाग के सिपाहियों को प्रदेश की अनुशासन व्यवस्था और शान्ति व्यवस्था के लिये रखा गया है तो यह भी देखने की बात है कि एक ऐसे विभाग के ६२-६४ सिपाहियों को जेल में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ी तो यह कोई सम्मान की और संतोष की बात नहीं है। इन सब बातों पर हमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिये और शासन को भीतरी दृष्टि से भी देखना चाहिये कि यह बातें निराधार हैं या निर्मूल हैं या उनमें कुछ तथ्य है। यदि सुधार की आवश्यकता कहीं है तो उसका हमें खयाल करना चाहिये। आज हमारे यहां एक सिपाही ६ आना भत्ता पाता है, आज सिपाही जो गांव में भेजा जाता है वह किस तरह से कौन सा भोजन ६ आने में कर सकता है? यह हमें विचार कर के देखना है।

उनका एक असोसियेशन है, जिस की बड़ी महत्ता समझी जाती है और जो ईमानदारी से अपनी मांगें असोसियेशन के द्वारा रखना चाहते हैं उनको पुलिस के बड़े अधिकारी देशद्रोही समझते हैं और जो सिपाही या पुलिस के कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार भी उसके कामों में भाग लेते हैं उनको दो सौ और ३ सौ मील दूर तबादले पर भेजा जाता है। अतः अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों द्वारा यह विभाग बनाया गया था उस समय उनका ध्येय था साम्राज्यशाही शासन को यहां कायम करना परन्तु आज जब कि मान्यतायें बदल चुकी हैं तो हमें उनके अनुरूप एक नया प्रारूप उसका बनाना होगा और इसके लिये आवश्यकता है कि एक हाईपावर कमीशन बनाया जाय जो विचार कर के पूरे प्रशासन में सुधार के सुझाव दे। पूरे आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में परिवर्तन की जरूरत है, तभी आज की शासन प्रणाली में और पुलिस विभाग के कार्य-कलापों में एक समन्वय स्थापित हो सकता है।

पारसाल भी मैंने कहा था कि १०७ व १०९ के ऐसे केसेज हैं जिनके बारे में उधर के लोगों ने भी कहा था . . . .

श्री अधिष्ठाता---अब दो मिनट और बोल सकेंगे आप।

श्री गौरीशंकर राय---खैर, सारी बातें तो नहीं कह सकूंगा। पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो बार्डर के जिले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर हैं, उनके लिए मैंने कई बार अनुरोध किया कि वहां के लिए विशेष प्रकार के अनुभवी अफसरों की जरूरत है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

एक बात भूल गया अधिष्ठाता महोदय, पिछले ५ मार्च को एक मित्र ने बतलाया कि तुषारकान्ति घोष के यहां एक पत्रकार प्रतिनिधि मंडल मिलने गया। उन्होंने गुंडों को बुलाया पीटने के लिए। जब उसकी रिपोर्ट की गयी तो उसका काग्नीजेंस नहीं है, मैं स्वयं जा चुका हूं कोतवाली में यह शिकायत लेकर के कि क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो कहा गया कि वह जांच-तलब है। मैंने १०-१५ दिन बाद मालूम किया कि दो-दो रिपोर्ट डकैती की थीं वह लिखी ही नहीं गयीं, यह कहा गया कि जांचतलब है। जब इस स्तर के लोगों के साथ यह व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि पुलिस राज्य की बात होती है। मैं कहता हूं कि पुलिस राज्य कहां है, पुलिस विभाग के अधिकारी वर्ग के अन्दर पार्टीबाजी घुसी हुई है। उधर बैठने वाले भी आज कल दो प्रकार के जीव बैठते हैं। एक तो विशेष प्रकार के लोग हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे ऐसे हैं कि उनके साथ भी पार्टीबाजी पुलिस करती है और हिस्टरी शीट खोलने तक की नौबत आ गयी है। सबजुडिस हो जायगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मंत्री जी को स्वयं मालूम है कि श्री राजवंशी

[श्री गौरीशंकर राय]

राय, जो इस आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके हैं, के साथ जो व्यवहार पुलिस द्वारा हुआ है वह उन से छिपा नहीं है और व्यौरे का भी पता होगा मंत्री जी को। पुलिस मुहकमे के अफसर अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक दल-बन्दियों में सहायक अपने को सिद्ध करने के लिए अगर इस तरह का प्रयास करें तो हमारे लिए बड़े दुःख की बात होगी। इस तरह के बहुत से सबूत अपने यहां के और दूसरे स्थानों के मुझे मालूम हैं कि पुलिस के बड़े अफसर यह समझते हैं कि हम एक विशेष ग्रुप के साथ सम्बद्ध हैं। इस कृपा के भाजन उधर के सब बैठने वाले नहीं हैं, वह एक विशेष ग्रुप हैं। वह समझते हैं कि उन्हीं के साथ सम्बद्ध रहने में हमारा कल्याण होगा, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है। अगर इस प्रकार से अधिकारियों का इस्तेमाल किया गया तो प्रजातंत्र की भित्ति हिलेगी और इससे प्रजातंत्र का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

बहुत सी बातें मुझको सुझाव के रूप में देनी थीं कि पुलिस के मुहकमें में किस प्रकार से तरक्की हो, कैसे लोग एस० पी० बनाये जायं। सारी दुनिया के पुलिस के मुहकमे के सम्बन्ध में जो लिखने वाले लोग हैं वह लिखते हैं कि नीचे से प्रोमोशंस किये जायं, लेकिन मैं जानता हूं कि ४०-५० फीसदी जो डी० वाई० एस० पी० होते हैं वह एस० पी० नहीं बनाये जाते, बल्कि आई० पी० एस० से बनाये जाते हैं। इससे उनको काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता और बुरे से बुरा काम करके वह पैसा कमा करके संतोष कर लेते हैं। वह कोई अच्छा काम करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसके लिए उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता, तरक्की नहीं मिलती। मैं कहता हूं कि यह जो शिकायतें हम लोगों की हैं उस पर उनको गौर करना चाहिए और यह न समझना चाहिए कि ये शिकायतें पागलपन में की जा रही हैं। शिकायतें इसलिए की जाती हैं कि शिकायतें महसूस की जाती हैं।

एक बात मैं और कह दूं कि अन्य मंत्रियों का तो मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी को चाहे जितने पत्र लिखे जायं और कैसे ही लम्बे-लम्बे तार दिये जायं, जैसे मैंने स्वयं दिये हैं, लेकिन उत्तर उसको वही मिलता है कि "आपका पत्र ३ तारीख का मिला और कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।" यह उचित नहीं समझा जाता कि उन बातों को डिस्कस करें। मैंने अपने यहां के अपराधों के सम्बन्ध में तार दिये लम्बे लम्बे, लेकिन किसी का उत्तर नहीं मिला।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पुलिस के नियम बहुत ही पुराने हैं जब कि यहां पर ब्रिटिश राज्य था तो जनता पर आतंक जमाने के लिए उन नियमों की रचना हुई थी, आज भी एक स्वतंत्र देश में उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब समय काफी बदल गया है। अब पुलिस और जनता में बहुत काफी सहयोग होना चाहिए, उसके लिए ऐसे नियमों की रचना होनी चाहिए जिससे कि जनता और पुलिस में बहुत काफी सौहार्द रहे। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव पहले भी आ चुके हैं कि पुलिस की वर्दी जैसी पहले थी उसी तरह से चली आ रही है इसलिए आज भी बहुत से लोग पुलिस के प्रति वैसे ही अपने विचार रखते हैं। मंत्री जी को चाहिये कि पुलिस की वर्दी में कोई परिवर्तन करें। शायद दिल्ली राज्य में इस तरह का परिवर्तन पुलिस की वर्दी में किया गया है। इस तरह से वर्दी में परिवर्तन होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को बहुत बड़े अधिकार हैं और वह अधिकार पुलिस कांस्टेबिलों में भी निहित होते हैं और वह इसलिये इसका नाजायज लाभ भी लेते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें ऐसे लोगों को फांस देते हैं जो कि वास्तव में गलती पर नहीं होते। दफा १०९, ११०, १०७/११७ ऐसी धाराएं हैं जिनमें आम तौर से पुलिस वाले जिसको चाहते हैं फांस देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे पुलिस के अधिकारी होते हैं, वे स्वयं रिपोर्ट करा देते हैं और रिपोर्ट करा कर उनको ऐसे मामलों में फांस कर परेशान करते हैं। आज भी बहुत से बल्लाल जैसे थानों में पहले रहा करते थे रहते हैं और उसी तरह से

आज भी जब कोई मामला होता है तो पुलिस वाले ऐसे ही लोगों को अपना गवाह बना लेते हैं और कुछ रुपया खुद ले लेते हैं और कुछ उनको भी दिलवाते हैं। इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का ही एक अंग गांव का चौकीदार है। आज भी उनको पांच रुपया महीना मिलता है। मेरा खयाल है कि शायद किसी कर्मचारी की तनख्वाह इतनी कम नहीं है। बहुत से कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं, लेकिन अब तक चौकीदारों को ५ रुपये ही मिलते हैं। जब वह थाने पर १५ दिन में २ दिन रहता है तो थानेदार के जितने हर तरह के काम होते हैं, उनको उसे करना पड़ता है। इसके अलावा जब उसके हलके में कोई वारदात होती है तब उसे काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये जहां अन्य कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायी जा रही हैं वहां मैं यह चाहूंगा कि चौकीदार की तनख्वाह में भी कुछ वृद्धि होनी चाहिये।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस कांस्टेबिल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है और २४ घंटे की है। एक पुलिस कांस्टेबिल अपने जिले में भी नहीं रहता और दूसरे जिले में रहता है। इसलिये उनकी तनख्वाह जो ५० या ६० रुपये रखी गयी है, वह बहुत कम है। उनकी तनख्वाह में बहुत वृद्धि होनी चाहिये। हम लोग भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार बहुत चिल्लाया करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब तक उनकी तनख्वाहों में वृद्धि नहीं होगी तब तक जिसको भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कहा जाता है वह किसी तरह से कम नहीं होगा। इसलिये इस तरफ ध्यान देकर इनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिये।

चौथी बात कम्प्लेंट आफीसरों की है। यह आफीसर भी इन्हीं पुलिस अधिकारियों में से ही होते हैं। जब ये जांच के लिये जाते हैं तो इनसे लोग भय खाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जब ये जांच के लिये जायं तब इनके साथ कोई गैर-सरकारी आदमी रहे जिससे लोग सही बातों को उनके सामने रखें। इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये, जिससे सही बातों का पता लगाया जा सके। इन पदों पर ज्यादातर ऐसे आदमी होते हैं जो पुलिस के हैं अगर वहां पुलिस के अधिकारी न रख कर कोई मैजिस्ट्रेट की हैसियत का आदमी रखा जाय तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि उससे न्याय की संभावना अधिक रहती है।

११ जिलों में शराब और सभी नशीली चीजें बन्द हैं। उनमें से हमारा जिला जौनपुर भी एक है। वहां पर हम देखते हैं कि हर गांव में गांजा बिकता है। पुलिस चौकियों के सामने और थानों के आस-पास गांजा बिकता है। सब पुलिस वालों को यह मालूम रहता है। जनता के अन्दर यह आम भावना है कि जितने पुलिस वाले हैं उनको सबको यह मालूम रहता है और हर महीने में उनको कुछ न कुछ रकम मिलती रहती है। इसलिये वे कोई प्रयत्न नहीं करते कि इस जुर्म को बन्द किया जाय। इस तरफ भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जनता में यह विश्वास है कि अगर पुलिस वाले चाहें तो फौरन बन्द हो सकता है क्योंकि उनकी जानकारी में यह सब होता है लेकिन किन्हीं कारणों से उधर ध्यान नहीं देते हैं। अगर मद्यनिषेध योजना को सफल बनाना है तो हम चाहते हैं कि पुलिस वालों को हिदायत देकर सख्ती की जाय जिससे यह चीज आगे न बढ़े। थानों में रिपोर्ट लिखाने आज भी जब जनता जाती है तो उसे उसी तरह से परेशान किया जाता है। रिपोर्ट लिखने वाले पहले कुछ चाहते हैं यद्यपि यह व्यवस्था है कि अगर वहां पर रिपोर्ट न लिखी जाय तो पुलिस कप्तान के पास दरख्वास्त भेज दी जाय तो वह भी रिपोर्ट मान ली जायगी, लेकिन जो अपढ़ जनता है वह इस चीज को नहीं जानती है, इसलिये इसका उपयोग नहीं करती है। अतः कोई दूसरी एजेन्सी होनी चाहिये, रिपोर्ट कहीं लिखी जाय और उसकी जांच करने का जरिया कोई दूसरा हो।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जिले में सरपतहा थाने में बड़े विचित्र केसेज चलाये जा रहे हैं। वहां कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके २-४ आदमी कलकत्ते में रहते हैं। उनका यह पेशा हो गया है कि यहां के कुछ लोगों से जिनसे रुपया लेना होता है उन पर कलकत्ते में

[श्री माताप्रसाद]

कोई केस चला देते हैं और वहां से जब थाने के द्वारा वारंट आता है तो वह आदमी जो गांव में रहता है उससे १००-२०० रुपये तय कर लेता है और तय होने के बाद उसको पत्र लिख देता है कि अब इस मामले को खत्म कर दो। इस प्रकार वहां के बहुत से गरीबों को परेशान किया जा रहा है और जिले में ऐसी और भी कई जगह घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि पुलिस सब-इंस्पेक्टर या गांव के प्रधान या गांव के और लोगों को पता रहता है कि यह आदमी न तो कलकत्ते गया न और कहीं गया, लेकिन फिर भी उन लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों से जो ऐसे मामले आयें उनके लिये सरकार कुछ ऐसा इन्तजाम करे कि निरपराध लोग इस तरह परेशान न किये जायं।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट की कोई रूलिंग है कि टिंचर और जिंजर लोग दवा के लिये रख सकते हैं। बहुत से ऐसे होटल हैं जहां टिंचर और जिंजर के बहाने शराब रखी जाती है और इस रूलिंग की वजह से पहले जो कुछ अंश में शराबबन्दी हो गयी थी अब फिर काफी मात्रा में वहां शराब मिलने लगी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि कोई ऐसा संशोधन करे जिससे यह चीज बन्द हो।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गांवों में जो दलाल होते हैं वे हमेशा शाम सुबह थानों में जाकर ऐसे शिकार फांसने की कोशिश किया करते हैं कि कौन आदमी देने लायक है, कौन नहीं देने लायक है और हमेशा इस तरह से कमवाया करते हैं। इसकी रोक होनी चाहिये। मैं अपने क्षेत्र के थाने बदलापुर की बात बताता हूं। वहां बहुत गड़बड़ी चल रही है। वहां तीन रिपोर्टें लिखायी गयीं। वहां के पुलिस अधिकारी खुद गांवों में लोगों से कहा करते हैं कि आप ऐसे मामले की रिपोर्ट यहां पर क्यों लिखाने आये। आप जा कर सुलह कर लें। यानी जो आदेश यहां से जाते हैं उनका वे पालन नहीं करते हैं।

एक बात और। माननीय मंत्री जी ने पुलिस कप्तान के यहां जो एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है कि महीने में एक बार जिले के विधायक और दूसरे लोग वहां विचार-विमर्श करने के लिये इकट्ठे हों यह बहुत सुन्दर प्रयत्न है। यद्यपि बहुत से थानों में भी इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है, लेकिन थानों की कमेटियां ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर ही बनाते हैं। इसमें वह कुछ ऐसे लोगों को रख लेता है जो उसके दलाल होते हैं। इसलिये इस तरह के नियमों की रचना होनी चाहिये कि जिले में परामर्श देने के लिये एक कमेटी हो और जो जनता की कठिनाइयां हों उनको दूर करने के लिये कमेटी के द्वारा उनके सामने रखी जायं और उनको दूर किया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माताप्रसाद जी ने जैसा कहा कि पुलिस कोड बहुत पुराना है, सच है। लार्ड मैकाले ने पुलिस कोड के नाम से उस समय की गवर्नमेंट के लिये एक फ्राक सिया था और हमारी प्रजातंत्र सरकार ने उसी को पेटीकोट बना लिया। यह बहुत गड़बड़ी की चीज है कि हम जिस चीज को फिट करना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि वह दूसरी जगह के लिये बनायी गई थी और दूसरे मंतव्य से बनायी गयी थी, लेकिन आज वह दूसरी जगह पर लगाई जा रही है। उस समय की पुलिस राजा के स्वार्थ की रक्षा के निमित्त बनायी गयी थी और इसलिये बनायी गयी थी कि वह देशभक्ति की भावना की जाग्रति लोगों में न होने दे और जिनमें हो उनको फंसाकर परेशान करे ताकि वह राजा के प्रतिकूल न जा सके। इसी भावना से जिस पुलिस कानून का निर्माण हुआ था वही आज भी चलाया जा रहा है।

श्रीमन्, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसमें आज भी यूनियन जैक जैसा कलर देखने में आता है। माताप्रसाद जी ने पुलिस की वर्दी के तब्दील करने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उनके झंडे का रंग भी वही है जो अंग्रेजों के समय में था तो वर्दी की तब्दीली का सवाल नहीं आता है। सरकार का ध्यान इधर नहीं गया है। आज इसी वजह से पुलिस अन-पापुलर है। आज सभी सदस्य जानते हैं कि पुलिस के ऊपर से जनता का विश्वास

हटता चला जा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पुलिस के कर्मचारियों को जू के जानवरों की तरह से जनता से दूर पुलिस बारिकों में रखा जाता है। वहीं उनको भोजन मिलता है और वहीं वह कसरत करते पड़े रहते हैं। परिवार से दूर रह कर वह एक विचित्र किस्म के आदमी बन जाते हैं। जब वह गांव में पहुंचते हैं तो वह उसी भावना से देखते हैं जैसे अंग्रेज के समय में देखा करते थे। गांव वाले उनकी हरकतों के कारण उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं।

श्रीमन्, अमरीका में मास्टरों आदि को कुछ थोड़े से समय के लिये पार्ट टाइम जाब पुलिस में दिया जाता है जो अपना काम करते हुए दो चार घंटे पुलिस का भी काम कर देते हैं। ऐसे आदमी गांव में रहते हैं उनकी सूरत, शक्ल तथा स्वभाव से गांव वाले परिचित रहते हैं, इसलिये उनसे वे सत्य बात कहने में डरते नहीं हैं। पुलिस का कोई आदमी जब किसी गांव में पहुंचता है तो वह सबसे पहले वहां के एक गिरोह विशिष्ट जो होता है, उसी के बीच में जाकर बैठता है और उसी से बात करता है। जब गांव में ऐसे लोगों को रखा जाय तो एक हिस्सा ऐसा अवश्य रखा जाय कि वह सरकार की तरफ तनख्वाह पाये यानी पेड हो और फुल टाइमर हो और कुछ पार्ट टाइम पर हों, तब ही जनप्रियता पुलिस में बढ़ सकती है और जनसम्पर्क आसानी से हो सकता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की पुलिस की संख्या भी बहुत कम है, जरायम बढ़ते जा रहे हैं। हमें आजादी बड़ी सस्ती मिली। हम उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। आजादी का हम लोग गलत प्रयोग करते हैं। जुर्मों की बढ़ती हुई तादाद को देख कर पुलिस की भी तादाद बढ़ानी चाहिए। श्रीमन्, आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में एक हजार की आबादी पर २.४ पुलिसमैन पड़ते हैं, इंगलैण्ड में १.९७, स्काटलैण्ड में १.४२, वेल्स में १.०८। परन्तु श्रीमन्, हमारे प्रदेश में एक हजार की आबादी पर ·९८३ पुलिसमैन पड़ता है यानी एक से भी कम। तीस मील के क्षेत्र में एक थाना होता है उसमें पुलिसमैन की जो तादाद होती है वह १०, १२ की होती है। अंग्रेजों के समय में वह चल सकती थी, क्योंकि वह आतंक का जमाना था। अगर कोई पुलिस का सिपाही, चाहे उचित कारणों से, किसी गांव में मारा जाता था तो उस पुलिस के सिपाही की इज्जत की रक्षा के लिए सारी गवर्नमेंट लग जाया करती थी और सारा गांव उजाड़ करके तबाह बरबाद कर दिया जाता था। १९४२ में जौनपुर से बदलपुर वाली सड़क पर केवल इसलिए रास्ते चलने वालों को गोलियां मारी गयीं कि तुम लोगों ने थानेदार साहब के खिलाफ काम किया है। उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, यही शब्द उन्होंने कहे। मैं उनसे मिलने गया। मुझसे उन्होंने कहा आप अपने थानेदार साहब से मिल कर गुजारिश कीजिये तो शायद आपकी बात सुनेंगे। मैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उस समय कांग्रेस में था। उस वक्त अंग्रेजों के आतंक का जमाना था। इसलिए २० आदमियों से २० मील का एरिया कंट्रोल कर लिया जाता था, परन्तु आज जब अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस वक्त पुलिस की तादाद बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक पुलिस नहीं बढ़ायी जायगी तब तक जुर्मों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि श्रीमन्, मैंने अभी बताया विदेशों में पुलिस की संख्या प्रति एक हजार व्यक्ति अधिक है। इसके अतिरिक्त आज से ढाई तीन हजार वर्ष पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रत्येक २ गांव या ज्यादा से ज्यादा ५ गांवों के बीच एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। इसीलिए कि हर एक आदमी की भावना ऊंचे की तरफ नहीं उठती है। मानव प्रकृति ऐसी है, जैसी कि जल की प्रकृति है। नीचे की तरफ अपने आप जाती है, लेकिन ऊंचे की तरफ ले जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। वह जबरदस्ती करने से ही चल सकती है। अगर हम यह सोचें, जैसे यहां विधायक लोग हैं उसी प्रकार गांव के लोग भी हैं, यह सोचना गलत होगा। पढ़े-लिखे लोगों में भी कुछ ही परसेंट होंगे, क्योंकि आज कल की शिक्षा से साक्षरता तो होती है, लेकिन विद्या आती है यह मैं नहीं मानता। जब तक अपने देश में विनम्रता नहीं आती है, लोगों में विद्या का प्रभाव नहीं होता है तब तक खामखाह कुछ ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी जिनसे जबरदस्ती उनको ठीक रास्ते पर रख सकें। उसके लिये पुलिस की संख्या बढ़ानी नितान्त आवश्यक है।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, माननीय माताप्रसाद जी ने कुछ ऐसे प्रमाण दिए, मैं भी उसी क्षेत्र से आया हूं, वाकई सही बात है जैसा उन्होंने कहा कि लोगों पर इस किस्म के मुकदमे चलाये जाते हैं वह रहता तो बाहर है और गांवों में मुकदमा चलवा कर परेशान करता है।

एक सदस्य---रोक क्या है ?

कुंवर श्रीपालसिंह---इसकी रोक यही है कि आप पार्ट टाइम जाब पर जब गांव के आदमियों को रखेंगे तो उनसे सही पता चलेगा। फिर कड़ी सजा दी जाय।

एक सदस्य---कत्ल में फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन कत्ल बन्द नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप लोग सीधे बात न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह---उसके लिए मुझ से न कहलाइए। मैं उसे भी जानता हूं कि कत्ल में सजायें किस प्रकार होती हैं, किस प्रकार कत्ल के मुकदमे चलाये जाते हैं और किस प्रकार सजायें उसमें दिलवाई जाती हैं। आज जो सब से बड़ी खराबी हमारे अन्दर पैदा हो गयी है वह है हम अपने एक गलत चश्मे के अन्दर से देखते हैं। एक दृष्टिकोण हमने बना लिया है और उसी के अनुसार हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में ही भ्रष्टाचार है सभी विभागों में भ्रष्टाचार है और उसका एक मात्र यही कारण है कि हमारा एक दृष्टिकोण बना हुआ है और उसके बाहर हमें कोई दिखलाई पड़ता है तो उसको बरबाद करना चाहते हैं। एक सीमा बनी है, एक परिधि बनी है उसके अलावा बाहर जा नहीं सकते। पुलिस तो एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक राइफिल है, बन्दूक है, उससे हम अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं, अपने धन सम्पत्ति की रक्षा करते है और उससे डाका भी डाल सकते हैं। तो यह होता है निशाना लगाने वाले के ऊपर कि वह कैसा उससे काम ले। वैसे ही यह हमारी पुलिस एक राइफल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आज गलत कत्ल के मुकदमे चलते हैं तो आप क्यों उस इंस्ट्रूमेंट से पुलिस से गलत काम लेते हैं ? आप खामखाह क्यों कीचड़ उछालते हैं और उछलवाते हैं अपने ऊपर ? क्यों आप कहलाते हैं, जिस चीज को मैं कहना नहीं चाहता ?

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)---माननीय अधिाठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का अनुमोदन करता हूं। मुझे खुशी है कि जिस तरह से पिछले दो तीन वर्षों में जो पुलिस का अनुदान प्रस्तुत होता था तो ऐसा मालूम होता था कि एक बहुत बड़ी कयामत और परेशानी इस विभाग की ओर है। मैं समझता हूं जो तरीका इस समय है उससे पिछले वर्षों की अपेक्षा आज प्रान्त में कुछ न कुछ जरूर संतोष है। जो विभाग की ओर से पत्रिका बांटी गई है उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनको देख कर भी संतोष होता है। उनके देखने से यह पता चलता है कि चोरियां और कत्ल कम हुए हैं। हम और आप तो केवल जो सामने कागज है उसी पर विचार कर सकते हैं, उसी पर बहस कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुलिस के प्रति पहले से जरूर संतोष है। ठीक है, पुलिस का कार्य ऐसा है। मैं समझता हूं कि दूसरे विभाग और भी ऐसे हैं हमारी सरकार के हो कि जिनमें पुलिस से ज्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन चूंकि उनका सीधा सीधा नाता या तो ठेकेदारों से रहता है या उन लोगों से रहता है कि जिनका कि जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं है। पुलिस के जो दोष हैं वह हमें दूसरे विभागों की बनिस्बत ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं इस दस बारह वर्ष के अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि जहां तक पुलिस के गजटेड आफिसर्स हैं, मैं समझता हूं कि निस्सन्देह उनमें काफी तब्दीली आई है और इस प्रदेश में इस गिरानी के जमाने में मुझे अफसोस है कि जो पुलिस की जान है---सिपाही, उसकी हालत काफी खराब है। उसका वेतन ५०-६० रुपया इतना कम है कि कोई भी २४ घंटे मेहनत करने वाला आदमी इतने में गुजर नहीं कर सकता। सिपाही से तो हम उम्मीद करते हैं कि वह अपनी जान की बाजी लगाये। तो जब तक समाज में सिपाही के स्तर को

ऊंचा नहीं किया जायगा, पढ़े लिखे लोग रिक्रूट नहीं किये जायेंगे और उनका वेतन जब तक नहीं बढ़ाया जायगा तब तक हजार कोशिश कीजिये पुलिस का करप्शन दूर नहीं हो सकता । जहां तक पुलिस के सिपाही और गजटेड आफिसर का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उनका इतना दोष नहीं है । जितना भी पुलिस में दोष है, जितना भी करप्शन है उस तमाम की जिम्मेदारी उस दरोगा की है । आज की पुलिस के दरोगा में और सन् १९४२ के दरोगा में कोई भी अन्तर नहीं है । उसका तरीका, बात करने का ढंग, सब बिलकुल वैसा ही है जैसा कि सन् १९४२ में था और जब मैं यह मानता हूं कि पुलिस के गजटेड आफिसर्स में यह तब्दीली आ गई है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, सरकार इसको देखे कि ऐसी कौन सी बड़ी कमजोरी है इस विधान के अन्दर कि दरोगा आज भी उसी तरह से राजा है, आज भी उसी तरह जनता का शोषण कर रहा है जिस तरह कि सन् १९४२ के पहले करता था । इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

साथ ही साथ जो जिले के स्तर पर एन्टी-करप्शन कमेंटियां बनी हुई हैं, हम भी ऐसा समझते थे कि इससे जो भ्रष्टाचार है सरकार के तमाम विभागों में वह दूर होगा ।

(इस समय १ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

वह जो डी० वाई० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) है वह एस० पी० के मातहत होगे और चूंकि एस० पी० जिले का मालिक होता है तो मैं नहीं समझता कि उसके नीचे का अधिकारी उस जिले के पुलिस के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में कोई कार्यवाही कर सकेगा । मेरी राय है कि जो डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स है वह जो जिले के स्तर पर ऐंटी-करप्शन कमेटी बनी हुई है वह उसके मंत्री का कार्य करे और मैं समझता हूं कि वह सेक्रेटरी जो इन्क्वायरी करके लाता है कमेटी के सामने जवाबदेह हो । कमेटी अपनी टिप्पणी के साथ सरकार को उसको भेजे । जो दूसरे विभाग हैं सरकार के उनके मामले में तो डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स को इतने भी अधिकार नहीं हैं । यदि विभाग का उच्च अधिकारी चाहे तो इन्क्वायरी कराये नहीं तो उच्च अधिकारी स्वयं तहकीकात करेगा । दूसरी तरफ डी० वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स, एस० पी० के मातहत होता है तो वह पुलिस विभाग की कोई जांच ठीक से नहीं कर सकता । तो मैं समझता हूं कि इससे कोई भला होने वाला नहीं है और इसमें तब्दीली होनी चाहिये ।

भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि जो प्रासीक्यूशन इंसपेक्टर्स होते हैं वह तमाम भ्रष्टाचार की जड़ बने हुए हैं । कोई मुकदमा ऐसा नहीं होता कि जिसमें वह भ्रष्टाचार न करते हों । अंग्रेजों के जमाने में तो पुलिस वाले जब रिश्वत लेते थे तो जनता की कास्ट पर लेते थे, लेकिन आज कल वह सरकार की कास्ट पर रिश्वत लेते हैं । वह समझते हैं कि यदि जनता की कास्ट पर रिश्वत लेंगे तो उसमें शिकायत होगी, इसलिये मुलजिम की तरफ से मिलकर वह रिश्वत लेते हैं । इसीलिये सरकारी केस जो चलाये जाते हैं, वे छूट जाते हैं । इसलिये इस पर नियंत्रण होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा था कि दरोगा के कैरेक्टर रोल में एस० पी० ऐण्ट्री करता है । आजकल चूंकि जूडीशल मैजिस्ट्रेट भी केस देखते हैं तो जो दूसरे आफिसर्स हैं या जो एस० डी० एम० हैं उनके लिये कोई खास काम नहीं है । मैं यह समझता हूं कि पुलिस की देखरेख का काम दारोगा के कैरेक्टर रोल में ऐन्ट्री का सवाल हो तो वह एस० डी० एम० के जिम्मे होने चाहिये और उनके रिमार्क को देखा जाना चाहिये, ताकि जो अफसर वहां पर रहते हैं उनका थोड़ा सा नियंत्रण दारोगा के ऊपर हो जाय । इससे भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आयेगी ।

इसके साथ साथ कुछ कानून पुराने हैं उनमें भी कुछ संशोधन होना चाहिये । मैं अर्ज करूंगा कि जब दारोगा देहातों में जाते हैं तो उनको घोड़े की आवश्यकता पड़ती है । वैसे उनको घोड़ा रखना अनिवार्य नहीं है । अगर होता तो सब के पास घोड़े होते । अगर कोई दारोगा घोड़ा रखता है तो उसको ३० रुपया भत्ता मिलता है । अगर कोई दारोगा घोड़ा रखता है तो उसको सरकार को पूरा भत्ता देना चाहिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि हर दारोगा को लाजिमी

[श्री जगदीशनारायण]

तौर पर घोड़ा रखना चाहिये । उसका कारण यह है कि जब दारोगा किसी देहात में जाता है तो वह घोड़े पर या घोड़े तांगे से जाता है । यह उम्मीद नहीं है कि वह पैदल जाय । तो उसका जो १० रुपये का खर्चा होता है वह पक्ष या विपक्ष को देना पड़ता है । मैं समझता हूं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और हर दरोगा के लिये अनिवार्य रूप से घोड़े रखने का आदेश होना चाहिये और जो उसका भत्ता आदि होता है वह उसे मिलना चाहिये ।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगा कि गवाहों के लिये या मुलजिमों के लिये या जो पुलिस के सिपाही हैं उनके लिये एक पुरानी प्रथा है और वह यह कि ६ आना रोज उसके लिये दिया जाता है । मैं समझता हूं यह बिलकुल नाकाफी है । यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उस ६ आने से पुलिस वाला गवाह को भी खिलायेगा और ६ आने में मुलजिम को भी खिलायेगा या उस सिपाही को जो तीसरे क्लास में चलता है उसकी चाय का काम हो जायगा । यह ऐसी पुरानी शिकायत है जिसकी तरफ हमको देखना चाहिये । मैं यह समझता हूं कि हमको इस ६ आने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिये और इसको कुछ बढ़ाना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हमारे जिले मुरादाबाद में यह एक स्थानीय बात हो गयी है और वह यह कि वहां पर बिलारी तहसील में हीरा और बिहारी नाम के दो डाकू हैं जिनकी वजह से ६ बजे के बाद लोग रास्ते चलने में घबराते हैं । इससे लोग वहां पर काफी परेशान हैं । ऐसा मालूम हुआ है कि पुलिस वहां पर तैनात भी हुई, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी । मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह स्थान तीन जिलों के बार्डर पर है । वहां पर लोगों का यातायात बन्द हो गया है । लोग वहां पर परेशानी में हैं । मुरादाबाद जिला उन दोनों मशहूर डाकुओं से भयभीत है । उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कल पुलिस विभाग की पुस्तिका मिली है उसके पहले ही पन्ने पर "शान्ति और व्यवस्था" के लिये जो लिखा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं । उसमें यह लिखा है कि :--

"सन् १९५८ में एक के बाद दूसरे कई आन्दोलन शीघ्रतापूर्वक चलाये गये । जिनके परिणामस्वरूप पुलिस अपने कार्य में पूर्णतया व्यस्त रही । अन्नाभाव आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ दलों ने सत्याग्रह किया और इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां करनी पड़ीं । स्थिति का सामना करने के लिये पुलिस का विस्तृत प्रबन्ध करना पड़ा और स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लिया गया । छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से भी आलोच्य वर्ष में बड़ी चिन्ता रही । वाराणसी पुलिस को वाराणसी विश्वविद्यालय के छात्रों के आदोलन का सामना करने और उसे नियंत्रण में लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।" अब मैं यह चाहता हूं कि अगर इसके साथ सरकार इतना और जोड़ दे कि "पुलिस निर्दोषों को पकड़ने, घूस वसूल कराने और चोरी तथा कत्ल कराने में व्यस्त रही" तो इस वर्ष के कार्य का लेखा जोखा और पूरा हो जाता । उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने खाद्यान्न के सिलसिले में जन आन्दोलन को दबाया, गिरफ्तारियां हुईं, बनारस विश्वविद्यालय में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कानपुर की घटनायें हमारे सामने हैं । मैं देखता हूं कि खाद्यान्न के आन्दोलन में ९,००० गिरफ्तारियां हुईं, परन्तु ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की कितनी हुई ? एक भी नहीं पकड़ा गया । जिसने देश में भुखमरी और तबाही पैदा की हो और जिसके जरिये से दाने-दाने के लिये हमारे प्रदेश की जनता कराह रही हो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है । तत्परता पुलिस ने दिखाई कहां ? तत्परता दिखाई है विरोधी दल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को कुचलने में । पुलिस अगर सतर्क रही है तो जन आन्दोलन को दबाने में रही है ।

कहा गया कि डकैतियां और दंगे इत्यादि कम हुए, ऐसी बात नहीं है । कत्ल, दंगे, राहजनी, सेंध लगाना, ये सब बढ़े हैं । सन् १९५१ और सन् १९५८ की रिपोर्ट देखी जाय

तो मालूम होगा कि कत्ल डकैती आदि चीजें बढ़ी हैं । लिखा यह जाता है कि तमाम डकैतों से मुठभेड़ हुई। रामचरन, रूपा और महाराजसिंह तमाम डकैत मारे गये । तो फिर डकैतियां कैसे पड़ गई ? कुछ डकैत पकड़े जरूर गये । मैं समझता हूं कि पुलिस की साजिश से भी इस तरह की घटनायें घटित होती हैं । कई जिलों के उदाहरण हैं कि पुलिस वालों ने ऐसे काम कराये । पुलिस के जरिये डकैतियों और चोरियों को प्रोत्साहन मिलता है । इसका नमूना यह है कि पिछली बार मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार इस बात की दरख्वास्त की कि फलां जगह पर गिरोह है जो जनता को परेशान करता है, चोरियां व डकैतियां करता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया । किसी तरह से दरोगा को इसका पता चल गया । हमारे उन साथियों को जिन्होंने इत्तिला दी थी पुलिस ने भरे चौराहे पर पिटवाया है और वह खड़ी रही । उनके हाथ पैर भी तुड़वाये । हसनगंज थाने की यह बात है । महादेव और फरीद अहमद उन लोगों के नाम हैं । एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि सन् १९५७ से १९५८ में हमारे जिले में १० कत्ल और बढ़े गये । इनमें से ५ कत्ल तो ऐसे हैं जो पुलिस वालों ने किये और जिन पर मुकदमें चल रहे हैं । जहां इस तरह का इन्तजाम हो और पुलिस की ऐसी हरकतें हों हम कैसे समझें कि हमारे देश में जनवाद या समाजवाद कायम होगा या लोकतंत्रशाही कायम होगी ?

इस समय जनता का राज्य नहीं है, बल्कि पुलिस का राज्य है । १०९, १०७ और ११० दफाओं के दरवाजे पुलिस के लिये खुले हैं कि इनमें जिसे चाहें बन्द कर दें । इतना ही नहीं, कत्ल और डकैतियों में हमारे साथियों को फांसा गया । यह अखबार हमारे सामने है जिसमें हाई कोर्ट की लखनऊ शाखा के जज महोदय ने लिखा है कि पुलिस ने कैसे जाली केस कम्युनिस्टों पर बदले की भावना से चलाये। चूंकि यह दरोगा मुहम्मद हुसैन रिश्वत लेते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई गई और इसलिये इन मुलजिमों को फांसा गया । हाई कोर्ट के आदरणीय जज श्री आनन्द नारायण मुल्ला जी से वे लोग छूटे हैं । मैं थोड़ा सा इस अखबार से पढ़ना चाहता हूं । "इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच के न्यायाधीश, श्री आनन्द नारायण मुल्ला ने उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाने के उन ग्यारह व्यक्तियों को जुर्म से बरी कर दिया है जिन्हें नीचे की अदालत ने डकैती के अपराध में आठ-आठ साल कैद और जुर्माने की सजा दी थी। जज महोदय को यह सन्देह हुआ कि बांगरमऊ पुलिस ने उपर्युक्त अभियुक्तों को शायद इसलिये डकैती के मामले में फंसा दिया कि ये लोग कम्युनिस्ट थे और इन्होंने घटना के कुछ समय पूर्व अपनी पार्टी की रैली की नोटिस में बांगरमऊ पुलिस के विरुद्ध अत्याचार का अभियोग लगाया था। जिन कम्युनिस्टों को न्यायाधीश मुल्ला ने जुर्म से बरी किया है उनके खिलाफ पुलिस द्वारा पेश किये गये सब गवाह कांग्रेस-जन थे।" कुल के कुल गवाह कांग्रेसजन थे । इस तरह से अगर पुलिस इस प्रदेश के वातावरण को दूषित करेगी तो कोई अच्छा नक्शा नजर नहीं आवेगा । इसलिये हम चाहते हैं कि जिन दरोगाओं ने या जिन अधिकारियों ने ऐसा काण्ड किया हो उनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन उनको मिलती है तरक्की। खाद्यान्न आन्दोलन के सिलसिले में जिस अधिकारी ने हमारे चन्द्रजीत यादव को पीटा उसकी भी तरक्की हुई ।

इस पुस्तिका के छठें पन्ने पर लिखा है कि पुलिस के कुत्तों का दल ।मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस को कुत्तों का दल बना दिया जाय । हो रहा है ऐसा । जब जनवाद की भावना को लेकर लखनऊ पुलिस ने अपनी यूनियन बनाई थी और कसम खाई थी कि हम रिश्वत नहीं लेंगे और, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और लखनऊ के और कई जिलों के पुलिस कर्मचारियों ने यह आवाज उठाई कि हमारी यूनियन का सदर पुलिस का अधिकारी न हो तो उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया और उनका सामान लूटा गया। जब देश के सुधार की मांग करने वाले पुलिस कर्मचारियों के साथ ऐसा बरताव होगा तो कैसे बेड़ा पार होगा ? हम चाहते हैं कि उनके ऊपर से मुकदमा वापिस हो जो १२५ पुलिस कर्मचारी इस केस में फांसे गये । वे यही तो कहते थे कि हमारी यूनियन का कोई पदाधिकारी सरकारी अफसर न हो । इसलिये कि सरकारी

[श्री सजीवनलाल]

अफसरों के मातहत यूनियन चलने में बाधायें पड़ती हैं । वे चाहते हैं कि अपनी मुसीबतों को आजादी के साथ अपने यूनियन के द्वारा रख सकें । इन चीजों को लेकर वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका हुआ क्या ? इससे ऊंचे-ऊंचे अफसरों ने यह समझा कि अगर इनकी यूनियन बन जायगी तो मुसीबत हो जायगी, हम लोगों की रिश्वतें बंद हो जायंगी, बेगार बंद हो जायेगी । चाहे कोई पुलिस का अधिकारी हो वह नीचे के कानिस्टेबिलों से लेकर चौकीदार तक, कर्मचारियों से बेगार लेता है । कोई उनके लड़कों को स्कूल भेजने के लिये जाता है । अगर आप थानों में चले जाइये । कहीं कुल्हाड़ा रखा हुआ है, किस लिये । चैला फाड़ने के लिये ? खुरपी रखी हुई है, घास छीलने के लिये और कहीं घोड़े पर खरार कराया जा रहा है । इस तरह की बेगार छोटे-छोटे कर्मचारियों से ली जाती है । इसलिये हम कहते हैं कि सरकार को जनवाद की तरफ आना चाहिये । पुलिस में जनवाद की स्थापना करनी चाहिये जिससे उन पर अगर अत्याचार हो, तो वे सही-सही कह सकें, इन्हीं कामों को लेकर जो उनकी यूनियन बनायी गयी है उस यूनियन को मान्यता प्रदान की जाय, उनके ऊपर जो केसेज चलाये जा रहे हैं, उनको वापस लिया जाय । आज विरोधी पार्टी की तरफ से या और किसी पार्टी की तरफ से कही गयी बात अगर सही है तो उसके अनुसार दुरुस्ती होनी चाहिये । अगर हम इस प्रकार से पुलिस में जनवाद को कायम करेंगे तो हो सकता है पुलिस में कुछ सुधार हो । अंग्रेजों के जमाने की पुलिस में और कानूनों में परिवर्तन न होने का कारण सरकार की अराष्ट्रीय भावना है । जब तक इन कानूनों में परिवर्तन न होगा तब तक पुलिस में सुधार नहीं हो सकता ।

*श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो पुलिस का अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज हमारे देश में सभी जगह कुछ न कुछ पुलिस के महकमें में कमी जरूर है । इसको मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उसको सुधारने के लिये जल्द तवज्जह करनी चाहिये । जैसा कि सजीवन लाल जी ने कहा यह ठीक है कि बहुत से केस ऐसे होते हैं कि जो छट जाते हैं और लोगों को नाहक पकड़ लिया जाता है, लेकिन यह भी सही है कि सच्चे केस भी अदालत में जाते हैं और छूट जाते हैं या तो पुलिस के चालान में कुछ कमी हो जाती है या अदालत से छूट जाते हैं या पैरवी ठीक ढंग से नहीं होती या और कोई कारण छूटने का हो जाता है । सरकार को इस पर खास तवज्जह करनी चाहिये । अगर यह चीज हमारे अफसरान की वजह से हो तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिये अथवा दूसरी कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

दूसरी बात यह भी है कि अगर हम यह देखें कि किसी में खराबी ही खराबी है या कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन किसी चीज का अच्छा पहलू भी होता है । हमें दोनों पहलू देखना चाहिये । बहुत से आदमी पुलिस में ऐसे भी होते हैं जो बहादुर होते हैं, उनमें से कुछ जान पर खेले हैं, कुछ गोली के शिकार भी हुए हैं तथा दूसरे और भी तरह की बहादुरी उन्होंने की है, ऐसे भी आदमी हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं तो उनकी हमें सराहना करनी है । यह बात जरूर है कि जो खराब आदमी होते हैं उनकी भर्त्सना करनी चाहिये और उनको दंड देना चाहिये । परन्तु जो अच्छे आदमी हैं और जिन लोगों ने बहादुरी का काम किया है, उनकी हमें तारीफ करनी चाहिये, उनकी तरक्की होनी चाहिये और उनकी इमदाद होनी चाहिये। जो किसी लड़ाई झगड़े में या डकैतों के मुकाबले में मारा जाय तो उनके बच्चों का भी इन्तजाम होना चाहिये । अगर वे इस तरह का काम करें और हम सब की बुराई ही बुराई करते चले जायं तो मेरा खयाल है कि यह ठीक नहीं है । आज हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे काम पुलिस ने किये हैं जिनकी हमको तारीफ करनी चाहिये । जहां पर गोलियों की बौछार हो रही हो, जहां डकैतों का मुकाबला करना हो, वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुकाबला करना कह देने में तो आसान होता है, लेकिन जब सामने बात होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक दफा सन् ४२ में जेल के अन्दर मुझे भी संगीन का सामना करना पड़ा था। जिस वक्त राइफल मेरे सामने खींची गयी तो मेरी तो आंखें मींच गयीं। मैं वहीं खड़ा जरूर रहा, लेकिन उनकी तरफ देख नहीं सका। तो मेरा कहना यह है कि जो अच्छे आदमी हैं उनकी तारीफ करनी चाहिये और जो खराब आदमी हैं उनको सजा जरूर देनी चाहिये, उनको किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि ये जो ऐंटी-करप्शन कमेटीज जिले में बनी हैं, मैं समझता हूं कि वे कामयाब नहीं साबित हुई हैं, चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा खयाल है कि उसको तोड़ देना चाहिये क्योंकि जो कुछ उससे उम्मीद लगायी गयी थी रिश्वत रुकेगी, मेरी समझ से इस ओर उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसी कमेटियों को तोड़ देना चाहिये, इससे कम से कम सरकार का खर्च बचेगा और जो ऐंटी करप्शन कमेटीज में डी० वाई० एस० पी० वगैरह लगे हुए हैं उनको अपने पहले वाले स्थान पर यह कह कर भेज देना चाहिये कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है इसलिये वापस जाइये। मेरा खयाल है कि अव्वल तो उनके पास बहुत कम केस जाते हैं और जो जाते भी हैं, मुझे तो अपने सहारनपुर जिले की बाबत यह कहना है कि जितनी दरख्वास्तें उसमें दी गयीं थीं, शायद ही किसी केस में कोई सजा पाया हो। मेरी समझ में यह बिलकुल फजूलखर्ची है। मुझे और जिलों के मालूमात नहीं हैं, लेकिन सहारनपुर जिले में तो वह बिलकुल फजूल है, उसको तोड़ देना चाहिये। अगर रखना ही हो तो उसमें कुछ सुधार करना चाहिये और उनको कुछ और अख्तियारात देने चाहिये और किसी और तरीके से उसके ढंग को बदलना चाहिये। इस तरह से मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं है।

जहां तक और बातों का ताल्लुक है, जनता से सम्पर्क की हिदायत पुलिस के यहां सरकार की तरफ से गयी है और मैं समझता हूं कि उनकी तरफ भी काफी तवज्जह हो रही है। अपने सहारनपुर जिले की बाबत मैं कह सकता हूं कि वहां डकैतियां और चोरियां और जिलों के मुकाबले में कम हुई हैं।

इस तरह की वारदात का होना और न होना बहुत कुछ उस आदमी के ऊपर निर्भर करता है जो कि वहां रहता है। अगर किसी जगह पर कोई अच्छे ढंग का काम करने वाला है तो वहां तो चोरी डकैती कम हो जाती हैं और जहां पर खराब किस्म के आदमी होते हैं वहां पर इनकी भरमार हो जाती है। आजकल यह शिकायत बहुत है कि मुहज्जब किस्म की चोरियां व डकैतियां बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इन चीजों का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक ढंक का एक सेंटर लखनऊ में और खुला है, इलाहाबाद में तो पहले ही से है। तो श्रीमन्, आजकल वैज्ञानिक ढंग से चोरियां भी होने लगी हैं, अब मुहज्जब किस्म की चोरियों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। अब चोरी डकैती करने वाले आप को अच्छे आदमी भी मिल सकते हैं। इसलिये सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि अगर इसी तरह से मुहज्जब किस्म की चोरियां और डकैतियां चलती रहीं तो उससे हमारे मुल्क पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। और इसका इलाज क्या है, कहां पर जाकर यह रुकेगा, यह मेरी समझमें नहीं आया। लेकिन चूंकि सरकार कोशिश कर रही है इसलिये हमें भी प्रयत्न करना चाहिये। पर मेरी राय तो यह है कि जब तक जनता का आमतौर से कैरेक्टर ऊंचा न होगा, न पुलिस ज्यादा बढ़ाने से काम चलने वाला है और न बहुत ज्यादा जगह-जगह पर थाने खोलने से ही काम चलने वाला है। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि प्रदेश में बहुत कम पुलिस रखी गयी। उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन और जाने कहां-कहां की मिसाल दी कि वहां हजार आदमियों पर इतने पुलिस वाले हैं। मैं समझता हूं जहां पर पुलिस हर वक्त मौजूद रहती है क्या वहां जुर्म नहीं होते? मेरा खयाल तो यह है कि वहां ज्यादा होते हैं बमुकाबले वहां के जहां पुलिस वाले नहीं हैं। मेरी राय है कि पुलिस को बढ़ा देना ठीक नहीं होगा। अगर मंत्री जी कोई ऐसा तरीका निकालें कि उनकी

[श्री दातारांम चौधरी]

भरती करते वक्त वैज्ञानिक ढंग से कोई ऐसा आला निकालें कि जिससे मालूम हो सके कि आगे चल कर ठीक काम करेंगे, तब तो ठीक है लेकिन जैसी अब तक भरती होती रही और गुंडे और बदमाश भरती होने लगें तो वे अपराधों को बढ़ायेंगे या घटायेंगे ? इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर आदमी अच्छे हों, चाहे वे थोड़े ही हों, वे अच्छा काम कर सकते हैं बमुकाबले उन आदमियों के जो खराब हैं, भले ही वह ज्यादा हों । इसलिये जहां तक पुलिस को बढ़ाने का सवाल है मैं उसका विरोध करता हूं ।

एक सदस्य ने कहा कि साहब यहां तो पुलिस के कुत्तों की तादाद बढ़ायी जा रही है, उन्होंने तो और भी बात कही वह तो मैं नहीं कहूंगा , लेकिन अगर कहीं कुत्ते हों, तीतर हों, कबूतर हों, जो भी हमारे काम में सहायक हो सकते हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिये, उनका खर्चा बरदाश्त करना चाहिये । यह नहीं कि उसकी खराबी देखनी चाहिये, उसकी उपयोगिता और काम करने के तरीके को भी देखना चाहिये और अगर वह ठीक साबित हो, जरायम के खोज करने में इमदाद देते हों तो जरूर खर्च करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय , मुझे ३, ४ बातें रखनी थीं । एक तो यह कि जिलों में जो ऐन्टी-करप्शन कमेटीज हैं वे कामयाब साबित नहीं हुईं उनको तोड़ दिया जाय । दूसरे जो अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं उनकी इमदाद करनी चाहिये, तरक्की करनी चाहिये और जो खराब किस्म के आदमी हैं , या रिश्वतखोर हैं या पुरानी जिनकी आदत है उनको या तो रिटायर कर देना चाहिये या अलग कर देना चाहिये । मुझे इतना ही कहना था ।

श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस बात से तो इनकार नहीं हो सकता कि जनता की जानोमाल की हिफाजत के लिये और अमने आम्मा कायम रखने के लिये पुलिस फोर्स का होना जरूरी है । लेकिन यह हकीकत भी छिपायी नहीं जा सकती कि जनता की जानोमाल की हिफाजत और अमने आम्मा कायम रखने और अपने फरायज को अंजाम देने में हमारी सरकार की पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है । मैं अपने अल्फाज की ताईद में सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि लखनऊ, कानपुर गोरखपुर और वाराणसी के वाकयात से यह साफ जाहिर है कि पुलिस अपने फरयाज का अंजाम नहीं दे सकी है । मैं आपके जरिये यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे साथी प्रतापसिंह जी ने ४, ६ रोज हुए एक सवाल किया था जिसका मंत्री जी ने जबाब दिया था कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में अब कोई अशान्ति नहीं है । श्रीमन्, क्या तवारीख बतला सकती है कि आज तक हमारे देश में जब से अंग्रेजी हुकूमत थी यहां कभी किसी तालीमी जगह पर, या यूनिवर्सिटी या कालेज या स्कूल पर पुलिस का तशद्दुद या ज्यादती हुई है या पुलिस के अन्डर में ऐसे तालीमी इदारे रहे हैं ? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी इस सरकार के दौर में हमारे तालीमी दर्सगाह भी पुलिस के तसल्लुत से महफूज नहीं है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि जब उन्होंने जबाब में बतलाया कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में अब बिलकूल शान्ति है, तो वहां से पुलिस क्यों नहीं हटाई ? क्यों आज तक पी० ए० सी० की बटैलियन वहां मौजूद है ? उसको क्यों नहीं वहां से अलग किया जाता ?

श्रीमन्, इस देश के आजाद होने से पहले हमारे उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य जनता को यह कह कर खुश करते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा और विदेशी तसल्लुत यहां से खत्म होगा, तो हमारी अपनी पुलिस होगी । और हमारी पुलिस का क्या फर्ज होगा, वह देश के लिये क्या करेगी ? वह लोगों की हिफाजत करेगी । लोगों की मददगार होगी । उनके हर मामले में मदद करेगी । उनकी रक्षा करेगी, और उनकी देख-भाल करेगी । लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश को आजाद हुए आज १२ साल हो गये, लेकिन हमारी पुलिस के रवैये में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया । वह आज भी अपने आप को

जनता का हाकिम समझती है और जनता पर हर किस्म के जुल्म और ज्यादती करने को तैयार रहती है। अव्वल तो किसी की यह जुर्रत नहीं होती कि पुलिस के खिलाफ आवाज उठाये या शिकायत करे, लेकिन अगर कोई शिकायत करता है तो एस० पी० और कलेक्टर जिला से लेकर मंत्री जी तक की तरफ से यही जवाब आता है कि जो कुछ किया गया वही मुनासिब था। ला ऐन्ड आर्डर कायम रखने का यह तकाजा था और यही होना चाहिए था। श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे जिम्मेदार लोगों की तरफ से भी ऐसा जवाब आवे।

पुलिस के जुल्मों और ज्यादतियों के मामलात की कोई जांच नहीं होती। मैं श्रीमन्, अपने जिले में पिछले साल के गुजरे हुए एक वाकये के मुताल्लिक कुछ बताना चाहता हूं। कस्बे मीरानपुर, जिला मुजफ्फरनगर में एक सब इंसपेक्टर ने एक शख्स को हिरासत में रखा। चार रात बन्द करने के बाद, दुख पहुंचाने और मार-पीट करने के बाद उससे रिश्वत लेकर छोड़ा। श्रीमन्, वहां के कुछ साथियों को यह चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सब-इंसपेक्टर के इस रवैये के खिलाफ काफी इधर-उधर शिकायतें कीं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं हुआ तो मजबूर होकर उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और आवाज उठाई। लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब इंसपेक्टर ने दूसरे रोज एस० पी० से मशविरा करने के बाद उन प्रदर्शन करने वालों को, ३१ आदमियों को ऐसे हवालात में बन्द किया---श्रीमन्, मैंने उस हवालात को खुद देखा है---जिसमें ३१ आदमियों का लेटना या बैठना तो दरकिनार, ३१ आदमियों का खड़ा होना भी मुश्किल है। यह कलकत्ते के ब्लैक होल की याद ताजी करता है। श्रीमन्, उन प्रदर्शन करने वालों में से २३ आदमियों को दूसरे दिन छोड़ दिया गया और रात भर में जो कुछ उनके साथ हुआ, मार पीट हुई, वह काबिले बयान नहीं है। मैं इस आदरणीय सदन की जानकारी के लिये इतना बता देना चाहता हूं कि उनमें से हर एक के सिर के बाल भी काट दिये गये। श्रीमन्, हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी इस वाकये से नावाकिफ नहीं हैं। उनके पास भी बराबर फरयाद की गई, शिकायत की गई, लेकिन वही ला ऐंड आर्डर कायम रखने की बात, वही अमनो आम्मा का सवाल आड़े आ गया।

मैं इससे भी ज्यादा बदतर मामले को इस आदरणीय सदन के सामने बतलाना चाहता हूं। हमारे यहां कस्बा जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर में एक आदमी को पुलिस ने जांच और तफतीश के लिये थाने पर बुलाया और जब उसने गलत इकरार जुर्म न किया तो किस तरह से उस सब-इंसपेक्टर ने बेरहम होकर थाने के मुलाजिम मेहतर को हुक्म दिया कि इस शख्स के मुंह में पेशाब कर दो। इस पर उसने निहायत आजिजी से इल्तजा की कि चाहे मेरे गोली मार दो जाय लेकिन मुझे इस सजा से माफ रखा जाय। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस जालिम सब-इंसपेक्टर ने उसकी एक भी मिन्नत को न सुना, और उसके मुंह में वाकई में मेहतर से पेशाब कराया। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी हमारी पुलिस द्वारा वह मजालिम रवा रखे जाते हैं जो नाकाबिलेबयान हैं। अव्वल तो किसी की यह हिम्मत ही नहीं होती कि वह पुलिस की शिकायत करे या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाये, लेकिन अगर किसी तरह से पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई भी जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती।

एक तरीका यह बड़ा गलत सा है कि जो लोग थाने में एफ० आई० आर० लिखाने जाते हैं, अव्वल तो गरीब आदमी वहां जाते हुये ही डरते हैं और अगर हिम्मत करके पहुंच भी जाते हैं किसी जुर्म की इत्तला के लिये तो वहां का सब-इंसपेक्टर जो वहां फिरऔन की तरह कुर्सी डाले बैठा रहता है, हेड मोहर्रिर को हुक्म देता है कि जरा इनसे सरकारी जबान में बातचीत करके रिपोर्ट दर्ज कर लो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राज्य के सब-इंसपेक्टरों ने गाली-गलौज का नाम सरकारी जबान रख छोड़ा है। जब मुद्दई वाकयात बताना शुरू करता है तो गालियों की बौछार होती है और अक्सर थप्पड़ भी मारे जाते हैं। जो फरियादी बनकर जाता है, शिकायत लिखाने जाता है वह वहां से थप्पड़ और गालियां खाकर लौटता

[श्री गयूर अली खां]

है, यह इंसाफ है पुलिस का ! मैं आपके द्वारा यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि लोगों को एफ आई० आर० दर्ज कराने में, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि एफ० आई० आर० ग्राम पंचायतों के द्वारा या जहां कस्बे है वहां नोटीफाइड एरियाज, टाउन एरियाज के चेयरमैन के जरिये से लिखाई जाया करें और बाद में वह थाने में जाया करे ताँकि लोगों को सहूलियत हो और वह तकलीफ व परेशानी से बच सकें ।

मैं आपके जरिये से एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश की पुलिस आजकल रुपया कमाने और रिश्वत लेने में और जनता को परेशान करने में और रिश्वत लेने के लिये तरह-तरह के तरीके अख्तियार करने में लगी है । आजकल सब-इंसपेक्टर में कम्पेटीशन है कि कौन नाजायज तौर से कितना कमाता है। यों मुकदमों में और जांच में तो वह लेते ही हैं वह रिपोर्ट लिखाने में और दूसरी चीजों में भी लेते हैं । लेकिन एक चीज बड़े दुख की है, उन्होंने एक तरीका रिश्वत लेने का यह निकाला है कि नाजायज और गलत तरीके से सट्टेबाजी, जुआबाजी और अन्य चीजों के ठेके देना, नाजायज शराब और दूसरी नशा-आवर चीजों के ठेके देना और बिकवाना । यह चीज बहुत बुरी है, यह पब्लिक के इखलाक को बिगाड़ती है, करदार को खराब करती है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) ---उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस अनुदान पर जो कटौतियां पेश की गयी है उनके सम्बन्ध में विरोधियों के जो भाषण हुए उनको मैंने ध्यान से सुना । मंत्री महोदय ने अपना अनुदान पेश करते समय अपने भाषण में हमारे प्रदेश में पुलिस विभाग की ओर से जो कार्य हुआ उसमें जो सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, उसको भी मैंने गौर से सुना । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सम्बन्ध इस पुलिस विभाग से अलग-अलग तरीके से और काफी दिनों से चला आ रहा है । मैंने इस पुलिस का दर्शन स्वराज्य प्राप्ति के पहले किया, अदालतों में फौजदारी के मुकदमे करते समय किया, जनता की ओर से जो शिकायतें आतीं थीं उनको सहायता पहुंचाने के सिलसिले में मैंने बहुत उनके दर्शन किये और मेरे कुछ अनुभव हैं, कुछ मेरा एक मत बना हुआ है इस पुलिस विभाग के सम्बन्ध में ,वह मैं श्रीमन्, आपके द्वारा बताने का प्रयत्न करूंगा ।

यह निर्विवाद है कि यह पुलिस विभाग अंग्रेजों के जमाने में, जैसा उधर के एक सम्माननीय सदस्य ने कहा था, अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए तथा उनके जो सहायक थे उनकी सहायता के लिए रखा था, लेकिन उसके साथ ही पुलिस विभाग के हाथ में कुछ शक्ति भी दी गयी, कानून के द्वारा उन्हें अधिकार भी दिये गये । उन अधिकारों को सुचारु रूप से काम में ले आना या गलत तरीके से उनका प्रयोग करना यह उनके हाथ की बात थी । अंग्रेजों के सम्बन्ध में, जब हम गुलाम थे तब हम उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह सकते थे और उनके कार्यों और बातों को हमें मजबूरन बरदाश्त करना पड़ता था । स्वराज्य प्राप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति का यह सोचना कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, स्वाभाविक है । लेकिन जो हमें स्वराज्य में मिला, जिस ढंग से मिला, जब अंग्रेज यहां से गये तो उनसे जो बातें तय हुई थीं हमारे देश के नेताओं के बीच में, उसके अन्तर्गत एक प्रकार से कार्य करना था उसके अनुसार पुराने जो कर्मचारी थे उनको आगे लेवल के उनके द्वारा हमको देश में ऐसा कार्य करना था जिसमें परिवर्तन लाने की बात थी और वह जनतंत्रात्मक तरीके से परिवर्तन लाने की बात थी। रूस में जो क्रान्ति हुई उसका तरीका दूसरा था, हमारा तरीका दूसरा था, जिसको हमने अपनाया और जैसी उस वक्त की परिपाटी चली आ रही थी उसके सुधार करने में में ८-१० वर्ष क्या २५ वर्ष भी उसमें कम है । आज हम देखते हैं कि रूस में जो क्रान्ति हुई उसको ठीक ठिकाने से ले आने के लिए २० वर्ष उनको लगे और हमें तो अभी १०-११ वर्ष ही हुए हैं इस कार्य में लगे हुए। कितनी कठिनाइयों के साथ हम इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे

हैं यह जरा देखने की आवश्यकता है। जहां हम कमियां पाते हैं और उनको दूर करने की जिम्मेदारी है उसी के साथ-साथ जनता से और विरोधी लोगों से हम सहयोग की आशा करते हैं। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है ? सरकार की ओर से प्रोग्राम रखे जाते हैं, कार्य होते हैं लेकिन उसमें जनता की ओर से और विरोधियों की ओर से हमें कितना सहयोग मिलता है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---१०७-११७ में चालान हो जाता है तो कहां से सहयोग मिले ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल---चालान सही भी होते हैं और गलत भी। जहां गलत होते हैं वे न्यायालय में जाकर छूट जाते हैं और जो सही होते हैं उन पर जमानत मुचलके की कार्यवाहियां होती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सहयोग की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमारी सरकार की ओर से जितने प्रयत्न किये जा रहे हैं वह किसी दूसरे देश में शायद ही १० वर्षों के अन्दर हुये होंगे। शुरू से आज तक जहां-जहां पुलिस के लिये शिकायतें आयी हैं उनके लिये आदर्श थाने कायम किये गये। यह हो सकता है कि हम सफल न हुये हों और वह हमारा एक्सपेरीमेंट के रूप में रहा हो, लेकिन विभाग में पढ़े लिखे लोगों को लाने का प्रयत्न किया गया है। आज हमारे एस०पीज० हैं उन में पढ़े लिखे और ऊंचे खानदान के लोग हैं और अच्छी तरह से प्रश्नों को समझने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति वहां रखे गये हैं। सब इंसपेक्टर्स में भी प्रायः पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। कहीं-कहीं गलत आदमी भी होते हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन जहां गलत आदमी होते हैं, जहां कमियां नजर आती हैं उनका सुधार करने में अगर मदद मांगी जाय तो हमें अवश्य जनता का सहयोग मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं और इधर के लोग भी जनता के बीच में काम करने वाले व्यक्ति हैं। विरोधी लोग जो उधर बैठे हुये हैं अगर वे यह समझते हैं कि किसानों के बीच में काम करने का, जनता के बीच में काम करने का, और उनकी बातों को बताने का ठेका उन्हीं को मिला है तो यह गलत बात है। हम भी जनता के बीच में जाते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में जाकर कोई व्यक्ति इस बात का पता लगा ले परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कि कितनी जनता की शिकायतें होती हैं और उनकी ओर हम लोगों का कितना ध्यान रहता है। लेकिन जनता की ओर से सहायता शून्य मात्रा में मिलती है। जब हम इसमें कार्य करना चाहते हैं तो इसमें कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा और तकलीफ उठानी ही पड़ेगी।

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कहीं-कहीं कुछ बातें झूठ भी आ सकती हैं। अगर रिपोर्ट सही थाने में लिखी जाती हैं तो डकैती या कत्ल में डाकू या कातिल का नाम मालूम होना बड़ा मुश्किल होता है। जिस वक्त डाका पड़ता है, डकैती की परिस्थिति का अगर चित्रण किया जाय तो मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जिसके घर में डाका पड़ता है वह किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकता, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अदालतों में मुकदमे करने की वजह से मेरा अनुभव है कि इधर उधर से कहीं पता लगाया जाता है, किसी आदमी से बयान करवा दिये जाते हैं और बाद में पुलिस के जरिये गवाहियां दिलवा दी जाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि मुकदमे अदालत में जाकर छूट जाते हैं। गवर्नमेन्ट का हजारों रुपया खर्च हो जाता है और सरकारी अधिकारियों का समय नष्ट होता है। नेशनल टाइम बरबाद होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं अपने आई० जी० और डी० आई० जी० साहबान से यह निवेदन करूंगा कि जब वह कहीं जायं तो जाकर १५ रोज के अन्दर थाने में रिपोर्ट देखें कि कहां डाका पड़ा, कहां नकबजनी हुई और कहां कत्ल हुआ। उसका पता लगा लें और उन स्थानों में चुपके से जाकर पता लगायें कि किस तरह से कार्यवाही हुई या हो रही है। डी०आई०जी० और आई जी० साहब जाते हैं, वहां लोगों को बुलाते हैं, एम०एल०एज० को बुलाते हैं और उनसे कुछ

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

बातचीत करके चले आते हैं। यह उचित नहीं है। जिस वक्त वे एम०एल०एज० को उनसे कुछ जानकारी करने के लिये बुलाते हैं तो एस०पी० के आदमी बगल में बैठ कर सुनने की कोशिश करते हैं कि कुछ शिकायत तो नहीं हो रही है। मैं तो मंत्री महोदय से कहता हूं कि जब वे जाया करें तो वे जनता की शिकायतों को सुन कर उनका स्वयं पता लगाया करें तो उससे बड़ा लाभ होगा।

दूसरी बात और यह है कि कम्प्लेन्ट के सिलसिले में मैंने यह भी निवेदन किया कि पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो तो उस विभाग का उच्चाधिकारी उसकी जांच न करे, क्योंकि मैंने एक अनुभव किया है कि उनकी एक बिरादरी सी बन जाती है---चाहे चौकीदार हो, चाहे कांस्टेबिल हो चाहे सब-इंसपेक्टर हो। अगर उनके खिलाफ एस०पी० और डी०एस०पी० को शिकायत करिये तो ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जो जरा जंचती नहीं हैं। जैसा कि एक साहब ने कौटिल्य शास्त्र का जिक्र किया, पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग अपने कुछ खास आदमी रखते थे और जिस किसी बात का पता लगाना होता था तो वे उनको भेज कर पता लगवा लिया करते थे, हम भी इसको कर सकते हैं। अगर हम इस पर उतारू हो जायं कि जो कमियां हमारे विभाग में हैं उनको हमें समाप्त करना है तो हमको यह सब करना पड़ेगा और तभी हम जनता के बीच में कुछ स्थान गृहण कर सकते हैं और जनता हमें सहयोग दे सकती है। जनता के सहयोग बिना हम सफल नहीं हो सकते, यह हमेशा हमारे कर्णधार बताते रहे हैं। इस विभाग का जनता से काफी सम्पर्क आता है इसलिये हम सबको यह चाहिये कि अपने चरित्र को शुद्ध रख कर और दूसरों के सामने एक आदर्श रख कर जनता का सहयोग प्राप्त करें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, माननीय मोती लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं मांग अथवा कटौती के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मुझसे पहले जो माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ बोल रहे थे उनकी एक बात का मैं उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि रूस में खूनी क्रांति हुई थी और वहां पर पुलिस के आचरण में परिवर्तन करने में प्रायः२० वर्ष लग गये थे। ठीक है, रूस में ऐसा हुआ होगा। वहां पर कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप थी लेकिन अपने देश में तो जनतंत्र है। आपके द्वारा मैं ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले सदस्यों से कहूंगा कि आज प्रायः १४ वर्ष से सत्ता उनके हाथ में है लेकिन फिर भी बजाय इसके कि पुलिस के व्यवहार में वे कोई अच्छा परिवर्तन कर पाते हम अपराधों को बढ़ते हुये पाते हैं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ते हुये पाते हैं और पुलिस का सम्पर्क जिसे आप जनता के साथ अच्छा करने की बात कहते हैं वह दिनों दिन कटु और ऐसा होता चला जाता है कि जो नहीं होना चाहिये। अब तक क्या हमारे ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुये लोग यह सोचे हुये थे कि शताब्दियों तक वे ही इन कुर्सियों पर बैठे रहेंगे? वे परिवर्तन नहीं कर पाये और उनके इन कुर्सियों को छोड़ने का समय अब समीप है। समय निकल गया, वे सुधार सोच भी नहीं पाये, करने की बात तो दूर रही। समय निकलने से पहले उन्हें इस बात पर विचार करने की जरूरत थी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने जो मांग रखी है वह ९ करोड़ ४१ लाख से कुछ ऊपर है। १९४६ में जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब पुलिस की मांग आज की मांग की अपेक्षा आधे से भी कम थी और मैं यह भी कह सकता हूं कि १९३७ में जब कांग्रेस सरकार ने अपना पहला बजट बनाया था तो पुलिस विभाग की यह मांग जो आज प्रस्तुत की गई है वह उस समय के प्रायः पूरे प्रशासन के बजट की मांग के बराबर थी। आज यह मांग करीब १० करोड़ के है और प्रशासन का बजट १९३७ में करीब १२ करोड़ के था। पुलिस की यह मांग दिन प्रति दिन चौकड़ी भरती हुई बढ़ती चली जा रही है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस साल इस में ५० लाख रुपया और बढ़ गया। इस पचास लाख के खर्चे को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? यदि इस खर्चे को करना आवश्यक ही था तो

पुलिस के दूसरे अनावश्यक खर्चों को कम करके इस खर्चे को पूरा किया जाना चाहिये था, बजाय इसके कि जन-कल्याण दूसरे विभागों से काटकर ५० लाख रुपया पुलिस विभाग पर बढ़ाया जाता ।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि इतनी बड़ी मांग में से ८० प्रतिशत रुपया नौकरियों पर व्यय होता है । इस विभाग में ६२ हजार कर्मचारी हैं और उन पर १० करोड़ रुपया वेतन में दिया जायगा और इसी के साथ साथ उनको एक लाइसेंस भी दिया जायगा कि १० करोड़ के साथ साथ १०० करोड़ रुपया वे जनता से अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त करने के अधिकारी बन सकें । यदि जनता की सेवा के लिये यह रुपया खर्च किया जाता तो हमें दुख नहीं होता और हम इसका समर्थन करते, लेकिन यह मांग उनको लाइसेंस देकर घूस लेने की छूट देने के लिये पेश की जा रही है कि वे जनता से अनुचित साधनों द्वारा दस गुना रुपया वसूल कर सकें । इसलिये हम इसका विरोध करते हैं ।

मान्यवर, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज अपराधों की वृद्धि का कारण पुलिस विभाग है । कौन सा ऐसा अपराध है जिसकी वृद्धि न हो रही हो ? चोरी, डकैती, राहजनी और बलवे आदि जितने भी संगीन जुर्म हैं उन सब में वृद्धि हो रही है । मेरे पास आंकड़े हैं । मैं उनको दुहराकर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दावा यह है कि यह वृद्धि पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के कारण है । मैं मंत्री जी के सामने उदाहरण भी पेश करने के लिये तैयार हूं कि ६० फीसदी अपराध पुलिस के इशारे पर होते हैं । पुलिस को पहले से ज्ञान होता है कि फलां जगह डकैती होने जा रही है, फलां गांव में हत्या होने जा रही है । पुलिस के पास डकैती व हत्या की फीस पहले से पहुंच जाती है तब जुर्म होता है । आज पुलिस के बल पर चोर, डकैत और बदमाश अपनी मूंछों पर ताव देते हैं और जनता का खून पीते हैं और दूसरी तरफ बेकसूर व्यक्ति पुलिस के अत्याचारों का शिकार होते हैं ।

मान्यवर, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । मेरे साथी उनको कह चुके हैं और मैं उनको दुहराना नहीं चाहता था लेकिन संक्षेप में कहूंगा कि पुलिस के भय और आंतक के कारण ही बहुत से लोग अपनी मार बचाने के लिये, अपनी आबरू बचाने के लिये रिपोर्ट लिखाने थाने में नहीं जाते हैं । जो जाते हैं उनमें से कुछ वहां से ठुक पिट कर लौट आते हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती । कुछ ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें कुछ नये मुलजिम जोड़ दिये जाते हैं, अभियुक्तों के नामों में घटी-बढ़ी हो जाती है, और जब तक वह इसके लिये राजी नहीं होते तब तक उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती । परिणाम क्या होता है ? जांच शुरू होने पर दरोगा जी पहले उनसे मिले हुये होते हैं जिन्होंने वाकई अपराध किया है । उनसे रकम मिली ही होती है । जांच में उनको बरी कर देते हैं और निर्दोषों को पकड़ कर चालान करते हैं । निर्दोष जेल की यातना से बचने के लिये लम्बी रकमें दरोगा जी की नजर करता है । भ्रष्टाचार होता है । जब दरोगा जी को रकम मिल जाती है तो वे सबूत के गवाहों को बिगाड़ कर हमारे न्यायालयों को बदनाम करके, उनको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं । यही कारण है कि जितने मुकदमों में चालान होता है उसमें अधिकतर लोग छूट जाते हैं,कुछ मैजिस्ट्रेट के यहां से कुछ सेशंस जज के यहां से और कुछ हाई कोर्ट से । इस प्रकार पुलिस के कुप्रबंध के कारण आज शासन की छीछालेदर हो रही है ।

श्रीमन्, मैं कांग्रेसी रहा हूं । मेरे हृदय में कांग्रेस के लिये स्थान है, प्रतिष्ठा है और इसलिये मुझे दुख होता है यह कहने में कि आज पुलिस विभाग के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा में धब्बा लग रहा है, इस पुलिस विभाग के कारण हमारी स्वाधीनता में धब्बा लगा है । मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग में कुछ मौलिक परिवर्तन हों । जब तक यह नहीं होता तब तक पुलिस हमारी बदनामी का ही कारण बनती रहेगी । आज पुलिस कमजोरों की रक्षा के लिये नहीं है बल्कि पुलिस बदमाशों की मदद के लिये है, राजनीतिक पार्टियों को दबाने के लिये है । इन ग्यारह वर्षों में हमारे प्रान्त के अन्दर पुलिस ने जितने बार गोलियां चलायी हैं दूसरे देशों में दशाब्दियों में नहीं चलीं । मैं चाहता हूं कि पुलिस के कोड में परिवर्तन किया जाय जिससे पुलिस जनता की रक्षक बने । जनता के दिल में जो भय और आतंक की भावना बैठ गयी है वह

[श्री देवनारायण भारतीय]

दूर हो और जनता उनसे प्रेम और आदर कर सके। जो सभ्य और शिक्षित लोग हैं वे पुलिस से सहयोग करना सीखें, और पुलिस उनका सहयोग ले। परिणाम यह हो कि लोगों में यह भावना पैदा हो कि वे जुर्मों से परहेज करना और मुजरिमों को फंसाना अपना कर्त्तव्य समझें।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि पुलिस का जितना भाग जिले से नीचे देहात के स्तर का है यानी थानेदार और पुलिस के सिपाहियों का, सारा का सारा डिस्बैंड कर दिया जाय। मेरा सुझाव यह है कि जितने पुलिस के सिपाही और चौकीदार हैं इन को अलग कर दिया जाय और समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये चौखम्भा राज्य के आधार पर ग्राम सभाओं को अधिकार दिये जायं कि वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जिन-जिन सिपाही अथवा चौकीदारों को रखना जरूरी समझें अपनी इच्छा से नौकर रख सकें और उनका वेतन दें। उनकी तरक्की करने का उनका तकर्रुर और वापस करने का ग्राम सभाओं के हाथ में अधिकार हो। तभी गांवों में सुरक्षा का प्रबंध हो सकता है, तभी रिश्वतखोरी बन्द हो सकती है।

इसी प्रकार मैं, श्रीमन्, चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायती अदालत में एक मंत्री रहे जो रिपोर्ट लिखे उन वाकयात की जो उसके हल्के में हों और उन रिपोर्ट पर जो पंचायत अदालत का सरपंच हो जांच करे। सरपंचों के अधिकार बढ़ाये जायं। जो मामले उनके अधिकार में हों उनको वह फैसल कर दें और जो उनके अधिकार के बाहर हों उनकी जांच थानेदार की मदद से की जाय। आजकल जहां २ थानेदार रहते हैं वहां थानेदार रक्खे जायं और बजाय पुलिस के सिपाहियों के उसके मातहत एक ऐसा दस्ता रखा जाय जो आर्म्ड पुलिस या पी ए०सी० का हो। जिन्होंने हत्या का जुर्म किया हो उनके विरुद्ध या डकैती को रोकने के लिये डाकुओं को पकड़ने के लिये उस थानेदार या पी०ए०सी० का इस्तेमाल किया जाय। अदालत पंचायत के सरपंच के साथ थानेदार मिल कर जांच का काम करे ताकि गवाह अदालत में जाने पर बदल न जायं।

माननीय गृह मंत्री ने विलेज डिफेन्स कमेटी की प्रसंशा की। मैं उसकी कोई जरूरत नहीं समझता। आर्म्स ऐक्ट की जो पाबन्दी लगी हुई है वह हटा ली जाय। प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार दे दिया जाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, श्रीमन्, कि उसी दिन डकैतियां हमारे प्रान्त में बन्द हो जायंगी। आजकल जो पुलिस कर्मचारी मारे जाते हैं उनको सरकार इनाम देती है। मैं कहता हूं कि आपको इस इनाम देने की जरूरत नहीं रह जायगी। जब प्रत्येक ग्राम के निवासी के पास हथियार होगा वह अपनी रक्षा के लिये अपने बाल बच्चों के रक्षा के लिये स्वयं तैयार हो जायगा। आज डकैतों के पास सब हथियार हैं, लेकिन गांव वालों के पास हथियार नहीं है, यही डकैतियों का कारण है।

एस०पी० की पोस्ट एबालिश कर दी जाय और म्युनिसिपैलिटीज़ और टाउन एरियाज़ के अध्यक्षों को अधिकार दे दिया जाय कि वे अपने २ क्षेत्रों में (traffic police) आवश्यकतानुसार रखें और जो ज़िला कौंसिलें बन रही हैं चौखम्भे के आधार पर उन के अधिकार में पी०ए०सी० या प्रान्तीय रक्षक दल का एक दल रहे और उसका इंचार्ज चाहे एस० पी० कहलाये या, सर्किल इंसपेक्टर या लाइन इंसपेक्टर कहलाये। वह व्यक्ति ऐसा हो कि जब कभी थानेदारों के यहां से मांग हो तो उसके लिए मदद पहुंचाये।

आजकल पुलिस की रचना केवल इसलिए है कि वह राजनीतिक दलों को दबाये। इसको बदल करके इसका उद्देश्य इन्हीं राजनीतिक दलों के सहयोग से जिलों में शान्ति व्यवस्था कायम करने का किया जाय। प्रान्तीय स्तर पर पुलिस के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। चार-पांच सौ गजटेड आफिसर्स तीन-तीन हजार तनख्वाह पाते हैं और जो कर्मचारी देहाती जनता से सम्पर्क स्थापित करता है उसको पांच रुपया और पचास रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। श्रीमन्, जब तक वेतन में इतना अन्तर रहेगा तब तक न समाजवाद आ सकता है और न शांति व्यवस्था ही कायम हो सकती है। डकैतों से रक्षा नहीं हो सकती और न भ्रष्टाचार दूर होकर जनता से प्रेम का सम्पर्क ही स्थापित हो

सकता है। इसलिये श्रीमन्, मैं मोती लाल अवस्थी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिवर्ष पुलिस के अनुदान के समय पुलिस की बड़ी कड़ी कड़ी आलोचनायें करते हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि पुलिस में खराबियां हैं। पुलिस में अच्छाइयां भी हैं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की पुलिस प्रदेश में ही नहीं देश में एक अच्छा स्थान रखती है। देश के अन्य प्रांतों में जब शांति व्यवस्था वहां की सरकारें, वहां की पुलिस कायम करने में असफल रही, उन अवसरों पर हमारे यहां की पुलिस ने वहां शांति स्थापित कर एक अच्छा स्थान रखा। श्रीमन्, मैं उन्हीं भारतीय जी के शब्दों का और उन्हीं के वाक्यों का समर्थन करता हूं कि वास्तव में जब तक इस वेतनक्रम का सही सन्तुलन नहीं होगा तब तक यह भ्रष्टाचार या यह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। व्यवस्था को ठीक करने के लिये हमें उन्हें अधिक वेतन देने की आवश्यकता है और उसके लिये जरूरी है कि यह बजट १० करोड़ से अधिक होना चाहिये और जब तक अधिक न होगा श्रीमन्, जैसा आपने कहा कि यह बजट बहुत ज्यादा है तो श्रीमन्, ६२ हजार कर्मचारियों को अगर दिया जाय और ५० रुपया के हिसाब से रखा जाय तो करीब साढ़े तीन, पौने चार करोड़ रुपया हो जाता है एक वर्ष का। तो जहां आप तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं वहां सिर्फ उसके लिये इतना और बढ़ाना पड़ेगा। तो श्रीमन्, मैं जोर देकर दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि केवल आलोचना करने से हम व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते, भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। हमें और आपको सबको ठंडे दिल से इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वह सिपाही जो सवेरे से लेकर शाम तक कड़ी धूप में, ठंढक में, बरसात में बराबर अपने काम पर तैनात रहा है, कुछ थानेदार या कुछ थाने के सिपाही या कुछ पुलिस के कप्तान की हरकतों के कारण हम उसकी उपेक्षा करते रहते हैं। श्रीमन्, एक पचास रुपया पाने वाले पुलिस के सिपाही के लिये जो आठ-आठ घंटे ड्यूटी देता है, यह कहां तक न्यायसंगत है?

जैसा कि श्रीपाल सिंह जी ने कहा था कि यह पुलिस अंग्रेजों ने रखी थी अपना शासन जमाने के लिए, श्रीमन्, उस समय गाँव का एक चौकीदार भी बहुत बड़ा अधिकार रखता था। गांव में सिपाही जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते से उसकी तानाशाही के नमूने देखने को मिलते थे। उसकी तनख्वाहें कम थीं लेकिन लूट खसोट के जरिये बहुत ज्यादा थे। यदि हम उसी तरह से करते हैं तो भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता है। आजादी मिलने के बाद और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन के कानून में इतने परिवर्तन हुए हैं कि रोज नये नये झगड़े पैदा होते रहते हैं और २०,२० मील पर एक थाना पड़ता है जिसमें चार चार, छः छः सिपाही रोज मुकदमों की पैरवी के लिये वहां से बाहर रहते हैं। तो इस संबंध में मेरा श्रीमन्, एक सुझाव है कि जब तक थाने में रिपोर्ट लिखाने की और मुकदमों के जांच की, उनकी पैरवी करने की, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग इन्तजाम नहीं होगा और कुछ पुलिस खास तौर से और नहीं बढ़ायी जायगी, तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश का गुप्तचर विभाग अच्छी तरह से मजबूत कर दिया जाय, उनके वेतनक्रमों में एक स्तर ला दिया जाय तो सरकार के किसी भी विभाग में जो भ्रष्टाचार की शिकायत आज सुनने को मिलती है, जिस विभाग का अनुदान आता है उसी विभाग के बारे में भ्रष्टाचार की बात सुनने को मिलती है, तो अगर गुप्तचर विभाग बहुत ही पुष्ट हो जाय तो मेरी अपनी धारणा है कि प्रदेश, में भ्रष्टाचार नहीं रह जायगा। पुलिस के कानूनों में आमूल परिवर्तन करने की बात जो कही जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन अगर केवल कानूनों को बदल देने से हम यह चाहें कि हमारे यहां व्यवस्था ठीक हो जायगी तो यह असंभव होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी प्रसाद पांडेय]

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पुलिस के सब इंसपेक्टरों को पहले घोड़ा दिया जाता था और उसका एलाउन्स उसको मिलता था। आज धनाभाव के कारण वह घोड़े हटा लिये गये। मेरा अनुरोध है कि थानेदारों के पास अवश्य घोड़ा रहना चाहिये क्योंकि घोड़ा न रहने के कारण पैदल चलना तो वह अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिये मौके पर जाते नहीं और वहीं बैठे बैठाये अपनी रिपोर्ट लिख के भेज देते हैं।

दूसरा सुझाव यह है कि पुलिस के सिपाही जो गांवों में जाते हैं श्रीमन्, उनकी साइकिलें ले ली जानी चाहिए। उनकी संख्या वहां बढ़ा दी जाय। लेकिन साइकिलें ले ली जायं उनसे, क्योंकि वह एक रास्ते से दूसरे रास्ते चले जाते हैं और सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का थानों के सिलसिले में एक पूरा सर्वे कराया जाय ताकि बीस बीस, पच्चीस पच्चीस मील पर जो थाने पड़ते हैं वह थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर हों। चाहे वह बड़े थाने हों चाहे चौकियां ही रख दी जायं, लेकिन इसकी व्यवस्था की जाय और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा जो पी०ए०सी० में काम करने वाले हैं या आर्म्ड पुलिस में काम करने वाले हैं उनमें यदि कोई अच्छा काम करने वाला हो तो उसके लिए कुछ उसको मिलना चाहिये। चाहे १ रुपया हो, चाहे २ रुपया हो या १० रुपया हो, कुछ उनको अवश्य देने की कृपा करें।

एक बात मुझे सरकार से यह निवेदन करनी है कि आज भी जैसे कि पहले हुआ करता था, पुलिस विभाग में तानाशाही की बात होती है। बड़े बड़े उच्च अधिकारी छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत ही दबाकर रखते हैं। डिसिप्लिन के नाम पर उनको नाजायज तरीके से निकाल दिया जाता है या ससपेंड कर दिया जाता है। मुझे मालूम है कि यह पुलिस विभाग में पुलिस यूनियन पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा चलाई गई थी। उसमें कुछ राजनीतिक नेताओं ने इधर उधर करके और बेचारे छोटे कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में तितर-बितर करके शोचनीय स्थिति में डाल दिया है। अब उनको सर्विस से अलग किया जा रहा है। पहले जिस समय इस यूनियन को कायम किया गया तो उस समय इसकी सारी बातों पर विचार कर लिया गया था। यदि इसकी वजह से लोगों को परेशान करने की बात थी तो पहले ही क्यों इसको मंजूर किया गया? पहले जब इसको स्थापित किया गया तो कुछ समय काम करने के बाद फिर इनके ऊपर लांछन लगाकर यह कहा जाता है कि वे लोग पंचमांगी का काम कर रहे हैं। उनको अब सर्विस से निकाल दिया गया है। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पुलिस विभाग में जो छोटे छोटे कर्मचारी सिपाही या हवलदार या जमादार हैं उनकी व्यवस्था के संबंध में माननीय मंत्री जी को देखने की चेष्टा करनी चाहिये। जहां तक उनकी मांगों का सवाल है और उनके अधिकार का प्रश्न है उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये। अनुशासन के नाम पर उच्च अधिकारी उनको बहुत परेशान करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि उनके सिलसिले में जो आपका पुलिस कोड बना हुआ है उसमें परिवर्तन होना चाहिये क्योंकि सिपाही या कांस्टेबिल के जरा सी गलती करने पर तुरन्त उसको दंड देकर निकाल दिया जाता है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी जिले में एस०पी० चाहें कि वहां पर व्यवस्था कायम रहे तो वहां पर व्यवस्था कायम रह सकती है और यदि उच्च अधिकारी यह चाहें कि वहां पर व्यवस्था न रहे तो वहां पर व्यवस्था कायम नहीं हो सकती हैं।

अभी कहा गया कि माननीय गृह मंत्री के पास कई विभाग हैं और ऐसे आवश्यक विभाग हैं जो बहुत ही आवश्यक विभाग हैं। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग और हरिजन कल्याण विभाग उनके पासहैं। इसके लिये यह कहा जाता है कि १ या २ करोड़ रुपया किसी के बजट में बढ़ गया तो काम नहीं चल रहा है। मैं तो कहूंगा कि इन चारों विभागों में चाहे वह पुलिस का विभाग हो या हरिजन कल्याण का इन सबके लिये अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाय और खासतौर से हरिजन कल्याण के लिये। यदि ऐसा हो तो देश

में भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा और देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ठोस परामर्श इस सदन के सामने रखने हैं। पुलिस जो आज अपनी ड्यूटी ठीक रूप से अदा नहीं कर रही है इसके खास कारण हैं। और उन कारणों पर गौर किये बिना पुलिस अपनी ड्यूटी को सही तौर से नहीं कर सकती है। पुलिस के कर्त्तव्य को पूरा कौन नहीं होने देते हैं? एक जिले के अन्दर हफ्ते में ४ दिन प्रदेश के मिनिस्टर रहते हैं और हफ्ते में ३ दिन सेंटर के मिनिस्टर रहते हैं। एस०पी०उनके पीछे फिरते दिखाई देते हैं और ला एण्ड आर्डर के लिये उनके पास कोई मिनट नहीं रहता है। जिस पुलिस के अधिकारी के पास ला एण्ड आर्डर को देखने के लिये समय नहीं रहता हो तो फिर वहां शांति और व्यवस्था नहीं चल सकती है। मेरी बहुत अदब के साथ अर्ज यह है कि ये हमारे मिनिस्टर लोग या तो अपने दौरे बन्द करें या दौरे में यह आर्डर दें कि कोई पुलिस का आदमी उनके साथ नहीं आ सकता। एस०पी० और पुलिस तो चोर और डाकू के पीछे चला करते हैं, किसी जनता के प्रतिनिधि या जनप्रिय मिनिस्टर के पीछे नहीं चला करते हैं, लेकिन जिन लोगों का कांशेन्स गिल्टी होता है उनके चारों तरफ सुरक्षा के लिये पुलिस आर्म्स लेकर चलती है। उनको इस बात का डर रहता है कि वे अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकते हैं। जनप्रिय मिनिस्टरों को तो जनता दूध पिलाती है, फूलों के हार पहनाती है। उन्हें अपनी रक्षा के लिये पुलिस की जरूरत नहीं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि या तो ये दौरे मिनिस्टरों के खत्म हों या इसके लिये यह हुक्म हो कि उनके दौरों के समय कोई पुलिस का सिपाही या कोई पुलिस का अफसर उनके साथ नहीं आयेगा।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि इस प्रदेश में इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी पर है। मैं माननीय चतुर्भुज शर्मा के शब्दों में कहता हूं। माननीय शर्मा जी सूबा कांग्रेस कमेटी के ऊंचे ओहदेदार हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस में एक शख्स ऐसे ओहदेदार होकर आ गये हैं जिन्हें नैतिक अपराध में सजा हो चुकी है। मेरी अपनी इत्तला है कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग अधिकारी हो गये हैं जो कल तक जरायम पेशा थे और औरतें भगाते थे। वे लोग आज एस०पी० के ऊपर रोब गांठते हैं कि मैं कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट हूं और मेरे कहने से फलां शख्स का चालान कर दो और फलां को छोड़ दो। मेरे जिले के एक जिम्मेदार कांग्रेसी ऊंचे ओहदेदार ने डी०एस०पी० को इस बात के लिये मजबूर किया कि एक निर्दोष का चालान कर दीजिये। मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन यह उनके कैरियर के लिये अच्छा न होगा। डी०एस०पी० ने चालान न किया तो उस कांग्रेस कमेटी के ओहदेदार ने उसको वहां से रिवर्ट कराकर सी०आई० बनवा दिया। जिनका कोई मारल स्टैंडर्ड नहीं है, जिनकी कोई नैतिक परिभाषा नहीं है, जिनका कोई नैतिक मयार नहीं है, इखलाकी मयार नहीं है वे सिर्फ प्रदेश की कांग्रेस कमेटी या मंडल कांग्रेस कमेटी के नाम पर एस०पी० या डी०एस०पी० पर रोब गांठते हैं।

मेरी विनम्र प्रार्थना है कि माननीय गृह मंत्री जी अगर १२ साल तक शिक्षा का काम करते तो शिक्षा का प्रचार इतना हो जाता कि अनैकिता अपने आप खत्म हो जाती। अब तो 'दुबिधा में दोनों गये माया मिली न राम'। 'वन थिंग एट ए टाइम' न पुलिस विभाग ही सम्भला और न शिक्षा विभाग ही सम्भला। मेरी शिक्षा मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि वे देव का रूप हैं, भारतीय संस्कृति के जीते जागते रूप हैं, वे शिक्षा के प्रोग्राम को सम्भालें तो १२ साल के अन्दर भ्रष्टाचार सहज ही दूर हो जायगा। लेकिन यह मोह इधर भी प्यारा और उधर भी प्यारा। यही चीज हमारे सूबे की सुव्यवस्था को खराब करती है।

[श्री यशपालसिंह]

जब तक आप पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उनका आचरण नहीं सम्भाल सकते। आप पुलिस की डायरी पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको झूठी समझते हैं। पुलिस के थाने में जो बयान दिया जाता है वह काउन्ट ही नहीं किया जाता। तब बताइये कि पुलिस का नैतिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो सकता है? नामुमकिन बात है। यह कैसे हो सकता है? फारसी में एक शेर है :

"दर्मियाने कारे दरिया तख्ता बन्दम करदई,
बाज मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश।"

पहले किसी की किश्ती को दरिया में डुबो दिया और फिर कहा कि सावधान कपड़े न भीग जायं। भला यह किस तरह से मुमकिन हो सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि पुलिस की डायरी काउन्ट की जाय, पुलिस के बयानों पर विश्वास किया जाय। जब आप किसी को झूठा कहें तो उसको सच्चा बनाने की क्या जरूरत है? जब आप किसी पर विश्वास न करें तो उसको विश्वसनीय बनने की क्या आवश्यकता है?

ब्रिटेन में पुलिस की डायरी की वैल्यू है। ग्रेट ब्रिटेन में पुलिस की डायरी काउंट की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि पुलिस में आमूल चूल परिवर्तन तभी हो सकता है जब कि छोटे मुलाजिमान की तनख्वाहों को बढ़ाया जायगा। आज भी माननीय गृह मंत्री जी ने हेड कांस्टेबिल का जिक्र तो किया लेकिन उस बेचारे कांस्टेबिल का जिक्र नहीं किया जो ३० रुपया माहवार पाता है और २५ रुपया जिसको मंहगाई मिलती है। ५५ रुपया महीना उसको मिलते हैं जो देश का रक्षक कहलाता है, जब कि एस०पी० के घोड़े को दिया जाता है ७५ रुपया माहवार। एक हैवान की तनख्वाह इंसान की तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। मैं यह नहीं कहता कि घोड़े की तनख्वाह कम कर दी जाय। हमारी संस्कृति में घोड़े की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। धर्मयुद्ध में इस घोड़े ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारे देश के इतिहास में इस घोड़े का हिस्सा रहा है। इसलिये उसकी तनख्वाह ७५ रुपया ही रखी जाय, लेकिन इस बेचारे इंसान का वेतन भी कम से कम १०० रुपया माहवार रखा जाय। किसी का भी १०० रुपया माहवार से कम होना प्रदेश के लिये अपमान है।

आज भी पुलिस के चौकीदार को ५ रुपया माहवार मिलते हैं। अगर कोई चोरी करता है तो जेल में उसके ऊपर करीब ५२ रुपया माहवार खर्च किये जाते हैं। लेकिन जो चौकीदारी करता है उसको दिया जाता है, इस मंहगाई के जमाने में ५ रुपया माहवार। जब तक आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते तब तक हमारे प्रदेश की उलझनों को आप सुलझा नहीं सकते।

भुल्लन सिंह रुड़की शहर का कोतवाल था। उसने रूपा, स्वरूपा दो डकैतों को गोली से मारा और उसके भी गोली लगी। रूपा, स्वरूपा तो वहीं पर मर गये, लेकिन वह रूपा, स्वरूपा की गोली से घायल हो गया। उसके पैरों में गोलियां लगीं। भुल्लन सिंह शहर कोतवाल को सिविल अस्पताल में ले जाया गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास औजार नहीं हैं। जब वह मिलिटरी अस्पताल में ले जाया गया तो कहा गया कि हमें हुक्म नहीं है। ३६ घंटे तक उसकी लाश इधर से उधर ठोकर लगा कर फेंकी गयी। अगर किसी मिनिस्टर की नाक पर मक्खी भी बैठ जाती तो लखनऊ से हवाई जहाज उड़ कर डाक्टर को लिये चला जाता, लेकिन एक जिन्दा शहीद, देश की रक्षा करने वाला शहीद, देश के लिये अपने प्राणों को बलिदान करने वाला जो शहीद था उसकी गोली ३६ घंटे तक नहीं निकाली जा सकी। ३७वें घंटे में जाकर देश का वह रक्षक, देश के लिये अपने प्राण को बलिदान करने वाला शहीद, कुत्ते की तरह तड़प-तड़प कर मर गया। इस तरह से देश की रक्षा नहीं हो सकती। बड़े विनम्र शब्दों में मेरी यह प्रार्थना है कि पुलिस के ऊपर विश्वास कीजिये, अविश्वास करने से कभी भी काम नहीं चलने वाला है।

माननीय गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि अगर वे देश के अन्दर शांति व व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हथियारों के लिये लाइसेंस की प्रथा को खत्म करें। अपने देश के आत्म-सम्मान के लिये तथा उसकी रक्षा के लिये हथियारों का लाइसेंस एक बहुत बड़ा रोड़ा है जिसे शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिये। सन् १९३१ में पूज्य बापू ने करांची कांग्रेस के अवसर पर यह कहा था कि हिन्दुस्तान जब आजाद होगा तो हर बालिग हथियार रख सकेगा बगैर किसी लाइसेंस के। लेकिन यह न होकर लोगों को चार-चार हजार रुपया रिश्वत लेकर हथियारों के लाइसेंस दिये जाते हैं। किसी निर्धन नागरिक को हथियारों के लाइसेंस नहीं मिलते। इसी सदन में हरदोई के एक एम०एल० ए० का जिक्र किया गया था कि उनकी बन्दूक की दरख्वास्त खारिज हो गयी। दूसरी तरफ डाकुओं के पास अनेकों हथियार आ गये हैं। अब मैं क्या कहूं ? आप हिसाब लगा कर देखिये कि साल भर में कितनी बन्दूकें मालखाने से चोरी होती हैं।

मैं आपको बतलाऊं कि पिछले दिनों बिजनौर का एक कैदी जिसे फांसी की सजा मिली थी वह पुलिस कस्टडी में लखनऊ में फांसी देने के लिये लाया जा रहा था। लेकिन वहां से यहां के लिये १०,१२ स्टेशन जाने के बाद पुलिस के देखते-देखते वह उस गाड़ी से कूद पड़ा और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसको वहां पकड़ सके। पुलिस क्या समझ कर अपनी जान पर खेले ? जो मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं या कांग्रेसी एम०एल० एज० के रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं उनको तो तरक्की मिल जाती है, लेकिन पुलिस में जो ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं उनको तरक्की नहीं मिलती है। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं और शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हथियारों पर से लाइसेंस की पाबन्दी को हटाइये ताकि किसी शख्स को बन्दूक या रिवाल्वर के लिये रिश्वत न देनी पड़े। उसके लिये पुलिस ट्रेनिंग हो, मिलिटरी ट्रेनिंग हो ताकि हमारे यहां के लोग देश की रक्षा कर सकें। जो देश के रक्षक ये हमारे सिपाही हैं, उनको १०० रु० से कम तनख्वाह देना उनके ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार है। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं और देश में शांति व सुव्यवस्था कायम करना चहते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी आज यहां प्रतिज्ञा करें कि किसी शख्स को हथियार के लिये अब लाइसेंस की जरूरत न होगी। आज तो हालत यह है कि हथियारों के लाइसेंस देने में भी सौदा किया जाता है। एक हथियार का लाइसेंस देने पर १,००० वोट का सौदा कर लिया जाता है कि इतने वोट कांग्रेस के पक्के हो गये। मैं बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि आप नैतिक स्तर को ऊंचा कीजिये, आचरण को ऊंचा कीजिये और पुलिस के ऊपर जो अविश्वास की भावना है उसको विश्वास में परिणत कीजिये। जो पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़ा होकर रास्ता दिखलाता है वह मेरे प्रदेश की सम्पत्ति है। उसकी चौड़ी छाती लम्बी भुजायें और ऊंचा कद देख कर मुझे खुशी होती है। पुलिस को बढ़ावा देने के लिये उनकी तनख्वाह बढ़ाइये, छोटे-छोटे नौकरों की तनख्वाह बढ़ाइये। यह मैं नहीं कहता कि जो बड़े-बड़े हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारा आदर्श यह होना चाहिये कि १०० रु० से कम किसी की तनख्वाह न हो और २,००० रु० से ज्यादा किसी की तनख्वाह न हो। हमारे यहां वजीर के लिये जो आदर्श बतलाया गया है उस पर माननीय गृहमंत्री जी को चलना चाहिये :

"उपल शक्त मेतत् मेदकं गोमयानाम्,
बटुमि उपहृतानाम्, बर्हिवां स्तोभं एष।"

जो सबसे बड़ा वजीर है अपने शरीर को सधावे और अपने हाथ से लकड़ी लाकर हवन करे तो देश में शांति व व्यवस्था रह सकती है। इसके अलावा दफा १०७ और ११७ को कानूनन बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि इसके जरिये देहातों में बड़ा अत्याचार होता है। इसके रोकने के लिये जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि जनता के अन्दर चरित्र का निर्माण हो, जनता को अखलाक की तालीम दी जाय। श्रीमन्, १६ करोड़ की आबादी वाला जो अरब

[श्री यशपाल सिंह]

देश है वहां पर सारे मुल्क के अन्दर एक भी जेलखाना नहीं है और वहां किसी को चोरी करने की हिम्मत नहीं होती है। लाखों रुपये के हीरे जवाहरात दूकान में भरे रहते हैं। अजान होने पर मालिक दूकान को खुली छोड़ कर मस्जिद में चले जाते हैं वहां से आध घंटे बाद लौटते हैं, हीरे जवाहरात और सोने को कोई छू भी नहीं सकता। उनके अन्दर दीनयात की तालीम है। हमारे यहां जो धर्मराज है उसमें "नयेस्ते नो जनपदेन कदर्योन मद्यपो ना नाहिताग्निर्नो विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः।" सारे देश में कोई शराब पीने वाला न रहे, चोरी करने वाला न रहे, रिश्वत लेने और देने वाला न रहे। बेईमानी से रुपया जोड़ने वाला न हो, यही हमारा आदर्श है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस अनुदान पर बहस कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण अनुदान है और साथ ही साथ उसका सम्बन्ध उस विभाग से है जो कि एक जमाने से काफी बदनाम रहा है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम सब यह सोचते थे और समझते थे कि हमारे देश की आजादी के बाद पुलिस विभाग के ऊपर जो कलंक है वह बहुत कुछ मिट जायगा और बजाय इसके कि वह हमारी जनता के लिये भय की वस्तु हो, स्नेह और प्रेम की चीज बन जायेंगे और सच माने में जनसेवक होंगे। उस तरफ के बहुत से साथियों ने टीका-टिप्पणी की। बहुत सी बातें कही गईं, मान्यवर, मुझको जाती तौर पर उनसे इनकार नहीं है। मैं भी उनकी सच्चाई महसूस करता हूं इसको मानते हुए भी मैं उस हद तक जाने को तैयार नहीं हूं कि आज की पुलिस की तुलना अंग्रेजी जमाने की पुलिस से करूं।

मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद जब देश का वातावरण बदला, पुलिस के अन्दर भी कुछ लोग बदले। मगर यह जरूर मानता हूं कि जिस हद तक उनमें तब्दीली की हम आशा करते थे, चाहते थे उस हद तक यह विभाग अपने आपको नहीं बदल सका है। मेरी आज भी यह धारणा है कि जो हमारा लक्ष्य है कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, या समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं या देश के अन्दर जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं उसके अनुरूप जिस प्रकार का पुलिस विभाग होना चाहिये हमारा दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश के अन्दर उसका वह रूप नहीं बन सका। आज भी इस बात की शिकायतें मिलती हैं कि हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, मैं नहीं जानता कि उसे आई० जी० के यहां से कोई इंस्ट्रक्शन्स हों, क्योंकि मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शन्स नहीं हो सकते, मगर यह एक धारणा है कि जो प्रदेश में क्राइम्स होते हैं उनको छिपाया जाय। मैं जाती तौर पर इस बात को जानता हूं कि अगर किसी हल्के में ६, ७ डकैती होती हैं मुश्किल से १ या २ का इंदराज होता है। मुझे इस बात का दुख है कि जो आंकड़े हमें दिये जाते हैं वे हमको सही स्थिति का ज्ञान नहीं कराते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर देश के अन्दर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो पुलिस विभाग सच्चे माने में क्राइम्स की फिगर्स दे ताकि सरकार समझ सके कि कौन से तरीके अख्तियार किये जायं जिससे प्रदेश के अन्दर क्राइम्स करने की जो मनोवृत्ति बढ़ रही है उसको कम किया जाय। मगर आंकड़े दे दिये जाते हैं कि क्राइम्स की पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। मैं जानता हूं कि नहीं हो रही है। क्राइम्स हमारे यहां आज भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, मुझको झांसी जाने का इत्तफाक हुआ। मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि झांसी में जब हम लोग गये, बहुत से हमारे साथी थे कांग्रेस के भी और विरोधी दल के भी, हम लोग माताटीला डैम देखने गये थे, हमने एक पब्लिक मीटिंग की और वहां की जनता ने जहां और मांगें पेश कीं उनमें से एक मांग यह भी की थी कि भगवान के वास्ते हमारी जानोमाल की रक्षा का इंतजाम करा दीजिये। आज ऐसा मालूम होता है कि झांसी के अन्दर उस हिस्से में जो मध्य प्रदेश को छूता है हमारी हुकूमत खत्म हो चुकी है। एक जिला अलीगढ़ है, वहां १४,

१४ कत्ल हो गये और तारीफ इस बात की है कि वहां के जो एम० एल० एज़० हैं उन्होंने कहा कि फलाने आदमी का कत्ल होने वाला है और उसका कत्ल हो गया। कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। हमारी एक बहन माननीया कमलकुमारी गोईंदी जी, जो यहां की सदस्या भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी एक सब-इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि अगर इसका ट्रांसफर नहीं होगा तो वहां अमुक आदमी का कत्ल हो जायगा। और उसका कत्ल हो गया। श्रीमन्, कुछ न हो सका, कत्ल हो गया। मैं इस बात को मानता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, पुलिस का इतना बड़ा विभाग है, इसमें लाखों आदमी काम करते हैं, सभी खराब हैं यह कहना अनुचित होगा। उसके अन्दर अच्छे लोग भी हैं। खास तौर से आप की जो पी० ए० सी० है वह काबिले तारीफ है। यह सही बात है कि उसने प्रदेश के बाहर जाकर भी प्रदेश के नाम को ऊंचा किया। यह बात भी सही है और मैं उन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने डाकुओं के गैंग से लड़कर उन्हें खत्म किया है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं इस बात को देखता हूं कि कितना पैसा खर्च हुआ उन गैंग्स के लिक्वीडेशन करने में और कहां तक कायमाबी हुई तो मुझको ऐसा लगता है कि जितना हम खर्च करते हैं उसके हिसाब से उतना फल नहीं मिल पाता। यह बात सही है कि बड़े-बड़े काम स्टेट के अन्दर हुए। मानसिंह को मार दिया, लेकिन आज भी उसका गैंग इफेक्टिव है। तो जिन हमारे सिपाहियों और आफिसरों ने मुकाबला किया और मारे गये उनके लिये हमारी हार्दिक श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है। हम यह भी चाहते हैं कि उनके कुटुम्ब के लिये माननीय मंत्री जी उचित आर्थिक सहायता दें। लेकिन बुनियादी बातों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार की बात कही गई। मैं इनकार नहीं करता। भ्रष्टाचार है। मगर जिस विभाग को देखिये उसी में यह मर्ज है। यह मर्ज ऐसा है जो पूरे समाज के अन्दर बढ़ गया है। उसका राष्ट्रीय पैमाने पर मुकाबला करना पड़ेगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट के सिलसिले में। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई पैसा तय कर दिया जाय कि इतना ही दिया जायगा, एक रुपया दिया ही जायगा, क्योंकि वह तो ट्रैडीशन है भी। उससे यह आसानी तो हो जायगी कि जो जायगा वह समझ लेगा कि एक रुपया तो देना ही होगा। यह तो नहीं कि दस रुपया, बीस रुपया जैसा चाहा मूड़ लिया। हमारे आई० जी० साहब ने कोई आदेश निकाला था कि फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्टें डाक से भेज दी जायं, चिट्ठी से भेज दी जायं, एस० पी० साहब के पास भेज दी जाय। मैं समझता था कि उससे कुछ अच्छाई आएगी। लेकिन उनकी वह स्कीम शायद कामयाब नहीं हो सकी।

आपने कम्प्लेन्ट आफिसर नियुक्त किये। हमने भी समझा कि अच्छी चीज है। मेरी अपनी जानकारी है कि जो कम्प्लेन्ट आफिसर आपने एप्वाइंट किये उनसे कोई फायदा नहीं हुआ सिवा इसके कि जो सीढ़ी भ्रष्टाचार की थी उसमें एक लिंक और बढ़ गई। मेरी यह भी इत्तला है कि जिन लोगों के बहुत अच्छे कैरेक्टर रोल्स नहीं थे उन लोगों को कम्प्लेन्ट आफिसर एप्वाइंट किया गया। मैं जानता नहीं कि कोई नीति की बात है, लेकिन विभाग के भीतर ऐसा हुआ।

ऐन्टी करप्शन कमेटी आपने बनाई है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह डिफंक्ट है। लेकिन खुशी की बात है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया हाईकोर्ट में किसी जज के अधीन कोई कमेटी बैठी है, वह देख रही है कि करप्शन किस तरह से खत्म कर सकते हैं।

विरोधी दल के कुछ साथियों ने मान्यवर, यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के असर के अन्दर पुलिस काम कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में बहस में नहीं पड़ना चाहता, बाकी मेरा तो कुछ दूसरा ही अनुभव है और वह यह कि आम तौर से शिकायत इस तरह की है कि अगर

[श्री नवल किशोर]

उनकी थोड़ी सी भी हमदर्दी होती है तो वह विरोधी पार्टियों के साथ ही होती है बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी से हो । खैर, मैं अधिक इस विषय में जाना नहीं चाहता ।

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जाती हैं । सवाल यह है कि पहले समाज का भ्रष्टाचार खत्म हो या पहले सर्विसेज का । उसी तरह का सा सवाल है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले । यह एक बड़ा भारी सवाल है और यह हमारी यहां की आलोचनाओं से खत्म नहीं हो सकता, यह तो राष्ट्रीय समस्या है । अब इस सम्बन्ध में मैं केवल दो-चार बातें ही और कहूंगा । मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जिन के वेतन कम हैं उनको उचित और समुचित वेतन दिया जाय और जहां तक उनको सुविधायें देने की बात है उस में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वेतन और भ्रष्टाचार का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है । यह मैं कह सकता हूं कि साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन का जो सेक्शन बना है वह अच्छी चीज है और उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है । कम्प्लेन्ट्स को सी०आई० डी० देखे यह भी अच्छा कदम है । क्राइम्स के बारे में मैं कहूंगा कि अगर १०० आफेन्स होते हैं तो उनमें से केवल ५५ या ५० का इन्वेस्टीगेशन होता है और केवल १४ या १५ ही उनमें से कामयाब होते हैं । हमारी बड़ी दिक्कत है । क्राइम्स के बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वे कोर्ट आफ कन्विक्शन नहीं बल्कि कोर्ट्स आफ एक्विटल बन गये हैं, क्योंकि सिर्फ १४–१५ प्रतिशत केसेज ही वहां जाकर कामयाब होते हैं और बाकी सब छूट जाते हैं । इस सरकार ने कुछ साल पहले इस तरह का कानून लाने की कोशिश की थी कि डकैती और कत्ल वगैरह में जमानत देने के तरीके में सख्ती की जाय, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों वह कानून हमारे यहां आ नहीं सका । वैसे यह बात बड़ी आपत्ति की है कि एक आदमी ने कत्ल किया या डकैती की और वह २० दिन के बाद जमानत पर छूट कर आ जाता है और इसकी वजह से गवाहों आदि के मिलने में दिक्कत होती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे जरायम में जमानत न ली जाय, इस तरह की तब्दीली कानून में की जाय ।

एक जमाने से हम यह बात कहते आये हैं कि हमारी सरकार को हमारा जो एवीडेंस का ऐक्ट है उसमें संशोधन करना चाहिये, यह कानून आउट आफ डेट हो चुका है । इसकी वजह से पुलिस वालों को झूठी गवाहियां देनी पड़ती हैं और तमाम तरह की गलत चीजें होती हैं । इसलिय इस सम्बन्ध में हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से कह कि वह इस में उचित संशोधन करे ।

एक बार पहले यह बात हुई थी कि हमारे जो कप्तान पुलिस या सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं वह घोड़ा रखा करें और उस पर दौरा किया करें । खयाल था कि जीपों पर जाने से इतना जन-सम्पर्क नहीं हो पाता । मैं नहीं जानता कि हमारे प्रदेश में कितने एस० पीज० ऐसे हैं कि जिन्होंने घोड़े रखे हैं और वे उन पर दौरा करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि दारोगा जी और एस० पी० साहब के वेतन में चाहे जितना भेद हो, यह ठीक है कि डिस्पैरिटी कम होना चाहिये । लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि दरोगा जी को घोड़े की जरूरत होती है तो सरकार ४–५ सौ रुपया देती है और अगर एस० पी० को घोड़े की जरूरत होती है तो उनको ९०० रुपया दिये जाते हैं और घोड़े के खर्च के लिये दरोगा जी को दिये जाते हैं ४५ रुपया मासिक और एस० पी० साहब को दिये जाते हैं ७५ रुपया मासिक हार्स एलाउन्स के । इस तरह की डिस्पैरिटी बड़े आश्चर्य में डालती है । वह दोनों घोड़े एक ही तरह का घास दाना खाते हैं तो उनके एलाउन्स में यह अन्तर नहीं होना चाहिये ।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि हमारे सूबे के जो बोर्डर्स पर क्षेत्र हैं उन पर जो मिशनरीज हैं वे अपना कुछ काम करते हैं । कभी-कभी हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि फारेन मिशनरीज अपने धार्मिक कार्यों के अलावा अपने कुछ सयासी काम भी हमारे सूबे में करते हैं । इसलिये

जरूरत इस बात की है कि अपने गुप्तचर विभाग के लोगों को हम इस विषय में सतर्क कर दें। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो सम्बन्ध चल रहे हैं उनको देखते हुए इस बात की बहुत आवश्यकता हो गई है कि हम अपनी शान्ति-व्यवस्था कायम रखने के लिये इस तरह की विदेशी एजेंट्स की हलचलों और मूवमेंट्स को वाच करें और उनका पूरा ज्ञान रखें।

मान्यवर, हमारे यहां जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के अन्दर भी आमूल परिवर्तन की जरूरत है। इस सम्बन्ध में यह तो बताना मुझे कठिन है कि उसके अन्दर क्या चीज हो, किस तरह की बात हो, मगर मैं समझता कि अगर सही माने में उनको जनतंत्र के अनुरूप एक अच्छा पुलिस का अफसर बनाना है, अच्छा सिपाही बनाना है तो हमें उनकी ट्रेनिंग में तब्दीली करनी पड़ेगी।

बन्दूकों के लाइसेंस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बन्दूकों के लाइसेंस के सम्बन्ध में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट के एस० पी० और डी० आई० जी० जो रेंज के हैं उनको लिखें कि वह तमाम जिले में सर्वे करें कि कौन से गांव ऐसे हैं जिन में कोई भी बन्दूक नहीं है और जब वह लिस्ट आ जाय तो वह अपने ३-४ अफसरों को और जिनको वह उचित समझते हैं उनके जरिये से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहें कि वह हर गांव के अन्दर दो-दो तीन-तीन बन्दूकें दें। यह न करें कि जैसा आज भी एजेंटी का काम गांव-गांव में चल रहा है, पुलिस एजेंट्स मौजूद हैं। उन्हीं को लाइसेंस दिये जायं बल्कि जो सरपंच हो, चाहे गांव सभा का सभापति जो अच्छे चरित्र के हों उनको लाइसेंस दे दिया जाय। इससे काफी अच्छाई हो सकती है। ग्राम रक्षा समितियों को भी मजबूत बनाना चाहिये।

अन्त में एक शब्द कह कर खत्म करना चाहता हूं कि आज आवश्यक है और जिस तरफ माननीय मंत्री जी ने भी संकेत किया है कि पुलिस जनता से सम्पर्क स्थापित करे और साथ ही साथ विरोधी दल से भी अपील करूंगा कि वह चाहे जितने आन्दोलन करें, चाहे कितने डिमांस्ट्रेशन करें मगर कृपया जनता में कानून तोड़ने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन न दें।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, इधर से पुलिस अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव आया उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अमूमन श्रीमन् यह देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक चलाने के लिये जिलों के अन्दर कलेक्टर और एस० पी० में जो कोआर्डिनेशन होना चाहिये, जो सामंजस्य होना चाहिये दोनों के कार्य में, वह नहीं दिखाई देता। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से बहुत बार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कलेक्टर और एस० पी० के कार्य में बजाय सामंजस्य होने के संघर्ष होता है और उसका नतीजा यह होता है कि डिपार्टमेंटल जैलसीज खड़ी होती हैं। दो अफसर लड़ते हैं और जनता पीसी जाती है। ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला होता जाता है, क्राइम्स बढ़ते जाते हैं और गुटबन्दी होती है जिसमें एक के खिलाफ एक को प्रोटेक्शन मिलता है। मैं इस सदन में नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि एक जिले में कलेक्टर और एस० पी० में झगड़ा हुआ। एक आदमी जुर्म करते हुए पकड़ा गया। जुर्म करने वाले को प्रोटेक्शन दूसरी ओर से मिलना शुरू हुआ। उसको लेकर इतना उसका तूमार बंधा कि व्यक्तिगत दलबन्दी बन गयी और एक गुट को दूसरे गुट के खिलाफ दोनों ओर से प्रोटेक्शन मिलता था। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो सूबे की जो स्थिति खराब हो रही है जुर्मों की, वह और बढ़ेंगे, इससे हम आप भाग नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं जिलों की स्थिति तो यह है कि यह मंत्री जी ने जो पुस्तिका निकाली है विभाग की ओर से, इसमें भी स्वीकार किया है कि इस प्रान्त के अन्दर कत्ल सबसे ज्यादा बढ़े हैं---१,६३७ वर्ष भर में हुए। इसका क्या अर्थ है? आखिर यह पुलिस किस लिये रखी गयी है? सिक्योरिटी आफ लाइफ एण्ड लिम्ब के लिये। लेकिन आज प्रदेश में लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। आज मर्डर्स, कत्ल, होते रहते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं तो स्पष्ट आरोप लगाऊंगा और दो तीन उदाहरण दूंगा कि विभाग के द्वारा भी कत्ल छिपाये जाते

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

हैं। या तो विभाग इतना इनकाम्पीटेंट है कि उनको ट्रेस आउट नहीं कर पाता और अगर कर पाता है तो छिपाता है। मैं आपको एक लखनऊ का उदाहरण दूं कि लखनऊ के थाने हसनगंज में गोमती में एक स्त्री की लाश पायी गयी। पुलिस ने एक मल्लाह को पकड़ कर यह कहलवाया कि यह मेरी स्त्री की लाश है। जब यह रिपोर्ट हो गयी तो जो उस मुहल्ले के धनी-मानी लोग थे उनको पुलिस ने बुलाया और उनसे डरा-धमकाकर सौदे-बाजी शुरू कर दी कि इतना रुपया दो नहीं तो फंसा देंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि इस मल्लाह की स्त्री मरी है या नहीं। अन्त में पता यह लगा कि मल्लाह की स्त्री मरी नहीं है और उसके घर में है। यह आश्चर्यजनक है कि पुलिस रिपोर्ट करवाती है कि स्त्री मर गयी और उधर मल्लाह से कहलवाती है कि उसकी स्त्री मर गयी। इसके अन्दर दो जुर्म कराये जाते हैं। एक तो फाल्स परसोनीफिकेशन कराया गया और दूसरे यह कि उस कारण को दबाया जिस कारण से वह मरी।

मैं एक जौनपुर का उदाहरण देता हूं। शहर के पास एक गांव है, वहां की एक घटना है। किसी लड़के ने शाम को रोककर कुछ कद्दू छीन लिये। पुलिस में रिपोर्ट करायी गयी। सराय गाजीपुर के थानेदार साहब शाम को ६ बजे पहुंचते हैं। और सन् १९४२ का जो दृश्य था वही वहां रिपीट हुआ। ६ वर्ष के बच्चे से लेकर ८० वर्ष के बूढ़े तक पकड़े जाते हैं। पताना के पास लूसर गांव में यह सब हुआ। और जैसे नीलाम होता है उस तरह से हेडकांस्टेबिल साहब और दारोगा जी खड़े होते हैं और बोली बोली जाती है। सरकारी बोली डेढ़ सौ रुपये से शुरू होती है। कोई ७५ बोलता था और कोई ४० बोलता था। जिससे सौदा तय हो जाता था उसको तो छोड़ दिया जाता था नहीं तो फांस दिया गया। और दूसरे दिन दिन भर यह घटना होती रही। मैंने स्वयं इस घटना की जांच की और एस० पी० जौनपुर को लिखा और यह मांग की कि इस घटना की जांच एस० पी० कम्प्लेन्ट्स द्वारा होनी चाहिये। १३ दिन के बाद जांच करने के लिये आदमी वहां पहुंचता है और उसका कारण यह दिया जाता है कि डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स छुट्टी पर थे। इतना बड़ा मामला होता है, लेकिन मालूम होता है कि जौनपुर के डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स छुट्टी पर थे या सारे सूबे के डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स छुट्टी पर गये हैं ऐसा मालूम होता था। इस सबका केवल एक अर्थ है और वह यह है कि विभाग का मामला है और विभाग की बदनामी होगी, लिहाजा दबाओ। मैंने स्वयं एस० पी० जौनपुर से कहा कि अगर आप इसे नहीं करते हैं तो मैं गृह मंत्री जी को लिखूंगा। बहरहाल एक डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स वहां गये, लेकिन आज तक अभी उसकी जांच नहीं हुई। मैं स्वयं उन गांवों में घूमा और मुश्किल से मेरे पीछे ५० कदम पर उस थाने के हेडकांस्टेबिल साहब मेरा नाम ले ले कर कहते थे कि इसको बताओ नहीं, नहीं तो हम समझ लेंगे। यह पुलिस का मामला है। मैंने इसके लिये भी पत्र एस० पी० को लिखा कि यह विभाग की स्थिति है और डंके की चोट पर यह चीजें हो रही हैं और इसलिये की जा रही हैं जिससे विभाग की बदनामी न हो इसलिये दबाओ और लीपापोती करो। इसके लिये एक शब्द आता है कि 'एस्पिरिट डी कोर' (Esprit de corps)। लेकिन उसके अर्थ यह नहीं हैं कि हर गलत चीज को भी दबाया जाय। मैं यह नहीं कहता कि विभाग में सभी खराब हैं। कुछ लोग खराब हैं, लेकिन जो भी खराब हैं उनके लिये उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। आज उनकी ही गड़बड़ियों के कारण सारे विभाग पर बदनामी है।

मुझे एक बात की शिकायत और है। करप्शन के दूर करने के सम्बन्ध में जो इमीडियेट स्टेप्स होने चाहिये उनको उठाने में देरी की जाती है। और इसका अर्थ यह होता है कि जो करप्शन के कार्य करता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। वह सोचता है कि विभाग तो उसकी पीठ पर है, वह तो बचा लेगा ही। वह टाइम गेन करेगा, लीपापोती करेगा और फिर देखा जायगा। अगर आप इस तरह से देरी करेंगे तो करप्शन नहीं रुक सकेगा। अगर करप्शन को रोकना है तो इमीडियेट स्टेप्स लेने चाहिये।

श्रीमन्, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सुल्तानपुर के पास एक लाश पाई गई। लाश का कुछ हिस्सा सुल्तानपुर में मिला और कुछ हिस्सा कानपुर में मिला। आज तक पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पायी। क्यों नहीं ट्रेस होता ? या तो डिटेक्शन का तरीका खराब है और अगर खराब है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। माडर्न मेथड्स आफ डिटेक्शन उसके लिये चाहिये।

मैं एक और उदाहरण दूं। अपने उसी सराय गाजीपुर थाने का एक और अनुभव बताता हूं। एक आदमी जाता है और कहता है कि मेरे घर में चोरी हुई। थानेदार उससे कहता है कि नाम बताओ कि किसने चोरी की। अगर वह जानता ही होता कि किसने चोरी की है तो स्वयं ही चोर को पकड़ लिये होता। अगर नाम बता दिया तब तो उससे कहा कि देखो तुम्हारा नाम है। लाओ, नहीं तो पकड़े लेते हैं। यू० के० और अमरीका में जो डिटेक्शन का तरीका है उनको नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा डिटेक्शन स्टाफ चाहे फिंगर प्रिंट हो चाहे क्राइम डिटेक्शन ब्यूरो हो, वह सब पहुंचते हैं और वह क्रिमिनल को आइडेंटीफाई करने का प्रयास करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, परन्तु हमारे यहां उनको पकी पकाई खिचड़ी दे दीजिये तो वे पकी पकाई खिचड़ी खाकर कहेंगे कि हमने चोर पकड़ लिये और पकी पकाई नहीं मिली तो यह कहेंगे कि कोई केस नहीं बनता है। आज इनके डिटेक्शन वर्क के अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं फिर बताता हूं कि डिटेक्शन वर्क की गड़बड़ी इस प्रकार होती है कि जहर दे कर मर्डर हुआ जौनपुर में और रिपोर्ट लिखते हैं सुसाइड की। और जो केमिकल एग्जामिनर के यहां से रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है "ओवर डोज आफ इन्टाक्सिकैन्ट" यह तो क्लियर केस आफ प्वायजन है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसको स्पेशलाइज करने की जरूरत है।

जहां तक इन्वेस्टीगेशन का सम्बन्ध है उसकी भी यही हालत है। मैं तो रोज अखबार में देखता हूं कि आज इतने बीसा के ऊपर आये हुये पाकिस्तान के लोग ओवरस्टे कर रहे हैं। क्यों ओवरस्टे कर रहे हैं ? पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। आपके सूबे के अन्दर, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि पाकिस्तान और दूसरे विदेशों के जासूसों का जाल बुरी तरह से फैला हुआ है। मिशनरीज़ की बात हमारे माननीय नवलकिशोर जी ने कही। मैंने पारसाल कहा था और आज फिर कहता हूं कि मैंने अपनी आंखों से मिशनरीज को पहाड़ों पर, ऐसे स्थानों पर देखा है जहां आदमी और आदमज़ाद नहीं, केवल प्योर राक्स। तो क्या वे पत्थरों को ईसाई बना रहे हैं ? श्रीमन्, घटना हिन्दुस्तान में होती है पाकिस्तान रेडियो पर पहले सुन लीजिये। हमारे बोर्डर पर जो इतनी गड़बड़ियां चल रही हैं उनको रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ? तिब्बत से हमारा बोर्डर लगा होने के कारण आज उत्तर प्रदेश एक प्रकार से फ्रान्टियर एरिया है। वहां आज सब प्रकार की स्मगलिंग हो रही है। उसको रोकने के लिये क्या किया गया ? आज यह काम तो केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के ऊपर रहता है और उसका मैं अपना ही अनुभव बताता हूं। मैंने जौनपुर से दिल्ली में एक अपने मित्र को तार दिया कि हवाई जहाज से फलां दिन आ रहा हूं और तुम्हारे यहां ठहरूंगा। मैं पहुंच गया, उनके यहां ठहरा। रात में खाना खा कर सोया और दूसरे दिन उनको एक्सप्रेस तार डेलीवर होता है। जौनपुर में मैंने पूछा कि यह क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि सी० आई० डी० को उस तार को देखना था। तो आज सरकार के सारे प्रयास राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के विरुद्ध हैं, देश में हानि करने के लिये जो लोग हैं उनके प्रति नहीं क्योंकि जरा भी कुछ हुआ तो अखबार में निकल जायगा कि रेलिजन इन डेंजर। वास्तव में रेलिजन के पीछे जो राजनीतिक चाल हो रही है उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन रेलिजन इन डेंजर के नाम पर उनके प्राण पखेरू उड़ जाते हैं और कोई भी सफल कदम नहीं उठा पाते हैं।

तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह यह कि आज स्वतंत्रता मिले १०-१२ वर्ष हो गये। इन १०-१२ वर्ष में जितना हर वर्ग से संघर्ष पुलिस का हुआ उतना और किसी से

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

नहीं हुआ। विद्यार्थियों से संघर्ष हुआ, और लोगों से संघर्ष हुआ। आज पुलिस कांस्टेबिल मित्र नहीं माना जाता, वह एक डर की चीज माना जाता है। विदेशों में पुलिस कांस्टेबिल को मित्र माना जाता है। इंग्लैंड में रात में जब कांस्टेबिल निकलता है तो जो लोग जागते रहते हैं वे उनको बुला कर चाय पिलाते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में अगर पुलिस की कोई शक्ल भी देख लेता है तो उसको भूत नजर आने लगता है। इसका कारण यह है कि यहां की पुलिस केवल डंडावादी पुलिस है। मेन्टीनेन्स आफ ला ऐंड आर्डर कुछ अर्थ रखता है, लेकिन केवल डंडे के बल पर कभी भी ला ऐंड आर्डर मेन्टेन नहीं हुआ और जिन जिन देशों में केवल डंडे के बल पर ऐसा हुआ है उन देशों में हमेशा गड़बड़ी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस एक पैरा मिलिटरी आर्गेनाइजेशन था जो सिविल लाइफ के रिप्रेशन के लिये रखा गया था। आज उसके अन्दर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है और उसी प्रकार एक पैरा मिलिटरी आर्गेनाइजेशन बना हुआ है। उसकी भावनायें वही शासक वर्ग की हैं, उसकी शिक्षा और दीक्षा भी वैसी ही है। भले ही आप एक दिन कर्टिसी वीक मनायें, लेकिन वह केवल एकही दिन सौजन्यता दिवस रहता है और बाकी ३६४ दिन डंडा दिवस रहता है। इससे परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमें आज उनकी शिक्षा और दीक्षा की पद्धति को ही बदलना होगा और उनमें जनसेवा की भावना को भरना होगा और उनको सच्चे सेवक के रूप में समाज के सामने खड़ा करना होगा। खाली श्रमदान कराने से यह नहीं होगा, उनसे बच्चे ढुंढ़वाने से नहीं होगा, बल्कि श्रीमन्, उनकी जो मनोभावना है उसको ही बदलना होगा।

श्रीमन्, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि प्रांतीय रक्षा दल नाम की जो चीज है वह अजीब एक तमाशा है। वह न तीतर न बटेर, न जाने क्या है? उसको समाप्त कर सिविल पुलिस में लाना होगा और जन-सम्पर्क के साथ तथा सहानुभूति के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा करनी होगी और तब हम अपने प्रदेश की पुलिस खड़ी करेंगे तो वास्तव में जो पुलिस का दृष्टिकोण है, जो पुलिस का सच्चा उत्तरदायित्व है, उसको सफल बनाने में हम कामयाब होंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और इसकी ओर सक्रिय कदम उठावें।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा भारी आभारी हूं कि आप ने मुझे पुलिस के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैंने दोनों पक्षों की थोड़ी बहुत बातें सुनी हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, उसका दोनों पक्षों के लोगों ने समर्थन किया है और अनुभव किया है कि समाज के इस कोढ़ और खाज को किस तरह से दूर किया जाय। इसके लिये जब तक उसमें सेवा की भावना पैदा नहीं की जाती और इनको जब तक अपने कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। पुलिस के लोग नित्य नये केस बनाते हैं और इस तरह के तरीके अख्तियार करते हैं कि जिससे उनको रिश्वत मिले और जेबें गरम हों। हमारे कुछ साथियों ने पुलिस के अनुदान को बढ़ाने पर जोर दिया। श्रीमन्, यदि पुलिस से भ्रष्टाचार दूर हो जाय तो साढ़े नौ करोड़ के बजाय १९ करोड़ का अनुदान हो तब भी हम उसका स्वागत करेंगे और समर्थन करेंगे, लेकिन दुःख है कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है।

श्रीमन्, जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा है कि जो तरीका कम्पलेंट आफिसर की जांच का है उसने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सीढ़ी का एक नया डंडा लगाकर सीढ़ी को ऊंचा कर दिया है। मैं भी यही अनुभव करता हूं। पुलिस का तरीका नीचे से लेकर ऊपर तक एक चेन है। अगर चौकीदार ने गलती की तो कांस्टेबिल उसको सपोर्ट करता है और कांस्टेबिल ने गलती की तो सब-इंस्पेक्टर सपोर्ट करता है। इसी तरह से एक दूसरे का समर्थन करते चले जाते हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पलेंट अफसर की जगह पर जिला स्तर पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाय ताकि जो शिकायतें पुलिस विभाग के विरुद्ध हों उनकी निष्पक्ष जांच हो जाय और उनके संबंध में यह न कहा जाय "चोर-चोर मौसेरे भाई"। यह कहावत उनमें चरितार्थ न होने पावे, इसलिये पुलिस की शिकायतों की जांच के लिये अलग

से कोई तरीका अख्तियार किया जाय। एक बात और कहनी है कि जहां तक दंड विधान की बात है पुलिस के सम्बन्ध में देखा जाता है कि नीचे से ऊपर तक, एस० पी० के यहां शिकायत करें, डी वाई० एस० पी० के यहां शिकायत करें, डी० आई० जी० के यहां शिकायत हो, ऐसे मामलों में विभागीय दंड देने की पूरी-पूरी व्यवस्था भी की जाय। जब सब-इंस्पेक्टर पुलिस उस केस को कोर्ट में ले जाता है तो बड़ी-बड़ी रकमों की डिग्री सरकार के ऊपर होती है। इस सम्बन्ध में कानून में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी और आततायी हों उनके विरुद्ध दंड विधान में आमूल परिवर्तन करने की ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उन्हें कोई दूसरी ऐसी जगह न मिल सके जहां से कानून का सहारा लेकर वे अपने को बलशाली बनायें और बच जायं।

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन और करना है कि पुलिस का मुकदमों को चलाने का अजीब-सा तरीका रहा करता है। जो पुलिस के ऐजेन्ट होते हैं उनके लिये तो चतुर्मुखी छूट रहती है, चाहे जितनी शराब बेची जाय, चोरियां की जायं, जो पुलिस की गवाही देते हैं उनके लिये चारों तरफ से छूट रहती है। अगर हम नैतिक स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, समाज में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो झूठे गवाहों से दंडित कराने से हम न कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकते हैं और न समाजवादी व्यवस्था ही स्थापित कर सकते हैं।

अभी-अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि जन सम्पर्क स्थापित किया जाय। इसके लिए हम देखते हैं कि पुलिस के लोग वही तरीका अख्तियार करते हैं जो अंग्रेजी शहंशाहियत के वक्त में करते थे। वही पुलिस के पैरोकार हैं, वही पुलिस के एजेंट हैं, वही पुलिस के गवाह हैं। उन्हीं की मार्फत वे अब भी जन-सम्पर्क स्थापित करते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जन-सम्पर्क के लिए ग्राम सभापतियों का आश्रय लिया जाय। वहां के स्थानीय लोग चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी दलों का सहयोग ले कर जन-सम्पर्क स्थापित किया जाय। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को शिकायत नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जन-सम्पर्क का जो तरीका पुराने ढंग का चल रहा है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हां, एक बात देखने में आती है कि पुलिस के भाई कर्तव्य परायणता के काम में कभी-कभी इतना ऊपर उठ जाते हैं कि दिन को रात और रात को दिन कहने में जरा भी उनमें हिचक नहीं होती है। मैं अत्यन्त खेद के साथ कहूंगा कि फर्रुखाबाद में १९५७ में एक आत्महत्या के नाम की घटना कही गयी, लेकिन वह आत्महत्या नहीं थी। वह वास्तव में कत्ल था। वह एक सरकारी कर्मचारी प्रकाश का कत्ल था। उनकी लाश रेल की पटरी के पास डाल दी गयी और यह कहा गया कि वह रेल से कट कर मर गये। जब उनके पिता जी कानपुर से फर्रुखाबाद पहुंचे तो वह लाश का अन्तिम संस्कार करने के लिए लाश कानपुर गंगा जी पर ले गये। जब लाश को स्नान करा कर चिता पर रखने लगे तो मालूम हुआ कि उस प्रकाश के सिर पर करीब छः इंच का लम्बा घाव था और पीठ पर अनेकों चोटें थीं और इस प्रकार और कई चोटें थीं। एक सरकारी कर्मचारी के संबंधी का दाह संस्कार भी वहीं पर हो रहा था। उनसे बात की गई, उन्होंने देखा और कहा कि यह आत्महत्या कदापि नहीं है यह तो कत्ल किया गया है। उस संबंध में, श्रीमन्, दुःख है कि मैंने अपने प्रदेशीय सरकार के मंत्री महोदय से अनुरोध किया, उनके पिता जी भी साथ थे, हत्या का संबंध चूंकि फर्रुखाबाद नगर से है जो कि मेरा क्षेत्र है, श्रीमन्, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके पिता जी ने भी मेरे कमरे की और लखनऊ की बीसियों बार खाक छानी और मैंने भी गृह मंत्री महोदय से अनुरोध किया, लेकिन यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और वह आत्महत्या के रूप में ही हत्या रही। अब हम मार्च, सन् १९५९ में प्रवेश कर रहे हैं, दो साल बीत चुके हैं यदि कोई विभागीय कार्यवाही गुप्त रूप से हो रही हो तो मुझे पता नहीं।

यही नहीं, हमारे फर्रुखाबाद नगर के प्रतिष्ठित और पुराने कांग्रेस जन श्री वीरभान जी एक व्यक्ति के पकड़ जाने पर इस बात का पता लगाने के लिये कोतवाली गये कि क्या मामला

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

है क्यों वह पकड़ा गया इस पर उनको पीटा गया और मारा गया। कोतवाली में उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर पीटा गया; अपराध यही था कि किसी मामले की जानकारी करने का उन्होंने क्यों प्रयास किया। वहां से उनको हमारे कुछ साथी ले कर आए। मैंने श्री वीरभान जी को गृह मंत्री की सेवा में तथा मुख्य मंत्री जी की सेवा में पेश किया और उनका लगभग १ महीने तक यहां बलरामपुर हास्पिटल में इलाज कराया गया। श्रीमन्, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके बारे में जिन व्यक्तियों ने सफाई दी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मुझे दो मिनट का समय आप और देने की महान् कृपा करें।

मैं एक बात और कहूंगा। वह बात हमारे किन्हीं विरोधी पक्ष के भाइयों को बुरी लगे अथवा अच्छी। मैं उन बहादुर पुलिस के कर्मचारियों का, उन बहादुर पुलिस के अधिकारियों का, जो अपना कर्त्तव्य पालन करते हुये आत्मोत्सर्ग होते हैं उनकी सराहना करते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो तरीका अब तक अख्तियार किया गया कि कहीं पदक दे दिया कहीं छोटी सी पेंशन या पुरस्कार दे दिया, उन लोगों के बारे में मंत्री महोदय जरा उदार हृदय से काम लें और ऐसे लोगों को बड़ा पुरस्कार देना चाहिए जिससे विभाग के अन्य कर्मचारियों में अपना कर्तव्य पालन करने में बहादुरी, उत्साह और कर्मनिष्ठा पैदा हो। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी पुलिस कर्मचारियों में किस प्रकार सेवा भाव पैदा हो, किस तरह से अपना कर्तव्य पालन करने में ठीक-ठीक तैयार हो सकें, हम से ज्यादा अनुभवी हैं और पूरे विभाग का अधिकार भी उनके हाथ में है; इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस और जनता के बीच में सेवा भाव की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्पर्क स्थापित करने का व्यवहार, किस प्रकार स्थापित हो इस ओर भी वह प्रयास करने की कृपा करें। फिर मैं, श्रीमन्, इस बात के लिये आभारी हूं आपका जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक--२९ के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पुलिस के सम्बन्ध में काफी चर्चा पक्ष से और विपक्ष से सुबह से हो रही है। मैं तब से देख रहा हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, हाउस के करीब-करीब सभी वक्ताओं ने यह महसूस किया है कि पुलिस का काम सन्तोषजनक नहीं रहा है। आजादी मिलने के बाद से लेकर आज तक पुलिस का काम असन्तोषजनक रहा है। फिर मैं यह भी समझता हूं और यह कहना चाहता हूं आप के द्वारा कि तीन प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। एक तो वे होते हैं जो सत्य बात को कह सकते हैं, सत्यता का अच्छी तरह प्रदर्शन करते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो कोई भी बात हो उनके सामने गलत, बुरी जुल्म के रूप में, उसका सही प्रकार से इजहार नहीं कर सकते हैं। वे अपने को इस काम में असमर्थ पाते हैं। तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जो उस चीज को कहते हैं सत्य को छिपाकर के असत्यता का जामा देकर और समाज के सामने उसका एक नकली रूप प्रस्तुत करते हैं।

इन तीन प्रकार के व्यक्तियों में जो प्रथम श्रेणी के आदमी हैं जो कि किसी सही चीज को बता सकने का दावा कर सकते हैं और समाज के सामने साहस कर सकते हैं, वही सचमुच देश और समाज के हित के व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो उस चीज को गोल कर जाते हैं वे कमजोर और उदासीन व्यक्ति होते हैं, उनसे समाज का कोई हित नहीं हो सकता। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे मैं आज आम तौर पर देख रहा हूं कि इधर से भी और उधर से भी जो चर्चा की गई हर व्यक्ति ने यह महसूस किया है कि सचमुच ११ साल के निजाम में पुलिस कोई भी आदर्श हमारे सामने पेश नहीं कर सकी है। आजादी के पहले जो कुछ भी हम आशा करते थे अथवा यह कहा करते थे कि देश में पुलिस की क्या व्यवस्था होगी, उस सम्बन्ध में निराशा हमको हुई है, क्योंकि पुलिस ने काफी हम लोगों को और आप लोगों को कष्ट दिया है। आजादी के पहले, अभी कुछ साथियों ने कहा है कि पुलिस के कर्मचारी पहले से ज्यादा रिश्वत लेने लगे हैं, पहले से ज्यादा जनता के ऊपर जुल्म करने लगे हैं, पहले से ज्यादा

धांधलेबाजी करने लगे हैं, पहले से ज्यादा मनमानी करने लगे हैं, लेकिन मुहकमा वही है, उसके कर्मचारी वही हैं, उनके अन्दर कोई रद्दोबदल नहीं हुई है। उनकी सारी व्यवस्था उसी प्रकार से चली आ रही है।

तो फिर नयी क्या चीज होनी चाहिये जिससे कि समाज को राहत मिल सके? मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर जनमत लिया जाय कि आजादी के बाद ११ सालों में पुलिस ने जनता की सच्ची सेवा की है या नहीं की है, इसके बारे में जनमत लिया जाय तो मैं समझता हूं कि सारे देश में १ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि पुलिस की दलाली, उसकी चापलूसी और चाटुकारिता में लगे रह कर अपना काम चलाया करते हैं, वही लोग पुलिस की तारीफ करेंगे। आजादी मिलने के पहले जो लोग पुलिस के द्वारा जनता पर जुल्म ढाते थे और आजादी मिलने के बाद भी वही काम कर रहे हैं, पुलिस की दलाली कर के उसकी मार्फत अपनी रोजी चलाने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखते रहे हैं अथवा समाज का वह वर्ग जो हमेशा पुलिस के डंडे के नीचे रहा और जिसने कभी अंग्रेजों के खिलाफ सिर ऊंचा नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में भी अंग्रेज और पुलिस इन्हीं दो से जनता त्रस्त थी, उसमें भी यद्यपि अंग्रेजों के मातहत ही पुलिस थी, लेकिन गांव के साधारण रहने वाले आदमी नहीं जानते थे कि अंग्रेज क्या चीज है, वे केवल थानेदार और पुलिस को जानते थे या राजा नवाब, ताल्लुकेदार जो होते थे उनको जानते थे, तो आजादी मिलने के बाद उन लोगों ने जो उस समय परेशान करते थे पुलिस की दलाली का पेशा अख्तियार किया। आज पुलिस के अन्दर जो दलाली इतनी ज्यादा बढ़ गई है उसका कारण यही है और पहले जिन नेताओं के ऊपर डंडे पड़ते थे वे भी सत्ता पाकर उस चीज को भूल गए कि हमारे साथ में पुलिस क्या व्यवहार करती थी, उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वे भी उन चीजों से विमुख हैं।

मामूली रिआया के प्रति पुलिस का व्यवहार धांधली, लापरवाही और नौकरशाही का रहा है जैसा कि पहले अंग्रेजी शासन में बर्ताव होता था। मैं आप के सामने उदाहरण पेश करूंगा कि हमारे जिले शाहजहांपुर में एक बार २, ३ कांस्टेबिल और थानेदार गांव में एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिये गये। उस आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया। रात में वे एक जगह गांव में ठहर गये। इत्तफाक से वे चौकी पर पहुंच नहीं सके। उस आदमी को उन्होंने चारपाई से बांध दिया और सो गये लेकिन रात में वह रस्सी किसी प्रकार से खुल गई या किसी ने खोल दी। उसने उससे छुटकारा पाया और वह भाग गया। सुबह हुई तो उन्होंने उसको वहां नहीं पाया और वे लोग बड़े परेशान कि क्या होना चाहिये वह मुलजिम भाग गया। सिपाही इधर-उधर देखने लगे। पूछा तो कोई पता नहीं मिला। दैवयोग से एक आदमी उधर से आता हुआ दिखाई दिया जो सुबह होने पर टट्टी होकर उधर से गुजर रहा था। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। उसने कहा कि भाई मुझे कहां ले जाते हो; तो उन्होंने कहा कि चलिये जरा चौपाल तक चलना है। उसको लेकर वहां आये और वहां पर उसके हथकड़ी डाल दी और उस को पकड़ कर लाकर बन्द कर दिया। इस तरह से १०९ के अन्दर उसका चालान कर दिया। इस तरह से यह पुलिस काम करती है।

यह १०९ जो अपराध निरोधक कानून की धारा है इसकी वजह से पुलिस को बहुत अख्तियार मिल गये हैं। अगर कोई कहीं पर खास बात हो जाय या दारोगा जी से किसी की बातचीत हो जाय तो पुलिस के पास जो यह १०९ का हथियार है बिना किसी संकोच के इसको वह इस्तेमाल करते हैं। इसके अन्दर हर अच्छे खासे आदमी को वह गिरफ्तार कर सकती है। १०९ में पुलिस ज्यादातर दिन में गिरफ्तार करती है और घर पर जा कर गिरफ्तार करती है। पहले तो थाने पर बुलाया, १०, १२ घंटे वहां पर मेहमांनवाजी की और फिर रात में उसको १२ बजे बन्द कर दिया। यह आजकल पुलिस का रवइया चल रहा है। इसी प्रकार से ११० और १०७ का प्रयोग बराबर पुलिस गांवों में करती है। इन सब चीजों को खत्म करने के लिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उसने क्या किया है। यह सरकार इस पुलिस के अन्दर क्या

[श्री हरदयालसिंह]

करने जा रही है ? पुलिस ने इन ११ सालों के अन्दर क्या नमूने देश में पेश किये हैं ? मैं समझता हूं कि इसी तरह के नमूने पुलिस ने पेश किये हैं जिसका मैंने उदाहरण दिया। जनता के लिये, जनवादी पार्टियों के लिये या किसी संगठन के लिये इस पुलिस ने क्या किया है ? गरीब मजदूरों या किसानों के लिये इस पुलिस ने क्या किया है ? हर प्रकार से पुलिस ने प्रदेश में एक यही नमूना पेश किया है कि उसके हाथ में इतनी ताकत आगई है जो अंग्रेजी शासन में भी नहीं थी और उस शक्ति के आधार पर उसने एक बर्बरता का नमूना पेश किया है जो कि इस आजादी के समय में हमको देखने को मिल रहा है।

मैंने यहां पर देखा कि जो लोग उधर से बोलते हैं वे मजबूरी की हालत में, पार्टी के नियन्त्रण की वजह से, इस तरह से बोलते हैं। उनके विचार पुलिस के पक्ष में नहीं हैं; उनको भी शिकायत है। मैं भी यह समझता हूं कि सचमुच पुलिस ने जिस तरह के कार्य किये हैं वे निन्दनीय हैं। पार्टी की वजह से यहां पर पुलिस की शिकायत को नहीं रखा जाता है तो यह उचित बात नहीं है। इसीलिये मैं यहां पर चर्चा कर चुका हूं जिसमें तीन प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है। एक तो वे व्यक्ति हैं जो सत्य को बता सकते हैं यहां पर सत्य का मतलब है कि जहां कहीं जुल्म होता हो उसका मुकाबला करना और यही सत्य की हिमायत करना है। ऐसे थोड़े आदमी हैं। लेकिन बीच वाले आदमी जिनके सामने जुल्म होते हैं लेकिन वे खामोश हैं। ज्यादा हैं तीसरे वे हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से सारा देश चौपट है।

नौकरशाही के सम्बन्ध में मैं जिले की कुछ बात कहना चाहूंगा कि एस० पी० महोदय जिले में केवल इस बात की परवाह रखते हैं कि मिनिस्टर साहेब, आई० जी० और डी० आई० जी० उनसे खुश रहें, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। सही भी है, क्योंकि जनता उनका तबादला तक नहीं करा सकती और न उसके नुमाइन्दे जो यहां विधान सभा के सदस्य हैं या दूसरे नेतागण हैं ऐसा वे भी नहीं करा सकते हैं। जिले की ११, १२ लाख जनता से उनका कोई मतलब नहीं है और यदि कोई किसी थानेदार की शिकायत करता है तो वह कप्तान साहेब (S. P.) के पास जाती है और वह उसे खुद इन्क्वायरी करके या सर्किल इंसपेक्टर से करा के खत्म कर देते हैं। इस प्रकार किसी भी जनता द्वारा दी गई पुलिस के खिलाफ शिकायत की सुनवाई नहीं होती है। देवनारायण भारतीय जी ने जैसा कहा था, जिले की काउन्सिल के मातहत पुलिस काम करे और गांव में गांव समाज की मातहती में काम करे तो काफी सुधार हो सकता है; तो एस० पी० अपने आपको जनता के प्रति जवाबदेह समझेगा।

१०९ दफा में पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो फौरन उसकी इत्तला मुल्जिमान की तरफ से उच्च पदाधिकारियों को देनी चाहिये। इससे यह होगा कि यदि दिन के १२ बजे गिरफ्तार किया है और यदि उसी समय मुल्जिम के आदमियों ने तार दे दिया है तो वह थानेदार पकड़ में आ सकता है। किन्तु ऐसे मामलों में S. P. स्वयं रोजनामचा मंगवा कर थानेदार के हित में दुरुस्त करवा देते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे बहुत से साथियों ने अंग्रेजी राज्य में पुलिस के इन्तजाम को आज की पुलिस के इन्तजाम से मुकाबला किया है। मैं यह मान कर चलता हूं कि आज जुर्मों की तादाद पहले के मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार या पुलिस अधिकारियों पर किसी तरह से भी नहीं आती है। इस सिलसिले में मैं ३, ४ तथ्य की बातों को रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि शान्ति के साथ सदन उनको सुनेगा। पहली बात यह है कि जब हालात बदल जाते हैं तो बदले हुये हालात के नतीजे भी बदलने चाहिये। यह नामुमकिन है कि हालात बदल जावें और नतीजे पहले वाले ही आते रहें। अंग्रेजी राज्य से हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नागरिकता के अधिकार तब्दील हो गये हैं। यह नामुमकिन है कि उनका असर हमारे पुलिस वालों पर न पड़े। जिस दिन हमारा विधान पास हुआ और अमल में आया उसके दूसरे ही दिन जो नागरिक अधिकार जो पहले हमें हासिल होना चाहिये थे हासिल हो गये। उनके हासिल होते ही पुलिस के इन्तजाम, उसकी दफाओं और कानून में जिनकी रू से वह काम करती थी, वह भी तब्दील हो गये, लेकिन हमारे कर्त्तव्य एक दम से तब्दील नहीं किये जा सकते। इस चीज को अगर हम देखें तो जितने इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाये जाते हैं वे सब गिर जायेंगे और यह आसानी से समझा जा सकेगा कि क्या वजह है कि ये क्राइम बढ़ रहे हैं।

अंग्रेजी राज्य में क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट था। वह आज कहां है? वह खत्म हो गया। क्या क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के खत्म होते ही बेईमानी, चोरी, डकैती सब खत्म हुई? अतः इस प्रकार के नये अधिकारों के मिलने से हमारे कानूनों पर असर अवश्य पड़ सकता है और इसका असर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ता है।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी राज्य में जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव अलहदा थी। आजकल जुडीशियरी पहले के मुकाबले में ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से आजादी के साथ काम करती है। जब जुडीशियल आफीसर्स आजादी के साथ काम करेंगे तो अवश्य ही पुलिस के चालान पहले के मुकाबले में ज्यादा छूटेंगे।

तीसरी बात यह है कि आजादी हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट हिन्दुस्तान में आया। पहले अंग्रेजी राज्य में इंग्लैंड में प्रिवी कौंसिल थी।

श्री सुरथबहादुर शाह---अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। क्या किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि सदन को कोई गलत खबर दे सके? जहां तक मैंने सुना है, माननीय सदस्य ने अभी हाल में यह कहा है कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव हमारे यहां अलहदा-अलहदा है। क्या यह सही है?

श्री खूबसिंह---जी हां, अलहदा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मैं यह कह रहा था कि प्रिवी कौंसिल में केसेज ले जाना मुश्किल था, इसीलिये सुप्रीम कोर्ट में, यहां होने के कारण, ज्यादा केसेज जाते हैं। जब ज्यादा केसेज जायेंगे तो छूटने के चान्सेज भी ज्यादा होंगे और जब केसेज ज्यादा छूटेंगे तो पुलिस के इन्तजाम में कुछ लूजनेस भी आयेगी।

एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है। जिस तरह से हमने रबी और खरीफ आन्दोलन चलाये एन० ई० एस० ब्लाक्स के जरिये से, उसी तरह से हमने आनेस्टी आन्दोलन नहीं चलाया। रिश्वत लेने में जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है उतनी ही जिम्मेदारी देने वालों की भी है। अगर हम देना नहीं चाहेंगे तो पुलिस वाला हमें मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिये एन० ई० एस० ब्लाक्स के द्वारा हमें आनेस्टी ड्राइव चलाना चाहिये। मेरा खयाल है कि उससे बहुत ज्यादा असर होगा।

जितने रिसोर्सेज पुलिस वालों के पास हैं उनके रहते हुए वे अपने फर्ज की अंजामदेही में कोई खास वदद्यानती नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी हालत ही ऐसी है। अभी १५ तारीख की बात है। चांदपुर में ब्रह्मचारी सब इंसपेक्टर था वह मैजिस्ट्रेट की अदालत के सामने एक गुन्डे को पकड़ने के लिये गया। मैजिस्ट्रेट ने उसको जो एक माना हुआ गुंडा था बेल पर छोड़ रखा था। इस बीच में एक दिन पहले थानेदार से उसने रिवाल्वर छीन लिया और दस्तन्दाजी की। वह मुकदमा अदालत में रखा गया और जब दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट की अदालत के सामने वे उसको पकड़ने के वास्ते गये तो पकड़ने के पहले ही उस बदमाश ने चाकू निकाल कर उनके पेट में भोंक दिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गयी। जिस आदमी की मृत्यु हुई वह बहुत ही ईमानदार और सच्चरित्र व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी की चर्चा पहले से ही जिले में थी। उनकी मृत्यु से सारा जिला दुखी है। इस सदन के सामने अपना होमेज उस ईमानदार और साहसी व्यक्ति के चरणों में अर्पित करता हूं जो १५ तारीख को चांदपुर में एक गुंडे के हमले के शिकार

[श्री खूबसिंह]

हुए और उनकी मृत्यु हो गयी। इस तरह के उनके ऊपर भी केस लगते हैं और केस ही नहीं बनते बल्कि पुलिस के ऊपर जितने हमले होते हैं, क्राइम्स जो आज हो रहे हैं, वहां वाकयात के दूसरे रुख पर भी विचार करने की जरूरत है। आजकल यू० पी० के अन्दर जो इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी उन अपोजीशन पार्टीज पर भी है जो अपनी चीप पापुलैरिटी हासिल करने के लिये गाहे-बगाहे पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल दिया करते हैं। इसलिये मैं इन अपोजीशन पार्टीज से अपील करूंगा कि यदि वे पसन्द करते हैं कि सूबे में शान्ति व व्यवस्था कायम रहे और क्राइम्स में बढ़ोतरी न हो तो उन्हें अपने इस फेल को छोड़ देना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस अपील पर वे ध्यान देंगे।

दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आज हर थाने में एक-एक जीप का रहना बहुत जरूरी है। फाइनेन्सेज टाइट होने की वजह से उस तरफ तवज्जह नहीं दी गयी, लेकिन सरकार अगर इधर-उधर से कुछ निकाल कर हर थाने में एक-एक जीप दे दे तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि यह हथियार ऐसा है जिससे क्राइम्स की तादाद बहुत कम की जा सकेगी। अगर यह सम्भव न हो तो हर थाने में टेलिग्राफ आफिस कायम हो और वायरलेस सेट लगा दिया जाय तो क्राइम्स को कम करने के लिये एक बहुत बड़ा हथियार पुलिस विभाग के हाथ में आ जायगा और इससे क्राइम्स बहुत काफी कम हो सकते हैं।

एक बात मुझे यह कहनी है कि आजकल जो भत्ते दिये जाते हैं और इनका जो स्केल है वह जब तक कायम रहेगा तो मैं इस हाउस के सामने कह देना चाहता हूं कि यह बहुत गलत है और हम लेजिस्लेटर कितना भी कोशिश करें, कितना भी चिल्लायें कि पुलिस के अन्दर से भ्रष्टाचार कम होना चाहिये वह कम नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी ड्यूटीज ऐसी हैं जो उनको मजबूर करती हैं कि उनके हाथ में इतना पैसा आवे कि वे अपने खर्च को चला सकें और इधर-उधर भागने दौड़ने के खर्च को पूरा कर सकें। इसलिये उनके जो रूल्स और स्केल्स हैं वे बदले जाने चाहिये। मैं यह सिफारिश करता हूं कि उसकी एक सीमा नियत करते हुए उसके बाद ऐक्चुअल लिख देना चाहिये, ताकि उनको ऐक्चुअल खर्चा दिलाया जा सके।

इसके अलावा, श्रीमन्, सरकार की तवज्जह मैं सरकारी वकीलों की तकर्रुरी के सम्बन्ध में भी दिलाना चाहता हूं। अक्सर होता यह है कि अच्छे कैलिबर के आदमी मिल सकते हैं जिले के अन्दर, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर या और किसी वजह से ऐसे आदमियों का एप्वाइंटमेंट कर लिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि पुलिस की तरफ से जितने केस चलाये जाते हैं वे सब जाकर अदालत से छूट जाते हैं। इसलिये अपने जाती इल्म पर उनको मुकर्रर किया जाय तो अच्छे कैलिबर के आदमी मिल सकते हैं।

एक बात और मेरे चन्द दोस्तों ने पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के सम्बन्ध में कहीं जिसे मैं बहुत गलत समझता हूं। मैं आपके सामने इस हाउस को बतला देना चाहता हूं कि उनका सेलेक्शन मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, बल्कि जो इनसे पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ही किया था। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने तो केवल उनका एप्वाइंटमेंट किया और सेलेक्शन में कोई गलती नहीं हुई, उस वक्त बहुत से लोग सूबे के बाहर भी थे और कई बाहर से आने से इन्कार कर दिये थे, सीनियारिटी और जूनियारिटी का भी खयाल रखा गया था। और इतने बड़े अधिकारी पर इस किस्म का आरोप लगाना जो यहां हाउस में अपने को डिफेंड नहीं कर सकता, गलत है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को सभी लोग मानते हैं कि अपने प्रदेश की पुलिस जो अनपापुलर है उसके कुछ कारण हैं। आज भी जनता इस पुलिस से उसी तरह भयभीत है जिस तरह से अंग्रेजी जमाने में थी। जो व्यक्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सताया जाता है वही थाने में जाता है। पहली रिपोर्ट दर्ज कराने पर ही उसे इतनी परेशानी होती है जिसे वह स्वयं बरदाश्त नहीं कर पाता। वहां पर दरोगा या हेड कांस्टेबिल जो रहता है वह इस तरह के प्रश्न शुरू में ही करता है कि जो उसे असल बात कहनी है वह नहीं कह पाता है। डकैती या कत्ल की इत्तला में जब तक पुलिस की राय से कोई परिवर्तन न हो उस वक्त तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यह बहुधा देखा गया है डकैती होती है, दफा ४५७, ३७९ की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। दरोगा यह देखता है कि उसके यहां डकैती कम हो लिहाजा डकैती के बजाय चोरी का मुकदमा कायम किया जाता ह। रिपोर्ट लिखने का तरीका यह है, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है अगर इसकी फीस मुकर्रर कर दी जाय तो अच्छा हो, वहां कांस्टेबिल, जब देहात से आदमी पहुंचता है, यही सोचता है कि गाली गलौज करके उसे वापस किया जाय या २, ४ रुपये दे तब रपट लिखी जाय। हेड कांस्टेबिल यहां तक कहते हैं कि थाने में जो गांधी जी की फोटो लगी है तो गांधी जी कह रहे हैं कि ५ रुपये रिश्वत दो, वह मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ५ रुपया देने को कह रहे हैं, इस तरह की बात कहने की जुर्रत करता है, पूज्य गांधी जी को भी दोषी ठहराता है। तो बताइये, पुलिस का क्या मारल है? फिर सब-इंसपेक्टर क्या करते हैं कि उनके यहां जिस वक्त कोई वाकया होता है दलाल लोग पहले से तैयार रहते हैं और थाने में पहुच जाते हैं। दलालों का यह हाल होता है कि असली बात को छिपाकर गलत आदमियों को फंसाने और रिश्वत तय कराना ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं। दलालों की दलाली अब भी जारी है। इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की? उनका काम ही होता है कि पुलिस को सही रास्ते से गुमराह किया जाय, झूठे मुकदमों में अपने दुश्मनों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इस सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिये कि इन दलालों के बारे में क्या करना चाहिये, इनकी दलाली कैसे रोकी जाय, थानेदार के इस रवैये को किस तरह रोका जाय।

इन बातों के लिये मेरा सुझाव है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाये ताकि गरीब जनता भ्रष्टाचार से बच सके। मैं फर्रुखाबाद जिले की बात करता हूं। कत्ल वहां पर आये दिन होते हैं। देखा जाय कि कितने कत्लों में छानबीन सही हो पाती है और चालान होता है। मेरा तो यह कहना है कि अधिकतर यही लिखा जाता है कि लापता है। मोहमदाबाद थाने की बात करता हूं, जो मेरे जिले में ही है, इसी वर्ष ८, १० कत्ल हुए, लेकिन मालूम किया जाय कि उन कत्लों में कितने चालान हुए। मेरे एक साथी श्री नत्थू सिंह का थाना मोहमदाबाद में कत्ल हुआ और सरेशाम उसको ट्यूबवेल पर गोली से मार दिया गया। पुलिस ने बहुत दिनों तक जांच नहीं की और जब मैंने एस० पी० महोदय से कहा तो १५, २० दिन के बाद वहां देखने गये और यही कह कर कि साहब कोई पता नहीं है, रिपोर्ट ठीक नहीं लिखाई गई है, जवाब दे दिया जाता है। मेरा इस सम्बन्ध में यही सुझाव है कि अगर जिले की पुलिस मजबूर हो किसी कत्ल की जांच करने में तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि सी० आई० डी० के विभाग से जांच कराई जाय। अगर इस तरह से कत्ल लापता होते रहे तो उनकी संख्या और बढ़ती जायेगी। सरकार ने कौन-सा ठोस कदम उठाया है कि वह कत्ल को रोके? कत्ल में यह भी है कि झूठे आदमी चालान किये जाते हैं, सही शहादत नहीं होती है, छूट जाते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इसका तरीका बनाया जाय। जिले के एस० पी० यह कह दिया करते हैं कि उस कत्ल में पता लगता ही नहीं है क्या करें। इसके लिये अगर ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा तो कत्ल की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और कोई कमी नहीं होगी।

कम्पलेन्ट आफिसर के सम्बन्ध में कहा गया कि यह जिलों में इसीलिये रक्खे गये हैं कि भ्रष्टाचार में कमी हो, रिश्वत रोकी जाय। लेकिन आज क्या होता है? जितनी जांच पुलिस के खिलाफ जाती है उनमें अधिकतर यही आखीर में हो जाता है कि सबूत नहीं मिला। मैं कहता हूं कि सबूत मिल जाता है, लेकिन सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ या हेड कांस्टेबिल के खिलाफ कम्पलेन्ट आफिसर कुछ करने के लिये तैयार नहीं होता है। दूसरी बात यह होती है कि जो शिकायत करने वाला है उसको कोई सूचना नहीं दी जाती है। महीनों, वर्षों तक वह इसी

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इंतजार में रहता है कि उसके मामले में शायद जांच हो रही है। यह भी करना चाहिये कि उस पर जो भी रिपोर्ट है या निर्णय हो उसकी सूचना कम्पलेन्ट करने वाले को मिलनी चाहिये। अब तक तो यह परेशानी थी, लेकिन आज ही माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पहले किसी विभाग की जो शिकायत होती थी विभागाध्यक्ष के द्वारा जब इजाजत हो जाती थी तब कम्पलेन्ट आफिसर जांच करता था। लेकिन आज ऐसा कहा गया है, बड़ी खुशी की बात है कि वह सीधे डी० एम० कम्पलेन्ट आफिसर के पास भेज दे और जांच कराई जाय। इस तरह की सुविधा हुई तो शायद कुछ परिवर्तन हो।

यह भी जिलों में हैं कि बाज-बाज एस० पी० अपने को इतने व्यस्त समझते हैं या इतने काम में बिजी समझते हैं कि मिलने की भी लोगों को इजाजत नहीं देत हैं। यहां तक होता है कि जो जिम्मेदार आदमी जिले के--किसी भी पार्टी के हों--उनको भी शिकायत इस बात की रहती है कि उन्हें वहां से वापस कर दिया है यह कह कर कि समय नहीं है। जो भी आदमी जाएगा वह किसी काम से ही जाएगा, लेकिन वहां से घंटे दो घंटे बैठाकर वापस कर देना अनुचित है। यह व्यवहार कुशल बात नहीं है।

पुलिस के व्यवहार के बारे में जो कुछ भी सदन के सामने आया है, सभी लोगों ने कहा कि पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। यहां तक कि फर्रुखाबाद जिले की मिसाल जो अभी आपके सामने दी गई है श्री वीरभान, कांग्रेस पार्टी के थे। उनको बुरी तरह से पीटा और उसके बाद जो कोतवाल शहर कोतवाली में मौजूद थे, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने उनका पक्षपात किया और रवानगी नहीं रक्खी। सही बात थी कि वह कोतवाली में मौजूद थे। क्या होता है कि दरोगा को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, सस्पैंड होता है। लेकिन जो शहर कोतवाल जिम्मेदार आदमी है जिनकी देख-रेख में श्री वीरभान को पीटा जाता है, हाथ-पैर तोड़े जाते हैं, उस कोतवाल का छः महीने के बाद ट्रांसफर होता है। वह इटावा में ही कोतवाल बना दिया जाता है। एक थानेदार पीटता है और कोतवाल वहां रहता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। क्योंकि वहां के एस० पी० उनका पक्षपात कर रहे थे, उन्होंने तबादले पर जाते वक्त उसको इनाम भी दिया और तब गये। इस तरह की बातों का भी सरकार खयाल करे कि इस तरह की ज्यादती लोगों के साथ होती हैं, जब इतने जिम्मेदार आदमियों के साथ यह बात होती है तो वे गरीब जनता की क्या परवाह करते होंगे। रात दिन हालत यह है कि फर्रुखाबाद में तमंचा लगाने की बात हो रही है। हर जगह गांवों में तमंचा लगाने का काम अच्छा खासा हो रहा है, शाम को तमंचा लगाये पहुंच गये और झूठे ही आदमियों का चालान होता है। जब हम कहते हैं और शिकायत करते हैं तो एस० पी० कहते हैं आप ने बहुत देर में बताया अब तो हम चार्जशीट भेज चुके, अब क्या करें। अगर इस तरह की हिदायत दी गई हैं तो क्या कारण है कि इस तरह के चालान हो रहे हैं? खराब आदमियों के साथ जो भी किया जाय लेकिन जो भले आदमी हैं उनको इस पार्टीबन्दी में न फंसाया जाय।

विलेज डिफेंस सोसाइटियों के बारे में मंत्री जी ने कहा कि बहुत काम उन्होंने किया और डाकुओं का बहुत जगह मुकाबला किया गया और डाकुओं को पकड़ा भी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनके संगठन के लिये सरकार क्या मदद कर रही ह। सरकार तो उनके लिये इतना भी नहीं कर रही है कि उनको लाइसेन्स ही दे दे कि वे डाकुओं से मुकाबला कर सकें और विलेज डिफेंस सोसाइटी ठीक तरह से काम कर सकें। अधिकतर जो पुलिस के केस होते हैं छूट जाते हैं और इसका कारण यह होता है कि सही गवाह नहीं होते और जो गवाह होते हैं वे एक बार नहीं पुलिस की तरफ से बीसों बार शहादतें दिया करते हैं और उनका यह पेशा-सा होता है कि वे पुलिस की गवाही दिया करते हैं और इसका मुकदमों पर बुरा असर पड़ता है। इस काम के लिये ए० पी० पी० ही वकील बना दिये जाते हैं और वह भी पार्टीबन्दी में पड़ जाते हैं और यदि सिफारिश आ जाती है तो वे कोशिश करते हैं कि मामला छूट जाय, क्योंकि वह उनकी पार्टी का आदमी होता है।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)---जनाब स्पीकर महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। पुलिस का मुहकमा एक ऐसा मुहकमा है जो आज वास्तव में हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिये बहुत कोशिश करता है। मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं कि अंग्रेजी राज्य में हमारे किसान और मजदूर भाइयों की इतनी दुर्दशा होती थी, मैंने खुद देखा है कि हमारी गाड़ी पकड़ी जाती थी और उनको लेकर २ दिन तक बुलाया जाता था और उसके लिये एक पैसा भी नहीं दिया जाता था। वे लोग बुरी तरह से पकड़ कर लाये जाते थे और हरिजन लोग दिन रात डेरे गाड़ने आदि का काम करते थे, रात को उनसे पहरा दिलवाया जाता था और दिन में भी उनसे घास खुदवाने का काम लिया जाता था और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था और उनके बच्चे भी भूखों मरते थे। आज हमारी सरकार ने कितना किया है यह आपको मालूम है, हमारी सरकार ने उस रवैये को बिलकुल बन्द किया है और आज मजाल नहीं है कि पुलिस का आदमी किसी की गाड़ी पकड़ ले या किसी हरिजन से कोई दरोगा या सिपाही इतना भी कह सके कि जरा हमारा बिस्तरा उठाकर थाने में रख दो। आपको यह मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बतलाता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत में कितने कत्ल होते थे। दिन-दहाड़े हमारे यहां लड़कियां मारी जाती थीं। लड़की पैदा होती थी और उनका गला घोट दिया जाता था....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१७ मार्च, १९५९।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर।)

प्रतिलिपि

टांडा हैंडलूम उद्योग का प्रसिद्ध केंन्द्र है। यह घाघरा नदी के किनारे यातायात के सुलभ मार्ग पर स्थित है और रेलवे की वर्तमान आउट-एजेंसी उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। अतएव टांडा के उद्योग के विकास के लिये अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन को पुनः चालू करना परमावश्यक है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४ एल० ए०—१९५९—८४५।